लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 28 नवम्बर, 1973/7 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 13, Wednesday, November 28, 1973/Agrahayana 7, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री लंका की नेशनल स्टेट एसेम्बली के अध्यक्ष हिज एक्सीलेंसी मि० टिल्ले कारेटने तथा मिसेज टिल्लेकारेटने का स्वागत	Welcome to H.E. Mr. Tille Karatne, Speaker of Sri Lanka and Mrs. Tille Karatne	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
242. डाक विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Postal Department	1–3
243. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अल्प क्षमता वाले राज्यों को सहायता	Assistance to States having Limited scope for raising Additional Resources for Minimum Needs Programme	3–4
244. इंडियन आक्सीजन लि० का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Indian Oxygen Limited	4–6
245. पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बिना इमारतों के स्कूल	Schools without Buildings in Backward and Adivasi Areas	6–9
246. तमिलनाडू में पृथकतावादी आन्दोलन	Separatist Campaign in Tamil Nadu	9–10
247. प्रतिभा पलायन	Brain Drain	10–12
248. तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Tamil Nadu	12–14
249. स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पर होने वाला व्यय	Expenditure on Grant of Pensions to Freedom Fighters	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
250. जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के मामले की जांच	Enquiry into the matter of Jay Engineering Works Limited, Calcutta	15
251. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिये अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम	Research and Training Programme for Welfare of Scheduled Castes/Tribes ..	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
252.	टेलीविजन विभाग को आकाशवाणी से अलग करके एक पृथक एकक बनाना	Bifurcation of Television from All India Radio into an Independent Unit	15–16
253.	जालंधर में आयोजित अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन	All India Newspapers Editors' Conference held at Jullunder ..	16
254.	देश में बने या आयातित इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों की प्रतिशतता	Percentage of Electronic Equipments manufactured indigenously or Imported	16
255.	पल्प मिल्स का बिहार से असम को स्थानान्तरण	Shifting of Pulp Mills from Bihar to Assam	17
256.	बम्बई में अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य में वृद्धि	Increase in the Price of English Dailies in Bombay ..	17
257.	कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र में 'इनडोर स्विचयार्ड'	Indoor Switchyard in Kalpakkam Atomic Power Plant	17–18
258.	सरकारी मुद्रणालयों और अन्य विभागों में कागज की कमी	Shortage of Paper in Government Presses and other Departments ..	18
259.	कपड़े के लिये समन्वित कार्यक्रम तैयार करने हेतु वस्त्र नीति की समीक्षा	Review of Textile Policy for evolving a Coordinated Programme for production of cloth	18
260.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मारे गये कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगियां	*Ex-gratia* Payment to Families of killed CRP Personnel	19
261.	दिल्ली पुलिस की वायरलैस व्यवस्था	Delhi Police Wireless System ..	19

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
2403.	अखिल भारतीय इंजीनियरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का गठन	Construction of All India Engineering Medical and Health Services ..	19
2404.	पूर्व निमाड़ जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of PCOs in villages of East Nimar District	20
2405.	पूर्व निमाड़ जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters from East Nimar District ..	21
2406.	हरिजनों/पिछड़ी जाति के लोगों के लिये मकान	Houses for Harijans/Backward People	21
2407.	रांची में औद्योगिक एककों में घाटा	Loss in Industrial Units in Ranchi	21–22
2408.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, रुड़की के कर्मचारियों द्वारा मोटरचलित "जेक" का विकास	Motor operated 'Jack' developed by Employees of Structural Engineering Research Centre, Roorkee	22
2409.	फ़र्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना	Issue of C.O.B. Licences to Firms	22–23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2410.	राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	Statements made by certain Chief Ministers regarding charges of Corruption against Officers of Central Services Posted in States	23
2411.	आतिथ्य अनुदान	Hospitality Grant	23–24
2412.	लघु उद्योग सेवा संस्थान ओखला, नई दिल्ली में 'हीट फर्नेस' के डिजाइन	Heat Furnaces Designs in Small Industries Service Institute Okhla, New Delhi ..	24
2413.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली का वर्कशाप नं० II के हीट ट्रीटमेंट सेक्शन की उत्पादन	Turn over of Heat Treatment Section of Workshop No. II of SISI Okhla, New Delhi	25
2414.	मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment for Jobless educated persons in Madhya Pradesh ..	25
2415.	अनुसूचित जातियों के इंजीनियरी स्नातकों को रोजगार देना	Absorption of Scheduled Caste Engineering Graduates	25–26
2416.	मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड	Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh	26
2417.	मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में लघु उद्योग	Small Scale Industries in backward Districts in M.P.	26
2418.	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये संरक्षण	Safeguards for Linguistic Minorities	26–27
2419.	शिमला स्थित संवाददाताओं द्वारा भेजे गये महत्वपूर्ण समाचारों की उनके प्रकाशन से पूर्व राज्य सरकार को सप्लाई	Supply of Important News Transmitted by Simla based Correspondent to State Government before their Publication	27
2420.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से उद्योगपतियों को सहायता	Assistance to Industrialists from NSIC	27
2421.	जनगणना में जाति का उल्लेख न किया जाना	Omission of Caste Enumeration in Census	27–28
2422.	केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in Kerala under Central Sector	28
2423.	कोचीन में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य	Press Statement of an official Ministry of Petroleum and Chemicals at Cochin	28–29
2424.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन	Amendment in Recruitment Rules relating to the Post of Assistant Engineer in C.P.W.D.	29
2425.	विभिन्न विभागों द्वारा आवेदन-पत्र प्रेषित किया जाना	Forwarding of Applications by various Departments	29–30
2426.	डाक तार विभाग में प्रार्थना पत्रों का भेजा जाना	Forwarding of Applications in P & T Department	30

अता० प्र० सख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2427.	उत्तर प्रदेश के गांवों में टेलीफ़ोन सुविधायें	Telephone Facilities in U.P. Villages	30–31
2428.	अपने उत्पादों का निर्यात करने की शर्त पर विदेशी फर्मों को सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करना	Issue of C.O.B. Licences to Foreign Firms on the condition of Export of their products	31–32
2429.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम के चेयरमैन के लिये रिहायशी स्थान	Residential Accommodation for Chairman of National Textile Corporation	32
2430.	लश्कर, मध्य प्रदेश में राज्य सभा के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of a Member of Rajya Sabha in Laskar, Madhya Pradesh	32–33
2431.	बाड़मेर, राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रकों का निर्बाध आना जाना	Unrestricted movement of Pakistan Nationals in Barmer, Rajasthan	33
2432.	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans advanced to Film Producers by IMPEC ..	33
2433.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात की गई भारतीय फिल्में	Indian films exported through STC	33–34
2434.	शिशु आहार, साबुन, टूथ पेस्ट तथा प्रसाधन सामग्री बनाने वाली विदेशी कम्पनियों के कार्य-करण की जांच	Enquiry into functioning of Foreign Companies Manufacturing Baby Food, Soap, Tooth Paste and Cosmetics	34
2435.	उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in Index of Consumer Articles	34–35
2436.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के चेयरमैन का त्याग पत्र	Resignation of Chairman of National Textile Corporation ..	35
2437.	भारत में वनस्पति घी के कारखाने	Vegetable Oil Factories in India	35
2438.	दूषित वातावरण के हानिकारक प्रभाव (कोरोसिव इफेक्ट्स आफ़ पोल्यूशन)	Corrosive effects of Pollution	35–36
2439.	पानीपत वूलन एंड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, खरार के प्रबंध को सरकारी नियंत्रण में लेना	Taking over the management of Panipat Woolen and General Mills, Co. Limited, Kharar ..	36
2440.	नक्सलवादियों की रिहाई संबंधी मांग	Demand for release of Naxalities	36
2441.	राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने के मामले से मजदूरों को संबद्ध करना	Association of Workers in Raising Production and Productivity on National Scale	36–37
2442.	बिहार में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment for Registered Unemployed persons in Bihar ..	37
2443.	विदेशी आतिथ्य ग्रहण करने के बारे में नीति में परिवर्तन	Change in Policy regarding acceptance of Foreign invitations	37–38
2444.	इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्टरी गोमिया में श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers in Indian Explosives Factory, Gomia	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2445.	राष्ट्रीय आय की वृद्धि में स्थिरता	Stagnation in National Income Growth	38
2446.	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिये श्री कल्याण बसु के विरुद्ध जांच	Inquiry against Shri Kalyan Basu for violation of Foreign Exchange Regulations	39
2448.	पश्चिम बंगाल में 'नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम'	'Natural History Museum' in West Bengal	39
2449.	कीर्तिनगर, दिल्ली में हरिजनों के लिये होस्टल	Hostel for Harijans at Kirtinagar, Delhi	39
2450.	उचित दर दुकान पर सीमेंट की उपलब्धता	Availability of cement at fair price Shops	39–40
2451.	अन-अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to States for Welfare of Denotified Tribes ..	40
2452.	"सीमेंट लार्डस एगेंस्ट पुजोलाना' शीर्षक से समाचार	"Cement lords against puzzolana"	41
2453.	पश्चिम बंगाल सहकारी समिति विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to West Bengal Cooperative Societies Bill, 1973	41
2454.	सेन्ट्रल जल, तिहाड़, दिल्ली में आवास की असंतोषजनक स्थिति	Unsatisfactory conditions in Central Jail, Tihar, Delhi	42
2455.	संयुक्त क्षेत्र में विदेशी फर्मों द्वारा उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries by foreign firms in Joint Sector ..	42
2456.	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में विलंब	Delay in setting up of industries in M.P.	42–43
2457.	स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters	43
2458.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to Indian Oxygen Ltd. Calcutta	43–44
2459.	तिलहन और कपास उगाने के लिये नये सिंचित क्षेत्रों का उपयोग	Use of New irrigated areas for growing oil seeds and cotton	44–45
2460	वैज्ञानिकों के लिये रोजगार	Employment for Scientists ..	45–47
2461.	दिल्ली में फोनोग्राम सेवा	Phonogram service in Delhi	47
2462.	राजबन हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की स्थापना	Setting up of cement plant at Rajban Himachal Pradesh	47
2463.	योजना प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण	Recasting of Plan Priorities ..	47–48
2464.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों क शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार देना	Employment to educated among Scheduled castes and scheduled Tribes	48
2465.	मैसूर में 'रा सिल्क' का मूल्य	Price of 'Raw Silk' in Mysore	48–49
2466.	बिजली शुल्क की बकाया राशि के भुगतान के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद	Dispute between NDMC and DMC over payment of electricity tax arrears	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2467.	मूंगफली के छिलकों से बढ़िया किस्म की रासायनिक लुगदी	Grade chemical pulp from Groundnut shells	49
2468.	"माइक्रोवेव नेट वर्क" का विस्तार	Extension of "Microwave net work"	49–50
2470.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास	Economic Development of North Eastern Region ..	50
2471.	अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन	Shifting of Capital of Arunachal Pradesh	50
2472.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands	50
2473.	दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय-पुस्तक प्रकाशित करना	'Who's Who' of Freedom Fighters by Delhi Administration ..	51
2475.	मूल्य वृद्धि और चोरबाजारी के विरोध में दिल्ली बंद	Delhi Bandhs against price rise and black marketing	51
2476.	देश में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण	Production of Indigenous telephone instruments	52
2477.	आर०एम०एस०'सी०' डिवीजन गया के कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षा	Departmental examination for employees of R.M.S. 'C' Division Gaya	52
2478.	टूथ पेस्ट के उत्पादन के कारण विदेशी मुद्रा का बाहर जाना	Outflow of Foreign Exchange due to production of Tooth Paste ..	52–53
2479.	फायर स्टोनटायर एंड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया में लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक टायरों का उत्पादन	Production of Tyres in excess of licensed capacity in Firestone Tyre and Rubber Co. of India	53
2480.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापना के लिये राजसहायता	Subsidy for setting up of Industries in Backward Areas	53–54
2481.	हिन्द साईकल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच	Enquiry into the Affairs of Hind Cycles	54–55
2482.	नारियल-जटा बोर्ड के सेक्रेटरी के विरुद्ध जांच	Enquiry against Secretary of Coir Board	55
2483.	"रिवोल्ट आफ प्रीस्ट्स एण्ड नन्स अगेंस्ट चर्च इन केरल' शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News Item Captioned "Revolt of Priests and Nuns against Church in Kerala"	55
2484.	(मोपला विद्रोह) के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters of Moplah Rebellion	55–56
2485.	उत्तर वामनाड में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार	Improving Telephone Facilities in North Wynad	56
2486.	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियों के निलंबन/स्थानान्तरण के मामले	Suspension/Transfers of Policemen and Police Officers in Delhi ..	56
2487.	नई दिल्ली में इलैक्ट्रानिक फोन केन्द्र	Electronic Phone Exchange in New Delhi	57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2488. इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भा त में स्थित कम्पनियों में बनी• वस्तुओं की खरीद संबंधी करार	Agreement for Purchase Goods of companies in India by Indian Oxygen Limited	57
2489. हिन्दी भाषी जनसंख्या	Hindi speaking population	57–58
2490. पांचवीं योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections during Fifth Plan	58
2491. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन किये जाने का पता लगाने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले सूत्र	Sources through which the Directorate of Enforcement ascertains Violation of Foreign Exchange Regulations Act	58-59
2492. पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त औद्योगिक कारखाने	Sick Industrial units in West Bengal	59
2493. नूरपुर तहसील (हिमाचल प्रदेश) के इन्दौर में टैलीफोन केनेक्शन	Telephone connections at Indore in Nurpur Tehsil (Himachal Pradesh)	59
2494. अंतरिक्ष संबंधी खोज	Exploration of Space	59–60
2495. मध्य प्रदेश में रोज़गार प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for providing employment in Madhya Pradesh ..	60
2496. महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये मूल्य निर्धारण नीति	Pricing Policy for Core sector Industries	60
2497. डाक तथा तार कार्यालयों का बंद किया जाना	Closing down of P & T Offices	60–61
2498. राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा से चयन किये गये उम्मीदवार	Candidates from States selected in IAS, IPS and IFS ..	61
2499. मज़दूर सुधार सभा के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by representatives of Mazdoor Sudhar Sabha	61–62
2500. इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भारत से बाहर भेजी गई धनराशि	Remittances made by Indian Oxygen Limited	62–63
2501. राज्य सहायता के लिये आंध्र प्रदेश में अन्य क्षेत्र	Additional areas in A.P. for subsidy ..	63
2502. चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में एक इलेक्ट्रानिक उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस	Licence to open an Electronic manufacturing unit at Chittoor (A.P.)	63–64
2503. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देना	Grant of Scholarship to Wards of P & T employees	64
2504. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा अर्ध विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता	Aid to projects in under developed areas by FICCI	64
2505. चोरी छिपे टेलीफोन काल किया जाना	Telephone Calls made clandestinely	65
2506. जिला कांग्रेस कमेटी और उत्तरकाशी की नगरपालिक के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by District Congress Committee and President, Municipality of Uttarkashi ..	65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2508.	अखबारी कागज की समस्या को 'यूनेस्को' में उठाने का प्रस्ताव — Proposal to take up the Newsprint Issue with UNESCO	65
2509.	पांचवीं योजना के लिय विदेशी सहायता — Foreign Assistance for Fifth Plan ..	66
2510.	सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण — Training of District Officers to implement Government programmes ..	66
2511.	दिल्ली में पुलिस अधिकारियों का निलम्बित किया जाना — Suspension of Police Officers in Delhi	67
2512.	केरल में सरकारी क्षेत्र में टाइटेनियम के कारखाने लगाना — Setting up of Titanium Factories in Public Sector in Kerala ..	67
2514.	अमृतसर के टेलीविजन केन्द्र की 'रेंज' — Range of Amritsar T.V. Station ..	67–68
2515.	समयोपरि भत्ते की अदायगी — Payment of overtime allowance	68
2516.	दिल्ली में जन संघ द्वारा प्रदर्शन — Demonstration by Jan Sangh in Delhi	68
2517.	डाक-तार विभाग में हिन्दी का प्रयोग — Use of Hindi in P & T Department	68
2518.	परमाणु ऊर्जा विभाग में कर्मचारियों की संख्या — Number of employees in Department of Atomic Energy	69
2519.	देश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस — Pakistani Spies arrested in the country	69
2522.	सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीयकरण के कारण कनिष्ठ अधिकारियों में पहल करने की भावना समाप्त होना — Loss of initiative in lower officers due to over centralisation of power	69–70
2523.	फिल्मों में सेंसर के बारे में फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के प्रतिनिधियों की समितियां — Committees of Representatives of Censor Board and Film producers in regard to censoring of films ..	70
2524.	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के गठन में परिवर्तन — Changes in composition of IMPEC	70
2525.	प्रैस संवाददाताओं द्वारा भेजे गये संदेशों को सेंसर करना — Censorship of Messages sent by Press Correspondents ..	70–71
2526.	कश्मीर जमींदार एसोसियेशन द्वारा दिल्ली में आत्म दाह करने संबंधी योजना को स्थगित करना — Postponement of the Plan of Kashmir Zamindar Association for self-immolation in Delhi	71
2527.	'केबल्स' के लघु निर्माताओं को एल्यूमिनियम का आवंटन — Allocation of Aluminium to Small Scale Cable Manufacturers ..	72
2528.	गया, नवादा और जहानाबाद में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र — Applications for New Telephone Connections in Gaya, Nawadha and Jehanabad	72
2529.	तांबे के तारों की कमी — Shortage of Copper Wires ..	72–73
2530.	डाक-तार कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें — Housing Facilities for Postal Employees	73

अता० प्र० संख्या U.S.Q .Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2531.	इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट लुधियाना में कच्चे माल का मूल्यांकन	Assessment of Raw Material in Industries Service Institute, Ludhiana..	73
2533.	हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब को टायरों का आवंटन	Allocation of Tyres to Haryana, Jammu and Kashmir and Punjab	73–74
2534.	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भारतीय जनता को पहले से बताना	Education the Indian Masses about the Measures Taken by Government in Advance	74
2536.	नई दिल्ली में टिकट-संकलन प्रदर्शनी	Philatelic Exhibition in New Delhi	74
2537.	हरिजनों और आदिवासियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु केरल को सहायता	Financial Assistance to Kerala for Free Education to Harijans and Adivasis	75
2538.	केरल में डाक-तार कार्यालयों के स्थान के लिये दिया गया किराया	Rent paid for Housing P & T Offices in Kerala	75–76
2539.	इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान एककों को विदेशी मुद्रा देना	Grant of Foreign Exchange for Electronics Research Units	76
2540.	बम्बई में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन	Temporary Telephone connections in Bombay	76
2541.	वर्ष 1975 और 1976 के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग संबंधी कार्यक्रमों की तैयारी	Preparation of Programmes for Satelite Instructional Television Experiment proposed to be conducted during 1975 and 1976	76–77
2542.	पांचवीं योजना के दौरान रोजगार	Jobs during Fifth Plan	77
2543.	अकोला तथा बुलढाना जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेशन	Grant of Pension to Freedom Fighters from Amola and Buldana Districts	77
2544.	श्री एन० बी० शाह द्वारा प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाना	Forging of signature of PM by Shri N. B. Shah	78
2545.	परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत-बंगलादेश समझौता	Indo-Bangladesh Agreement on peaceful use of Atomic Energy	78
2546.	रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम का मूल्यांकन	Appraisal of Crash Plan for Jobs	79-81
2547.	नानकपुरा (दिल्ली) के डाकघर से सीरमपुर के लिये एक पार्सल भेजा जाना	Despatch of a parcel from Nanakpura (Delhi) Post Office to Serampore	81
2549.	बन्दा वीर वैरागी की स्मृति में डाक टिकट जारी करना	Issue of a Stamp on Banda Vir Bairagi	81
2550.	शिमला में ध्वजारोहण	Flag Hoisting in Simla	81
2551.	कागज मिल द्वारा कागज की चोर बाजारी	Blackmarket of Paper by Paper Mills	82
2552.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिन्दी को परीक्षा का माध्यम बनाना	Introduction of Hindi a Medium for all Examinations conducted by UPSC	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2553.	राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुन: जीवित करना	Revival of National Integration Council	83
2554.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये आवेदन पत्रों की जांच	Scrutiny of Applications for Grant of Pension to Freedom Fighters ..	83–84
2555.	तमिलनाडु के रामनाथपुरम् जिले में टायर फैक्ट्री की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for setting up Tyre Factory in Ramanathupuram District Tamil Nadu	84
2556.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, डन्डेली द्वारा अखबारी के कारखाने की स्थापना	Setting up of Newsprint plant by West Coast Paper Mills, Dandeli	85
2557.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सजा दिलाये गये राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	Number of Gazetted Officers Prosecutted by CBI	85
2558.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा रीगल भवन स्थित दुकान छोड़ देना	Vacation of Regal Building Shop by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	85–86
2559.	दिल्ली के फतहपुरी क्षेत्र के उन भोले भाले लोगों को पलिस अधिकारियों द्वारा सताया जाना जो कि कृषि पदार्थों के अवैध वायदा व्यापार के विरुद्ध हैं	Harassment to Innocent persons by Police Officials in Fatahpuri Area, Delhi who are against Illegal Forward Trade in Agricultural Commodities	86
2562.	विविध भारती कार्यक्रम क अतगत प्रसारित एक टेलीविजन के विज्ञापन से 'दहेज प्रथा' को प्रोत्साहन	Advertisement of Television Broad cast from Vividh Bharti Encourages 'Dowry System' ..	86–87
2561.	मारुति कम्पनी को सीमेंट के परमिट जारी करना	Issue of Cement Permits in Maruti concern	87
2562.	पश्चिम बंगाल में रिहा कैदियों की पुन: गिरफ्तारी	Re-Arrest of Released Prisoners in West Bengal	87
2563.	विदेशी पूंजी निवेश पर रोक हटाने की सिफारिश करने वाला पत्र	Paper Recommending the Lifting of Curbs on Foreign Investment ..	88
2564.	हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी के उत्पाद	Products of Hindustan Lever Company	88
2565.	मारुति कन्सलटेन्सी सर्विसिज के संभाव्यता प्रतिवेदनों के आधार पर लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences on the Feasibility Report of Maruti Consultant Services	88
2566.	पुलिस के महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Conference of Inspectors General	89
2567.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक गतिविधियां	Political Activities by Government Servants	89
2568.	एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने के लिये आवेदन	Application from a private citizen for Establishing a Medium Wave Transmitter	89
2569.	भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत मिलावट, काला बाजार और भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों को रोकना	Curbing of offences of Adulteration black marketing and corruption under DIR	89

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2570	श्री राम इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Sri Ram Institute of Industrial Research, New Delhi	90
2571.	उड़ीसा में संचार प्रणाली	Communication system in Orissa	90–91
2572.	भुवनेश्वर स्थित पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय में श्रमिक अशान्ति	Labour Troubles in P.M.G's office Bhubaneswar	91
2574.	कच्चे माल के आयात के लिये स्व-नियोजित तकनीशियनों को सुविधायें	Facilities to Self employed Technocrats	91–92
2575.	अधिक उत्पादन के लिये कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु नई नीति	New Policy for Import of Raw Materials and Capital Goods for greater production ..	92
2576.	भारतीय एककों के लिये कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के आयात की पद्धति	Procedure for Import of Raw Materials of Capital Goods by Indian Units	92
2577.	तमिलनाडु के उत्तर आर्काट जिले के कुन्नाथुर गांव में हरिजनों पर हमला	Attack on Harijans in Kunnathur village North Arcot District Tamil Nadu	92–93
2579.	रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता का सीमेंट उत्पादन पर प्रभाव	Effect of non-availability of Railways wagon on Cement output ..	93
2580.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कर्मचारियों की वरिष्ठता-सूची	Seniority list of employees in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	93
2581.	आकाशवाणी के एक इंजीनियर व उसकी पत्नी चलते स्कूटर से छलांग लगाने का कथित समाचार	Alleged jumping of an AIR Engineer and his wife from a hired scooter	93
2582.	गृह निर्माण गतिविधियों पर सीमेंट के मूल्य की वृद्धि का प्रभाव	Effect of increase in cement price on House Building Activities ..	94
2588.	योजना आयोग के सदस्यों को उपलब्ध सुविधायें	Facilities provided to Members of Planning Commission	94
2584.	गया काटन मिल में नियुक्तियां	Appointments in Gaya Cotton Mill	94
2585.	उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industries	94–95
2586.	लघु उद्योगों की गणना	Census of Small Scale Industries	95
2587.	वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिये 'इन्फास्ट्रकचर' के रूप में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली संबंधी योजना	Scheme for National Information System as Infrastructure for Scientific and Technological Development	95–96
2588.	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगार तथा अल्प रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Collecting Data on Employment unemployment and under employment in Urban and Rural Areas	96
2589.	राज्यों में सतर्कता आयोग	Vigilance Commissions in States	96–97

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2590.	नई दिल्ली नगर पालिका के लिये नाम निर्देशन / Nominations to NDMC ...	97–98
2591.	दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा की एक मोटर गाड़ी को रोकना / Interception of a Motor van of Haryana by Delhi Police	98
2592.	प्रधान मंत्री द्वारा कार्यालय जाने के लिये बग्घी का प्रयोग / Use of Buggy by the Prime Minister while coming to Office ..	98–99
2593.	फिल्मों के लिये ऋण देने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना / Rationalisation of the procedure of sanctioning loans for production of Films	99
2594.	फिल्म वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता / Financial assistance given by Film Finance Corporation	99
2595.	कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था / Calcutta Telephone System ..	99–100
2596.	पोर्टब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाना / Statute of Netaji Subhash Chandra Bose at Port Blair	100
2597.	पी०सी०एस० संवर्ग के अधिकारियों की आई० ए० एस० संवर्ग में पदोन्नति / Promotion of Officers of P.C.S. Cadre to IAS Cadre	101
2598.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासियों हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिये आवंटन पर कटौती का प्रभाव / Effect of cut on programmes for Drought prone Areas, Backward Areas and tribals ..	101
2599.	पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर / Post office in backward and hilly areas	101–102
2600.	टेलीफोन उपकरणों का निर्माण / Manufacture of telephone instruments	102
2601.	छोटे उद्यमकर्ताओं के आवेदन पत्रों के निपटान के लिये पूंजीगत वस्तुओं संबंधी समिति / Capital Goods committee to deal with applications to Small Entrepreneurs	102
2602.	राज्यों में विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को रोजगार / Employment of local people in various Establishments in States ..	103
1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1582 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting reply to U.S.Q. No. 1582 dated 1-8-1973 ..	103
अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
सुलतान पुर के निकट बिना चौकीदार वाले एक रेल फाटक पर पुलिस क एक ट्रक और यात्री गाड़ी की टक्कर होने का समाचार	Reported collision between Police Truck and Passenger train at an unmanned level crossing near Sultanpur	103
श्री आर० के० सिन्हा	Shri R.K. Sinha	103
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N Mishra	104
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न तथा प्रक्रिया	Re. Motion for Adjournment Query and procedure	107–108

तारांकित प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 108–111
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	... 111
	नौसेना (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Navy (Amendment) Bill As Passed by Rajya Sabha	... 111
	विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced	.. 111
	(एक) बर्न कम्पनी और इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबंध, ग्रहण) विधेयक	Burn Company and Indian Standard wagon Company (Taking over of Management)Bill	 111–112
	(दो) एलकोक एशडाउन कम्पनी (उपक्रमों का ऊर्जन) विधेयक	Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of Undertakings) Bill	 112–113
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	113
	मोदी फ्लोर मिल्स के गोदामों में गेहूं का भंडार नष्ट किये जाने के बारे में समाचार	Reported destruction of wheat stocks in Godowns of Modi Flour Mills Delhi	 113–114
	भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Second Amendment) Bill	 114
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	114
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	114
	श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	... 115
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	... 115
	श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A.P. Sharma	 116
	श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	... 116
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनगर्ठन के बारे में चर्चा	Discussion Re. Reorganisation of ICAR	 116
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	 116–118
	श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shr Shyam Sunder Mohapatra	118–119
	श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	119–120
	श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	 120–121
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	... 121–122
	श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	... 122–123
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 123–124
	श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	... 124
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	 124–125

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	श्री के० लकप्पा	Shr K. Lakkappa	125
	श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	125
उर्वरकों की उपलब्धता		Availability of Fertilisers ..	125–126
	आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	126
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	126
	श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan ..	128
	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde ..	130

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 28 नवम्बर, 1973/7 अग्रहायण, 1895 (शक)
Wednesday, November 28, 1973/Agrahayana 7, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

श्री लंका की नेशनल स्टेट एसेम्बली के अध्यक्ष हिज एक्सीलेंसी मि० टिल्लेकारेटने तथा मिसेज टिल्लेकारेटनें का स्वागत

Welcome to H. E. Mr. Tillekaratne, Speaker of Sri Lanka and Mrs. Tillekaratne

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से श्री लंका की नेशनल स्टेट एसेंबली के अध्यक्ष हिज ऐक्सीलेंसी मि० स्टेन्ले टिल्लेकारेटने और मिसेज टिल्लेकारेटने का स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हुआ है। वे हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर हैं। वे इस समय विशेष अतिथि कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके ठहरने की सुखद और सफल कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम श्री लंका की संसद, सरकार तथा जनता को अपनी शुभ कामनायें भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डाक विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति

***242. श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की संख्या अपेक्षित में है; और

(ख) गत दो वर्षों में डाक विभाग में, खंडवार, कितने व्यक्तियों की भरती की गई तथा उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें इन दोनों जातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते।

(ख) प्रथम श्रेणी की सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के जरिये केन्द्रीकृत आधार पर की जाती है। द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में भी भर्ती महानिदेशालय में केन्द्रीकृत आधार पर की जाती है। 31-12-71 और 31-12-72 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में जितने पदों पर भर्ती की गई, उनकी संख्या नीचे दी जाती है : –

	1971			1972		
	योग	अ० जा०	अ०ज०जा०	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०
प्रथम श्रेणी	24	2	1	22	3	—
द्वितीय श्रेणी	2	—	—	2	—	—

इन दो वर्षों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो पद भरे गये हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5824/73]

श्री जी० वाई० कृष्णन् : उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि 18 प्रतिशत का कोटा पूरा किया गया है अथवा नहीं। यदि पूरा नहीं किया गया तो इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कोटा पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अधिकांश मामलों में कोटा भर दिया गया है केवल कुछ तकनीकी पदों को, जिनके लिये योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, भरा नहीं गया है।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यह उल्लेख किया गया है कि उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण पदों को नहीं भरा जा सका है। यह वही घिसा-पिटा जवाब है। मैं दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। बंगलौर और मैसूर के डाकखानों में 25 फरवरी, 1973 और नवम्बर, 1972 को कस्वा इंस्पेक्टरों के 11 पदों के लिये परीक्षायें हुई थीं। उन सब रिक्त पदों का अनसूचित जातियों के लिये रिक्त पदों के रूप में विज्ञापन दिया गया था। लेकिन उनके अनुसार कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुआ था। इन 11 पदों को आगे नहीं बनाये रखा गया। उन्हें सामान्य पूल को वापिस कर दिया गया। अतः यह उत्तर कि उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण पदों को न भरा गया, संतोषजनक प्रतीत नहीं होता।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यदि किसी वर्ष आरक्षित कोटे को भरने के लिये योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो आरक्षित कोटा अगामी तीन वर्ष तक बनाये रखा जाता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that as the qualified candidates are not available, the posts reserved for scheduled castes are vacant. I want to know the number of posts vacant in this Department. I want to know whether any arrangements have been made to give technical training to the people so that those vacant posts may be fulfilled. I want to know whether it is a fact that as the examiners are not from the scheduled castes the people from scheduled castes do not have the opportunity to progress.

Shri Jagannath Pahadia : It is not correct. We have created a cell in our Department which sees that in case scheduled castes and scheduled triebs candidates are not available in required number, these posts reserved for them would be fulfiled. Full attention is paid to them in the matter of examinations too. As I have already stated that in case qualified candidates are not available to fill up the reserved quota, the reservation is carried forward for subsequent three years.

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been answered.

Mr. Speaker : A special Question No. 251 is being asked in this regard.

श्री धामनकर : उक्त पदों को इस आधार पर नहीं भरा गया कि उनके लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। क्या सरकार इस संबंध में अपनी नीति का पुनरीक्षण करेगी और एक विशेष सैल की, जैसा कि रेलवे में स्थापित किया गया है

स्थापना करेगी और इस बात का प्रयास करेगी कि उक्त पदों पर उपयुक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाये ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मंत्रालय में पहले ही विशेष सैल है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : From the statement placed on the Table of the House it appears that even class IV posts reserved for scheduled castes and scheduled tribes have not been fulfilled. For instance 151 posts have been fulfilled out of 608 posts in U.P. I want to know whether scheduled castes candidates are not available for even class IV posts and whether any special qualification is required for such posts ?

Shri Jagannath Pahadia : Their percentage quota has been fulfilled. So far as qualification is concerned, great attention is paid with respect to scheduled castes candidates. We can appoint only those candidates who come through Employment Exchange. Even then we will take this matter into consideration.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अल्प क्षमता वाले राज्यों को सहायता

*243. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उन राज्यों को, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तथा जिनके पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये अल्प क्षमता है, सहायता देने के लिये एक नया ढांचा तैयार किया है ;

(ख) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध में ऐसे राज्यों के साथ विकसित राज्यों की अपेक्षा भिन्न व्यवहार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लि केन्द्रीय सहायता की प्रक्रियाओं और प्रणालियों सहित, पांचवीं योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटित करने की जो कसौटी निर्धारित की जायेगी उसके बारे में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् से परामर्श कर लिये जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने न तो 'हां' कहा है और न 'नहीं' । क्या इसका अर्थ यह है कि एक योजना तैयार कर ली गई है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् से परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा ? यदि हां, तो परियोजना के बारे में इस समय योजना आयोग का क्या विचार है ?

श्री मोहन धारिया : ये सभी मामले विचाराधीन हैं । जहां तक न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम का संबंध है केन्द्रीय सरकार चाहेगी कि यह विशिष्ट कार्यक्रम हो । यद्यपि यह राज्य के क्षेत्र में होगा, राज्य की योजनाओं में होगा तथापि वे चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि समुचित रूप से खर्च की जाए और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाये ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उन राज्यों के नाम क्या हैं जो चौथी योजना में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं और कौन-कौन से राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं ? क्या योजना आयोग को इस बात का संतोष है कि जो राज्य अतिरिक्त संसाधन जुटा कर अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं वे वास्तव में ऐसा करने में असमर्थ थे ?

श्री मोहन धारिया : मैं सभा की जानकारी हेतु राज्यवार जुटाये गये संसाधनों से संबंधित एक वक्तव्य सभापटल पर रख सकता हूं । सभी राज्य सरकारों को 1098 करोड़ रुपये की राशि जुटानी थी और चौथी योजना में संसाधन जुटाने में लगभग 87 करोड़ रुपये की कमी हो गई है ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या यह सच पद्धति में विभिन्न राज्यों को न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के लिये धन देने में गाडगिल सूत्र लागू किया गया है ? दूसरे, क्या सरकार ने न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के अंतर्गत धन आवंटित करते समय राज्य की जनसंख्या, राज्य का आकार और राज्य के पिछड़ेपन पर विचार किया है ?

श्री मोहन धारिया : न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम कुछ मानदंडों पर आधारित है। इस कार्यक्रम का संबंध मुख्यतया प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण कार्यक्रम तथा गांवों में सड़कें आदि से है । स्वाभाविक ही है कि ऐसे राज्य और क्षेत्र जहां ये कार्यक्रम अभी तक आरंभ नहीं किये गये हैं वहां राज्य के पिछड़ेपन अथवा जनसंख्या पर विचार किये बिना यह योजना लागू की जायेगी । इस कार्यक्रम का शायद यही विशिष्ट गुण है । गाडगिल सूत्र चौथी योजना के लिये था। पांचवीं योजना के लिये केन्द्रीय सहायता का आधार और प्रक्रिया क्या होनी चाहिये, इसका निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् के परामर्श से किया जायेगा जिसकी बैठक 8 और 9 दिसम्बर को दिल्ली में होने वाली है ।

श्री डी० एन० तिवारी : इन योजनाओं से बहुत से राज्यों को लाभ नहीं हो सकेगा क्योंकि वे अन्य राज्यों के समकक्ष संसाधन नहीं जुटा सकते हैं । क्या योजना आयोग और सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे राज्य जो अपने पिछड़ेपन अथवा प्रति व्यक्ति कम आय के कारण इतने अधिक संसाधन नहीं जुटा सकते हैं उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ उठाने योग्य बनाया जाये ।

श्री मोहन धारिया : यह न केवल माननीय सदस्य की यथार्थ चिंता है अपितु समूचे देश की है । इसी दृष्टि से हमने न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम आरंभ किया है ताकि पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके । जहां तक संभव होगा, पांचवीं योजना में यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा जायेगा कि अधिकांश लाभ ऐसे राज्यों और क्षेत्रों को मिले जो अपनी निर्धनता के कारण संसाधन नहीं जुटा सकते हैं ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो राज्य अधिक विकसित नहीं है उन्हें सहायता देने हेतु नया मानदंड बनाने में विभिन्न राज्यों के पिछली योजना के कार्यकरण को ध्यान में रखा जायेगा । यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी कि जो राज्य चौथी योजना में अच्छा कार्य नहीं कर सकें उन्हें पांचवीं योजना में अधिक अच्छा कार्य करने योग्य बनाया जाये ?

श्री मोहन धारिया : मैंने राज्यों के कार्यकरण के बारे में कुछ नहीं कहा है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम ऐसे सभी राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहेंगे जहां कार्यकरण श्रेष्ठतर हो सके।

इन्डियन आक्सीजन लि० का राष्ट्रीयकरण

***244. श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को आल-इंडिया इण्डियन आक्सीजन एवं एसिटीलीन एम्पलाईज फेडरेशन, कलकत्ता से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक भी इसी प्रकार की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांगों पर विचार किया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को आल इण्डिया इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन एम्पलाईज फेडरेशन, कलकत्ता की ओर से एक समृति-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल संसदीय परामर्श समिति की बैठक में किये गये विचार विमर्श का हवाला दिया गया है ।

(ग) इण्डियन आक्सीजन लि० का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडियन आक्सीजन लिमिटेड एक ब्रिटिश कम्पमी, जिसका नाम ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड है, की एक सहायक कम्पनी है और इसका उत्पादन देश के गैस के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत होगा जो चिकित्सा, रक्षा संबंधी प्रयोजनों और हवाई जहाजों के चलते रहने के लिये आवश्यक है, क्या मैं जान सकता हूं कि ज्ञापन में उठाई गई विशेष बातों, जिन्हें पश्चिम बंगाल की संसदीय सलाहकार समिति में उठाया

था, पर सरकार ने विचार क्यों नहीं किया और इसके अतिरिक्त समूचे भारत के कारखानों में बुरे औद्योगिक संबंधों के कारण उत्पादन में गिरावट आ रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मांग को क्यों अस्वीकार किया ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह कम्पनी, वास्तव, में 1958 में भारत सरकार के कहने पर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बदली गई थी और इस समय इस कम्पनी के 34 प्रतिशत शेयर भारत के निवासियों के पास है । क्षमता के संबंध में यह सही है इस समय गैस के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा किया जाता है । एकाधिकार समाप्त करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि नये एकक स्थापित किये जायेंगे । लगभग 150 आशय-पत्र जारी किये गये हैं; 1974 में 39 एकक बनने वाले हैं और यह आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के अन्त में 1978 तक जब देश में आक्सीजन का कुल उत्पादन लगभग 120 मिलियन क्यूबिक मीटर होगा तो इंडियन आक्सीजन लिमिटेड का अंश 33.3 प्रतिशत होगा । इस कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये की गई कार्यवाही को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझती ।

डा० रानेन सेन : मेरी आखिरी बात का मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उत्पादन में गिरावट आ रही है क्या औद्योगिक संबंधों के कारण उत्पादन में गिरावट आ रही है । मंत्री महोदय उसका भी उत्तर दें ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि आशय-पत्र जारी किये गये हैं । इसमें काफी समय लगेगा । इसी बीच सारा उत्पादन और वितरण ब्रिटिश कम्पनी में निहित होगा जो वास्तव में विदेशी निहित स्वार्थों द्वारा चलाई जा रही है । इसका राष्ट्रीयकरण करने में क्या मैं नहीं समझता । आशय-पत्रों और अन्य बातों के बारे मे मैं इसे समझ सकता हूं । परन्तु उसमें 4 या 5 या 6 या 10 वर्ष तक लम्बा समय लग सकता है इस देश में ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग का सरकारीकरण करने में सरकार को क्या बाधा आ रही है ?

औद्योगिक विकास, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हम इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के लिये ही वह नीति नहीं अपना सकते हैं । भारत में चल रही विदेशी कम्पनियों के संबंध में हमारी एक नीति है । हाल ही में संसद में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था जिसके अनुसार इन पर नियन्त्रण लागू किये जायेंगे माननीय सदस्य का यह तक सरकार द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है कि इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के संबंध में हमारी पृथक राष्ट्रीकरण होनी चाहिये । जहां तक उत्पादन के पहलू का संबंध है और जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है । दूसरी ओर उनकी सुधरी हुई कार्यकुशलता के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

प्रो०मधु दण्डवते : यद्यपि वर्ष 1973-74 में हमारे देश में आक्सीजन की अनुमानित आवश्यकता 750 लाख क्यूबिक मीटर है और इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता 703 लाख क्यूबिक मीटर है और इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के खराब प्रबन्ध और फिर औद्योगिक संबंध भी खराब होने के कारण अधिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी और इस संयंत्र का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय कर लिया है ?

श्री सी०सुब्रह्मण्यम् : जहां तक पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संबंधों की बात है उनका इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के साथ कोई संबंध नहीं है । अनेक परियोजनाओं के जब औद्योगिक संबंध बिगड़ जाते हैं तब हमें राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है और मैं आशा करता हूं कि कम से कम राष्ट्रीयकरण के बाद औद्योगिक संबंधों में सुधार होगा । परन्तु श्रम संबंधों का बिगड़ना किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं बन सकता ।

प्रो० मधुदण्डवते : मैंने अधिष्ठापित क्षमता के अप्रयुक्त रहने का भी उल्लेख किया है जो बहुत ही सम्बद्ध भाग है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यदि औद्योगिक संबंधों के कारण उत्पादन में कमी हुई है तो वह बिल्कुल अलग बात है । इण्डियन आक्सीजन का उत्पादन वर्ष 1968 से 198 लाख क्यूबिक मीटर था और वर्ष 1972 में 358 लाख क्यूबिक मीटर था । अतः यह कहना कि उत्पादन में कमी हुई है, आंकड़ों से सिद्ध नहीं होता ।

प्रो० मधु दण्डवते : अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और अप्रयुक्त क्षमता कितनी है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : औद्योगिक संबंध खराब होने क कारण उत्पादन में कमी हो सकती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह संभव है कि उत्पादन में समुचय कमी न हुई हो परन्तु क्या यह सच नहीं है कि समय समय पर तालाबन्दियों अथवा हड़तालों के कारण उत्पादन में गम्भीर अस्तव्यस्तता हो जाती है। क्या यह भी सच नहीं है कि हाल ही में स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि सरकार को भारत के रक्षा नियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी करना पड़ा जो इण्डियन आक्सीजन कम्पनी के कुछ एककों पर लागू हुआ था और यदि यह बात ठीक है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस महत्वपूर्ण उद्योग के संबंध में, जो रक्षा प्रयोजनों, चिकित्सा प्रयोजनों और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये गैस सप्लाई करता है, सरकार कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहती जिससे उसकी जांच की जा सके या उसको अपने नियंत्रण में लिया जा सके या कम से कम इस कम्पनी के 'नान-रेजिडेंट' शेयरों को, जिनका इस पर नियंत्रण है कम किया जा सके और सरकार कुछ न कुछ अपना नियंत्रण लागू कर सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैंने पहले बताया है राष्ट्रीयकरण या प्रबन्ध में सरकार के लिये नियंत्रण से औद्योगिक संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। भारत रक्षा नियमों आदि को लागू करने का प्रयोजना श्रम संबंधों में सुधार करना है क्योंकि प्रबंधकों की गलती या श्रमिकों की गलती के कारण ही तालाबन्दी या हड़ताल होती है। यदि ऐसे मामलों में हम राष्ट्रीयकरण करने लगें तो यह निश्चित है कि सब जगह ऐसी स्थिति पैदा की जायेगी जहां सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और शायद राष्ट्रीयकरण के बाद हम उत्पादन की स्थिति में बिल्कुल न हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह उपक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें उत्पादन अस्तव्यस्त हो जाने से अनेक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं--रक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर रोक लगा दी जाती और अस्पतालों में सामान्य कार्य नहीं हो पाता। इसलिये वह इसकी अन्य उद्योगों के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इसीलिए श्रमिकों को अनुशासन का ध्यान रखना चाहिये और अशान्ति नहीं पैदा करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब उन्होंने जांच कर ली फिर केवल श्रमिकों को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है ?

पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बिना इमारतों के स्कूल

***245. श्री आर० वी० बड़े** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कितने स्कूल इमारतों के बिना चल रहे हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार का विचार स्कूलों की इमारतों के लिये राज्यों को कितना धन देने का है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिये कोई विशेष अनुदान निश्चित नहीं किये गये हैं। किन्तु आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक व्यय का 12 प्रतिशत, शैक्षणिक तथा समवर्गीय योजनाओं पर जिनमें भवन निर्माण सम्मिलित है, व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय की प्रारंभिक शिक्षा प्रसार परियोजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ कक्षा के लिये कमरे बनाने के लिये राज्य सरकारों को धनराशि दी गई है। इस योजना से पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों को भी लाभ होगा।

Shri R. V. Bade : I would like to know whether Government will earmark grants for construction of building of schools in future ? Is there any such proposal ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The policy of the State Government appears to be that less amount may be spent on buildings as compared to other items. Block loans or grants are given for educational purposes to the State Government. After that it is for the State to see that how much amount is to be allocated for education and how much for the teachers ? They have to formulate their own policies keeping in view the conditions of the State. It is not the policy of the Government to give specific grants for primary schools.

Shri R.V. Bade : He had stated that 12 per cent is given to every State for educational purposes. May I know whether hon'ble Minister is aware to that 12 percent grant is spent on the appointment of teachers and 25 per cent of this amount is not spent on buildings. As a result thereof the children have to study under the trees. In view of this whether he would ask the State Governments to spend a particular amount on construction of school buildings ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not the policy of Central Government to force the State Governments to spend a particular amount on construction of buildings The hon'ble member has rightly pointed out that there are many schools especially in backward areas, where there are no school buildings. But the State Governments should themselves realise and decide that how much amount should be spent on teachers and how much on construction of buildings.

श्री डी० बसुमतारी : क्या सरकार का कोई ऐसा तंत्र है जो इस बात का पता लगाये कि जो धनराशि उन्होंने मंजूर की है वह आदिवासी विकास खण्डों में शिक्षा के विकास के लिये उचित ढंग से खर्च की गई है या नहीं क्योंकि शैक्षणिक विकास के लिये अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी विकास खण्डों पर धनराशि के उपयोग का विस्तृत मामला उठाया है । इस प्रकार की जांच करने के हमारे कई तरीके हैं कि धन का उचित उपयोगहु आ है या नहीं और हमें पूरी आशा है कि अधिकांश मामलों में वह धनराशि ठीक ढंग से खर्च की जाती है । राज्य सरकारें निश्चय ही इस बात के लिये उत्सुक हैं कि आदिवासी विकास खण्ड सफल हों ।

Shri Narsingh Narain Pandey : I would like to know whether there is any scheme in the fifth Five Year Plan to construct maximum number of primary school buildings in backward and tribal areas especially in the areas where the children have to study under the trees or in the open ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Provision of this programme also includes the programme of construction of buildings. It depends on the State Governments do decide as to how much amount is to be incurred on the construction of buildings and how much amount is to be incurred on other works. I don't think issuing any instructions to the states in this regard would be in accordance with the system we have adopted in regard to formulatings chemes and the implementation.

Shri Mohammad Ismail : It is clear from the statement of the hon. Minister that Government have no scheme to instruct the state governments to earmark certain amount for the construction of buildings. We have got information from all the states, and it is a fact, that the amount given for buildings is not utilised for the same purpose. May I know, therefore, whether Government to propose to formulate a scheme under which State Governments could be directed to reserve a certain amount for buildings and they should be asked to construct buildings necessarily for the schools of scheduled tribes ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have arleady said we don't intend to give any specific directions to the State Governments. They spend as much amount on buildings as is considered appropriate for the purpose.

श्रीमती एम० गौडझे : हमारे देश में भोजन के अतिरिक्त दूसरी आवश्यकता शिक्षा की है । क्या मंत्री महोदय विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं ?

जिस प्रकार सरकार नगरों को सुन्दर बनाना चाहती है क्या उसी प्रकार छात्रों के लिये उपयुक्त वातावरण बनाना चाहती है जिससे छात्र स्कूलों में जाना पसंद करें तथा हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्या के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं । किन्तु समस्या यह है कि पांचवीं योजना के दौरान दाखिल होने वाले छात्रों के लिये तथा वर्तमान स्कूलों के लिये इमारतों की व्यवस्था करने पर हमें लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे तथा अपने सीमित साधन को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होगा कि इमारतों पर कितनी धनराशि खर्च की जाए तथा कितनी धनराशि शिक्षकों और शिक्षा सुविधाओं पर की जाये ।

Shri Ramsingh Bhai : In view of inability of providing buildings due to the paucity of funds may I know whether Government propose to direct the State Governments to keep the educational institutions closed during the rainy season and not in summer ?

Shri Ram Niwas Mirdha : State Governments have their different schemes regarding summer vacation and monsoon vacation according to the environmental conditions.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a good suggestion. Kindly consider it.

Shri Ram Niwas Mirdha : Certain states have already adopted it. Vacations have been exercised by the State Governments according to their local conditions. The suggestion of the hon. Member is good and I hope she would certainly consider this aspect also.

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या बहुत अधिक है क्या सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि में स्कूलों, अस्पतालों की इमारतें बनाने तथा उनके लिये अन्य सुविधायें देने के लिये कोई विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न अन्ततोगत्वा पहले ही प्रश्न का रूप ले लेता है । उत्तर भी अलग अलग रूप में दिया जाता है किन्तु जानकारी वही है । मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वहां क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं । यदि वह विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य खड़े ही हैं : श्री एस० बी० गिरी ।

श्री एस० बी० गिरी : मंत्री महोदय ने कहा है कि भवन निर्माण के लिये अनुदानों के अतिरिक्त आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति जैसे अनुदान भी दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : छात्रवृत्ति का प्रश्न तभी उठेगा जब इमारतें होंगी ।

श्री एस० बी० गिरी : मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अध्ययन कर रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या अधिक है क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे राज्यों को जहां आदिवासी तथा पिछड़े हुए वर्गों के लोग रहते हैं तथा जिन्होंने अपनी मांग प्रस्तुत कर दी हैं, अधिक अनुदान देने का है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुझे यह भी देखना पड़ता है कि प्रश्न संगत है अथवा नहीं । इस प्रश्न में पर्याप्त संगति नहीं है । फिर भी यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं इसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैट्रिक से आगे पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्र वृत्ति संबंधी एक महत्वपूर्ण योजना है । छात्रवृत्ति की वर्तमान राशि बहुत कम है और यह बहुत दिन पूर्व निर्धारित की गई थी । स्वयं माननीया प्रधान मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि इसमें वृद्धि होनी चाहिये । मैंने छात्र वृत्ति की राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये योजना आयोग से बातचीत की है ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर इतना अधिक समय लिया गया है फिर भी इतने अधिक माननीय सदस्य खड़े हैं । श्री रामावतार शास्त्री ।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker Sir, in view of the intention shown by the Government to take special steps for the development of Tribal areas may I know the nature of difficulty which prevents the Government to take up the building construction programme to provide them educational facilities ? What is the difficulty in providing them special amenities in the field of education also ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Paucity of funds is main difficulty. Therefore, we are bound to think over whether more funds should be spent on teachers or on the construction of schools. It has, thus, been decided that any decision in this respect should be taken by the local administration by themselves.

Shri Madhu Limaye : The replies of the hon. Minister shows his helplessness in this matter. But I want to draw his attention to the article 164 of the constitution. The said article provides a special minister for the states of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa. Under the provisions of article 339 central Government have got a right to issue directions to such states. In this context may I know whether the hon. Minister would like to write a letter to the ministers of Tribal Welfare in the above mentioned three States asking them to spend more funds on the building construction particularly, in my constituency ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

Shri Madhu Limaye : I have specifically asked as to whether he would write a letter.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is not a matter of constitutional obligation on the Government but it is a matter of policy as to whether we are supposed to give directions or not. There are, besides buildings, several other points on which directions may be issued. But it has been thought more appropriate that this matter should be decided by the States in the same way as the percentage of amount to be incurred on the various items including education under the Tribal Development Blocks is decided by the State Governments.

तमिलनाडु में पृथकतावादी आन्दोलन

*246. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री पुरुषोत्तम कोडकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु के संबंध में श्री ई० वी० रामस्वामी नायकर के पृथकतावादी आन्दोलन के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर तमिलनाडु सरकार से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) ऐसे आन्दोलन के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां । श्रीमान । तमिलनाडु की सरकार से कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने की संभाव्यता पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है ।

Shri Ram Avtar Shastri : According the law of the land, the idea of division of the country amounts to treachery. Now as the hon. Minister has stated just now that he has written to that Government in this regard. I would like to know as to when he wrote and whether or not he has asked the Government of Tamil Nadu to take quick action in this matter. If so, whether that Govt. has sent any reply and if any reply has been received what is that ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमने तमिलनाड सरकार को 24-11-73 को पत्र लिखा था । हमें तमिलनाडु सरकार से अभी कोई उतर प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Ram Avtar Shastri : Have you got any information to the effect that a separatist movement was carried on even after you had written to Tamil Nadu Government; If so, whether you have taken any action in between? May I know wheher you propose to hold talks with Shri Ramaswami Naiker and his party and tell him that their activity was against the interest of the country and they should abstain from it ?

Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dikshit): From the last part of the question why don't we talk to Shri Ramaswami Naiker and bring him round, it appears that the hon. Minister is very optimistic in nature and also that he is not verywell aware of the historical character of Shri Ramsawami Naiker. Recently his 95th birth day has been celebrated, he has grown very old and has developed some fear about his future. And he has said that he was not aware whether he would live even a year more and therefor he wanted to sermonise that the Indian society was too much contained by Brahminism etc. Now, we, on our part, don't want react in this connection nor do we deem it fit to give so much importance to what he has said. The old gentleman has been doing all that through out his long life. Also he publishes a daily paper 'Vidutlai' in which he goes on writing one thing or the other as and when he likes to the effect that Tamil Nadu should be separated. We have had correspondance with him earlier also; there was a legal case also against him as an individual but adequate importance was not given to the court verdict also. Tamil Nadu Government is also of the opinion that undue importance should not be given to this matter.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Have the Government received any information to the dffect that Shri Karunanidhi had held some talks with Shri Naikar in this matter ?

Shri Uma Shankar Dikshit : No Sir, we have not received any information.

Shri Shanker Dayal Sharma : A separatist movement in any part of the country is not at all desirable. I want to know whether any foreign agency is working behind this movement or any help is being received ?

Shri Uma Shanker Dikshit : We are not sure about it. It may be or may not be so.

प्रतिभा पलायन

***247. श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिभा पलायन की समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये हैं; और

(ख) इस संबंध में कितनी सफ़लता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) रोजगार के सुअवसरों को उन्नत करते हुए 'प्रतिभापलायन' रोकने के लिये सरकार निरंतर विचार कर रही है । इस दशा में पहिले ही किये गये उपायों का विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5825/73]**

(ख) वैज्ञानिक पूल ने 5,448 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डाक्टरों आदि को देश में बसाने के लिये सहयोग प्रदान किया है, जिसमें से 350 विदेश नहीं गये थे । आशा की जाती है कि वर्तमान योजना के अंतिम चरणों में रोजगार स्थिति एवं सुअवसरों के प्रसार के साथ तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जिन बातों का अनुमान लगाया गया है, के प्रसार के साथ विशिष्ट योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों के रोजगार की परिस्थिति में अग्रिम उन्नति होगी ।

श्री एम० कतामुत्तु: अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने समस्या की गहनता का स्पष्ट चित्र पेश नहीं किया है । इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये क्या सरकार ने प्रतिभा पलायन संबंधी तथ्य एकत्रित किये हैं और यदि हां, तो उन वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की संख्या कितनी है जो कि विदेशों में काम कर रहे हैं; तथा क्या यह सच है कि जो भारतीय नौकरी की खोज में विदेशों में जा रहे हैं वे इसलिये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें रोजगार के

उपयुक्त अवसर तथा समुचित वेतन आदि देने में असफल रही है; और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमें सही संख्या तो मालूम नहीं है परन्तु विदेशों में कार्य कर रहे लोगों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के छात्र, प्रशिक्षणार्थी, तकनीशियन, वैज्ञानिक आदि शामिल हैं । लगभग 30,000 व्यक्ति विदेशों में कार्य कर रहे हैं जिनमें से सर्वाधिक व्यक्ति शायद अमरीका में हैं । अधिकांश लोग वहां उच्च प्रशिक्षण पाने जाते हैं और प्रशिक्षण पाने के बाद वहीं पर ही उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती हैं और वे वहीं पर कार्य करने लगते हैं । अब प्रश्न यह है कि उन्हें वापस देश में आने के लिये आकर्षित करने के लिये देश में ही नौकरियों के अवसर प्रदान किये जायें; और हम इस दिशा में विभिन्न कदम उठा रहे हैं और उनका वर्णन सभा पटल पर रखे गए विवरण में किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना बना रहे हैं जिसके अनुसार योजना आयोग द्वारा स्वीकृत स्तर पर यह सुनिश्चिय करना संभव हो सकेगा कि केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना को ही कम से कम एक लाख नये वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों को रोजगार दिया जा सकेगा । इस लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें आशा है कि हम न केवल उनको रोजगार दे सकेंगे जो कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से निकलेंगे बल्कि विदेशों में कार्य करने वाले बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकियों को भी आकर्शित कर सकेंगे क्योंकि उनके लिये देश लौटने के लिये नौकरियों के पर्याप्त अवसर तथा चुनौतियां होंगी । मैं सभा को यह सूचना दे सकता हूं कि यदि उन्हें नौकरियों के अवसर दिये जायें तो इन में से बहुत वैज्ञानिक और टेक्नोलोजिस्ट्स देश वापस लौटने को तैयार हैं भले ही उन्हें यहां कम ही धनराशि मिले ।

श्री एम० कल्यासुन्दरम् : क्या मंत्री महोदय के अनुसार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप हाल ही में विदेशों में नौकरियों के लिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी हुई हैं । यदि हां, तो क्या हमें इस संबंध में आंकड़े मिल सकते हैं । इस विवरण की मद संख्या 14 की क्रियाविधि के फ़लस्वरूप क्या कुछ शिक्षित और अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को वापस जाने के लिये आकर्षित भी किया जा सका है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मद संख्या 14 के अन्तर्गत एक गुट योजना हाल ही में तैयार की है और इसके परिणाम जानने के लिये हमें कम से कम दो महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । प्रतिवर्ष विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताने के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री विक्रम महाजन : यह एक बड़ा प्रशंसनीय उद्देश्य है किपांचवीं योजना के दौरान हम नौकरियों के इतने अवसर उपलब्ध कर पायें कि विदेशों में गये हुए हमारे लोग वापस आने को आकर्षित हों । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय भारत में कितने वैज्ञानिक बेरोजगार पड़े हैं और पांच वर्ष बाद उनकी संख्या कितनी होगी और विदेशों से लोगों को वापस बुलाने से पहले इन वैज्ञानिकों को खपाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों, जैसा कि उन्हें हम कहते हैं, जो कि बेरोजगार हैं अर्थात् एम०एस० सी० तथा इससे ऊपर, की संख्या 16,000 से 20,000 है । जहां तक इंजीनियरों का संबंध है 31 दिसम्बर, 1972 तक के रिकार्ड के हिसाब से उनकी संख्या 22,000 है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं , नहीं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : इस के अतिरिक्त कुछ अन्य डिप्लोमा धारी भी हैं जिनकी संख्या 50,000 के लगभग है । निम्न श्रेणी के अन्तर्गत डिप्लोमा धारियों के अतिरिक्त, जहां तक उच्च अर्हता-प्राप्त इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों का संबंध है, बेरोजगारों की संख्या इतनी ही है । हम आशा कर रहे हैं कि हम उन सब को ही खपा सकेंगे और उन लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे जोकि विदेशों में कार्य कर रहे हैं या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या इस आशय का कोई मूल्यांकन किया गया है कि देश से प्रतिभा पलायन का कारण भारत में अनुसंधान के अवसरों की कमी है या अच्छे रोजगार की कमी है ? यदि पहली बात है तो क्या सरकार यहां अनुसंधान के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये कदम उठायेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैंने यही उत्तर दिया था यह सब कुछ यहां अवसरों की कमी के कारण है। और यह भी कारण है कि विदेशों में उच्चशिक्षा तथा अच्छे भविष्य बनाने के अवसर अधिक हैं। हमें उन्हें वापस आने के लिये आकर्षित करना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने अपने मुख्य उत्तर में एक विवरण दिया है जिसमें यहां प्राप्त विभिन्न अवसरों का ब्यौरा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य प्रश्न से कुछ हट कर उत्तर दिया है। क्या यह सच नहीं है कि इन नवयुवक, प्रतिभाशाली तथा प्रखर बुद्धि लोगों में से अधिकांश इसलिये नहीं भारत वापस आ रहे हैं कि यहां पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। बल्कि इसलिये भी नहीं आ रहे हैं कि यहां जो कुछ भी अवसर उपलब्ध हैं उनके लिये भी पक्षपात और भाई भतीजावाद बरता जा रहा है और इन वैज्ञानिकों आदि को इस प्रकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जिसकी शिक्षा वे विदेशो में पाकर आये हैं ? सरकार इस स्थिति को कैसे नियंत्रित करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं निश्चय ही यह स्वीकार करता हूं कि हमें बेहतर परिस्थितियों, एक वैज्ञानिक वातावरण तथा यहां वैज्ञानिकों के लिये कार्य करने हेतु वैज्ञानिक स्वतंत्रता का वातावरण पैदा करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को यह मालूम है कि हमने अपने वैज्ञानिक संस्थानों के ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये काफी निर्णय लिए हैं। परन्तु उनका यह एक सामान्य वक्तव्य है कि हर ओर केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है जिसका अर्थ सारे देश के चरित्र को दूषित करना है. . (**व्यवधान**) जबकि यह सच हो सकता है कि कुछ सीमा तक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है, फ़िर भी माननीय सदस्य ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे कि सारा वातावरण खराब समझा जाये और काम करने वाले लोगों के बीच बाधा बने। अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जोकि न केवल कार्य कर रहे हैं बल्कि माननीय सदस्य द्वारा बताये गये वातावरण के बावजूद वे लोग बड़े बड़े परिणाम निकाल चुके हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ऐसी नीतियां देश में कितने समय से चल रही हैं और कार्य के दौरान इन नीतियों का क्या रुख रहा ? दूसरे, चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में विदेशों में कार्य कर रहे इन व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह रुख गत चार-पांच वर्षों से है; 5000 के लगभग लोग देश वापस आ चुके हैं और उन्हें रोजगार की स्थिति उपलब्ध करा दी गई है। मुझे खेद है कि चौथी योजना से संबंधित आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, यह मूल-प्रणाली काफी समय से विद्यमान है।

जहां तक दूसरी बातों का संबंध है; ये उस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना का एक अंग है जो कि हमने तैयार की है। अभी कुछ मास पूर्व ही हमने उनको क्रियान्वित किया है।

श्री के०मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार के खर्च पर कितने वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये भेजा गया है और उन में से कितने वापस आये हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इसके लिये अलग से सूचना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

***248. श्री सेझियान**

श्री जी० विश्वनाथन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के दौरान तमिलनाडु में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये, और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन देने में असाधारण विलम्ब होता है; और

(ग) यदि **हां**, तो इसके **क्या** कारण हैं और कनेक्शन शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तमिलनाडु डाकतार सर्किल और मद्रास टेलीफोन जिले में वर्ष 1972-73 के दौरान जितने कनेक्शन दिये गये और जितनी अर्जियां अनिर्णीत थीं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

दिये गये कनेक्शन	10523
अनिर्णीत अर्जियां	15399

(ख) और (ग) तमिलनाडु डाकतार सर्किल में लम्बी दूरी के टेलीफोन कनेक्शनों की अर्जियों को छोड़ कर, जिन पर कनेक्शन देने में काफी साज-सामान की जरूरत होती है, बाकी जो भी अर्जियां आयी हैं, उनमें से अधिकांश अर्जियों पर टेलीफोन कनेक्शन बिना ज्यादा विलम्ब के दे दिये जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लम्बी दूरी के कनेक्शनों की उन अर्जियों पर भी, जो साल से ज्यादा अर्से से अनिर्णीत पड़ी हैं, मार्च, 1974 तक कनेक्शन दे दिए जायें ।

मद्रास टेलीफोन जिले में 30-9-1973 को 'ओ०वाई०टी०' योजना के अन्तर्गत सिर्फ 220 अर्जियां अनिर्णीत पड़ी थीं। यहां तक कि ज्यादातर एक्सचेंजों में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत भी एक साल से ज्यादा अर्से से कोई अर्जी अनिर्णीत नहीं पड़ी है। सिर्फ तीन एक्सचेंज ऐसे हैं, जहां सामान्य श्रेणी में टेलीफोन की अर्जियां इस से अधिक अर्से से अनिर्णीत पड़ी हैं। कमोबेश अगले दो वर्षों में अम्बत्तूर, केलोस और माउंट रोड एक्सचेंजों का विस्तार हो जाने पर, आशा है कि सामान्य श्रेणी में टेलीफोन देने में इस समय जितना समय लगता है, उस से कम समय में टेलीफोन दिये जा सकेंगे ।

श्री सेझियान : टेलीफोन कनेक्शन देने में असामान्य विलम्ब के बारे में न केवल मद्रास नगर में अपितु मुफसिल्ल केन्द्रों जैसे कोयम्बत्तूर तिरुरे, धन्जावुर और मदुचि के बारे में भी क्या सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि अपने स्वामित्व वाली योजना के अंतर्गत ही टेलीफोन दिये जायेंगे और सामान्य वर्ग के लोगों को टेलीफोन नहीं दिये जायेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मद्रास केन्द्र तथा तमिलनाडु के अन्य भागों की स्थिति सुधारने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : चालू वर्ष में हमने मद्रास टेलीफोन जिले की क्षमता को 6000 लाइनों से बढ़ाने का और पांचवीं योजना में पूरे तमिलनाडु में 70,000 लाइने बढ़ाने का निर्णय किया है ।

श्री सेझियान : 6000 लाइनों की योजना कब बनी थी और इनक कब तक चालू होने की संभावना है। पूरे तमिलनाडु के लिये 70,000 लाइनों को पांचवीं योजना में क्रमिक ढंग से लिया जायेगा और अगली योजना में प्रतिवर्ष कितनी नई लाइनें लगाई जायेंगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे खेद है मैं समझ नहीं सका ।

श्री सेझियान : आपने बताया कि मद्रास नगर में 6000 नयी लाइने चालू की जायेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी योजना कब बनाई गयी थी और मद्रास नगर में इसे कब चालू किया जाएगा तत्पश्चात पूरे तमिलनाडु में पांचवीं योजना के दौरान 70,000 लाइनों के बारे में वर्षवार कितनी लाइने चालू की जायेंगी ।

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : वर्ष 1974-75 के दौरान कलमन्दपय, अडयार और केल्लीस केन्द्रों में 4800 नयी लाइनें दी जायेंगी। वर्ष 1975-76 में 3300 नयी लाइनें दी जायेंगी। पूरे मद्रास के लिये 70,000 लाइनों में से 59,000 लाइनें दी जायेंगी और 11,000 सुरक्षित रखी जायेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु की स्थिति अच्छी है ।

श्री था० किरुतिनन : क्या यह सच है कि तिमलनाडु में बहुत से टेलीफोन कनेक्शन उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। मुझे भी टेलीफोन विभाग द्वारा सूचना की गई है मेरे निवास स्थान पर टेलीफोन उपकरणों की कमी के कारण नहीं लगाया जा रहा है। यदि यही बात है तो तमिलनाडू के लिये उपकरणों की मांग कितनी थी और चाल वर्ष में तमिलनाडु में कितने उपकरण दिये गये ?

श्री राज बहादुर : संसद सदस्यों को आम तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। इसमें यदि कोई कठिनई है तो मझे इस पर ध्यान देना होगा अपने स्वामित्व वाली 1313 की सूची में 16 में से 11 केन्द्रों में 1973 का वर्ष चल रहा था। इस का अभिप्राय यह है कि इस व्यवस्था के अधीन सभी मांगे 30-9-73 तक पूरी कर दी गई थी। बाद के दो महीनों में 220 आवेदन पत्र और जमा हो गये हैं और उन्हें यथा शीघ्र पूरा किया जायेगा। ओ०वाई०टी० के अतिरिक्त सामान्य वर्ग में 11216 आवेदन पत्रों में से अधिकांश एक्सचेंजों में 31 मार्च को एक वर्ष का अन्तर था। मध्य-पूर्व, मध्य-पश्चिम, मध्यवरम, पूना मल्ले, रेड हिल्स के केन्द्र में सामान्य प्रतीक्षक सूची क्रम 5 अप्रैल, 1973, 5 अप्रैल, 1973, 4 जून, 1973, 20 फरवरी, 1973 तथा 11 जुलाई, 1973 तक पूरी कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य : वह मद्रास नगर के बारे में नहीं कह रहे हैं। मदुरै के बारे में कह रहे हैं।

श्री राज बहादुर : उसके बारे में भी और यदि उपकरणों की कोई कठिनाई है तो उस ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री था० किरुतिनन : मैंने पूछा था कि कनेक्शनों में विलम्ब उपकरणों के न मिलने के कारण था और यदि हां तो कितने उपकरणों की मांग थी और कितने उपकरण दिये गये थे।

किन्हीं मामलों में उपकरणों की कठिनाई थी। हम इस कमी को यथा शीघ्र पूरा कर देंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पर होने वाला व्यय

*249. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) अब से पेंशन देने पर मासिक व्यय कितना होगा ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकृत पेंशनों का निश्चित व्यय ज्ञात नहीं है क्योंकि महालेखाकारों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु पेंशन स्वीकृत करने के लिये 1972-73 के दौरान 1 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी और 1973-74 के लिये 15 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

15 नवम्बर 1973 तक पेंशन स्वीकृत करने के लिये 6,1442 मामलों का अनुमोदन किया गया है। इनमें मासिक व्यय लगभग 92 लाख रुपये होने की संभावना है। अधिक मामले अनुमोदित होने पर यह राशि और बढ़ जायेगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशनों की अदायगी पर व्यय किये गये धन के बारे में 12 महालेखाकारों की सूचनाएं हमें प्राप्त हो गई हैं। क्योंकि पूरक प्रश्नों के लिये समय नहीं बचा है इसलिये मैं स्वयं सभा के लिये उपयोगी जानकारी दूंगा। उन 12 राज्यों द्वारा वर्ष 1972-73 में 23.67 लाख व्यय किया गया। वर्ष 1973-74 में सितम्बर, 1973 में 2.44 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही निदेश दे दिया है कि समय नहीं बचा।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें से कितने निपटाये गये तथा शेष कब तक निपटाये जायेंगे ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : 15-11-73 तक 172888 आवेदन पत्र नयी योजना के अधीन पेंशनों की अदायगी के लिये प्राप्त हुए थे। 1,41,798 आवेदन पत्रों का अध्ययन कर लिया गया है। 61444 मामलों में पेंशन दे दी गई है और 23,392 मामले रद्द कर दिये गये हैं। 56962 मामलों में व्यक्तियों एवं राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। 31090 मामलों का अभी तक अध्ययन किया जाना है। यह बताना संभव नहीं है कि कब तक सभी आवेदन पत्रों का निपटारा कर दिया जायेगा क्योंकि आवेदन पत्र अभी भी मंत्रालय में आ रहे हैं। यह सम्बद्ध व्यक्तियों के स्पष्टीकरणों एवं राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर भी निर्भर करता है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : उन्हें शीघ्र ही पेंशन मिलनी चाहिये अन्यथा वे मर जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता के मामले की जांच

*250. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आज तक इस जांच के क्या परिणाम अथवा उपलब्धियां प्राप्त हुई ?

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) हड़ताल और तालाबन्दी के कारण उपक्रम की कलकत्ता स्थित बिजली के पंखे और सिलाई की मशीनें बनाने वाले एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आई है । आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि इस प्रकार के हालातों के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 17-10-73 को एक जांच समिति नियुक्त की है । समिति से 12 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम

*251. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुल जनसंख्या के साथ अनुसूचित जातियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कोई धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में 65 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

(ख) देश में 11 अनुसंधान संस्थान हैं । ये संस्थान इन समुदायों की समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान कर रही हैं ।

टेलीविजन विभाग को आकाशवाणी से अलग करके एक पृथक एकक बनाना

*252. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्यासूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन विभाग को कब तक आकाशवाणी से अलग करके एक पृथक एकक के रूप में स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या टेलीविजन विभाग के लिये अलग से स्थान का प्रबन्ध किया जा रहा है और यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है ;

(ग) टेलीविजन विभाग को एक अलग एकक बनाने के लाभ या उपयोगिता क्या है; और

(घ) इस पर कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) दोनों माध्यमों में कार्यक्रमों के नियोजन एवं निर्माण और तकनीकी क्षेत्र में निहित विभिन्न दक्षताओं और प्रविधियों और अपेक्षित विभिन्न ढंगों को ध्यान में रखते हुए, टेलीविजन ढांचे को आकाशवाणी से पृथक करने का सिद्धांतया निर्णय ले लिया गया है। प्रस्तावित पुनर्गठन के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) इसमें अन्तर्निहित खर्चे का अनुमान बताना समय से पूर्व होगा।

जालन्धर में आयोजित अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन

*253 **श्री राम भगत पासवान :**
श्री समर गुह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1973 को अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन जालंधर में आयोजित किया गया था;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5826/73]**

(ग) जिस प्रस्ताव में सरकार से समाचार पत्रों को 'उद्योग' घोषित करने का अनुरोध किया गया है, उसे औद्योगिक विकास मंत्रालय को विचार किये जाने हेतु भेज दिया गया है। अन्य प्रस्ताव या तो अखिल भारतीय समाचार-पत्र संपादक सम्मेलन से ही संबंधित हैं या राज्य सरकारों से।

देश में बने या आयातित इलैक्ट्रोनिक्स उपकरणों की प्रतिशतता :

*254. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री विश्व नारायण शास्त्री :

क्या **इलैक्ट्रानिक्स मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित इलक्ट्रोनिक्स उपकरणों और आयात किये जाने वाले उपकरणों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं और क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

प्रधानमन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1972-73 के दौरान देश में प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक उपस्कर का कुल मूल्य 200 करोड़ रुपये तक पहुंचा, इसमें से 162 करोड़ रूपये (81%) के उपकरण देश में उत्पादित किये गये तथा शेष का आयात किया गया।

(ख) चतुर्थ योजना अवधि में, रेडियो, टी०वी० सेटों, टेप रिकार्डर उपकरणों, परिकलित्रों आदि के उत्पादन के लिये बड़े तथा छोटे क्षेत्र दोनों को अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। सूक्ष्मतरंग एवं रडार उपस्कर, दूर-संचार उपस्कर, अभिकलित्र आदि जैसे क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता या तो विद्यमान यूनिटों के विस्तरण से अथवा सरकारी क्षेत्र में नये यूनिटों की स्थापना के माध्यम से पर्याप्त रूप से बढ़ी है। इन प्रयासों के फ़लस्वरूप, नागरिक तथा रक्षा दोनों प्रयोजनों के लिये देश में इलैक्ट्रोनिक्स उपस्कर का उत्पादन 1969-70 में 110 करोड़ रुपये की तुलना में 1972-73 में 162 करोड़ रुपये तक बढ़ा।

पल्प मिल्स का बिहार से असम को स्थानान्तरण

*255. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में रामेश्वर नगर (दरभंगा) से असम ले जाये गये संयुक्त अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड ने विदेश से एक पेपर मिल का आर्डर दिया है जो दरभंगा में अधिष्ठापित किया जायेगा, जबकि रामेश्वर नगर में पहिले ही से अधिष्ठापित पल्प तथा पेपर मिल्स को उखाड़कर असम में ले जाया जायेगा, यदि हां, तो इन कार्यों को पूरा करने तथा उत्पादन आरम्भ करने की निश्चित समय सूची क्या है;

(ख) क्या रामेश्वर नगर में पहिले से ही अधिष्ठापित पेपर मिल को नहीं रहने देकर वहां से केवल पल्प मिल को असम स्थानान्तरित करने और असम में उतनी ही क्षमता का अन्य पेपर मिल अधिष्ठापित करने का विचार है; और

(ग) बिहार सरकार कितना व्यय वहन करेगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। अशोक पेपर मिल्स लि० ने विदेश से एक 90 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले कागज का एक संयंत्र मंगाने का आर्डर दे रखा है जिसे जोगीघोपा (असम) में लगाया जायेगा। रामेश्वर नगर (बिहार) में स्थापित लुग्दी मिल को अब असम में स्थानान्तरित कर दिया गया और जिसका प्रतिदिन 120 मी० टन बांस की लुग्दी तैयार करनेके लिये विस्तार किया जा रहा है। कागज बनाने की मशीन रामेश्वरनगर में ही रहने दी गई है। मशीनें लगाने का कार्य 1974 के मध्य में पूरा हो जायेगा और तभी उत्पादन होने लगेगा।

(ख) रामेश्वर नगर में लुग्दी बनाने की मिल तो असम में ले जाई जा चुकी है लेकिन पहले से लगी कागज मिल रामेश्वर नगर में ही रहेगी जो रामेश्वरनगर में ही तैयार की गई चिथड़ों लुग्दी से 40 मी० टन कागज और असम स्थित कारखाने से मिलने वाली बांस की लुग्दी से 30 मी० टन कागज प्रतिदिन तैयार करेगी।

(ग) बिहार सरकार (ईक्वटी) पूंजी के रूप में 57 लाख रुपयों का योगदान करेगी।

बम्बई में अंग्रेजी के दैनिक समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि

*256. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में अंग्रेजी के दैनिक समाचारपत्रों के मूल्य में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समाचार पत्रों की मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) 'फ्री प्रेस जरनल' तथा 'इंडियन एक्सप्रेस' के प्रकाशकों ने बम्बई से प्रकाशित होने वाले अपने अंग्रेजी दैनिकों का मूल्य 1 नवम्बर, 1973 से बढ़ा दिया है। जाहिर है मूल्य में यह वृद्धि अखबारी कागज की बढ़ी हुई कीमत, अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि और सेवाओं पर बढ़े खर्च के कारण अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये की गई है।

(ग) सरकार समाचारपत्रों को पेश आने वाली कठिनाइयों से परिचित है और यह आशा व्यक्त करती है कि प्रकाशक मूल्य बढ़ाते समय पाठकों के हितों को भी ध्यान में रखेंगे।

कलपक्कम परमाणु और बिजली संयंत्र में 'इन्डोर स्विचयार्ड'

257. **श्री के० लकप्पा**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र में एक 'इनडोर स्विचयार्ड' होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वायु दूषण के कारण तारापुर संयंत्र में बार-बार व्यवधान होने जैसी घटनायें नहीं होंगी;

(ग) क्या इस स्विचयार्ड का निर्माण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कलपक्कम में इनडोर स्विचयार्ड का निर्माण-कार्य चल रहा हैं तथा उसके अक्तूबर, 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

सरकारी मुद्रणालयों और अन्य विभागों में कागज की कमी

*258. **श्री सतपाल कपूर**

[श्री एम० एस० पुरती :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालयों और अन्य सरकारी विभागों में कागज की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या कागज की अत्यधिक कमी के कारण वित्त मंत्रालय और डाक-तार विभाग के राजस्व अर्जक महत्वपूर्ण फार्मों की छपाई में विलम्ब हो गया है; और

(ग) क्या कागज की कमी का कारण कागज मिलों द्वारा पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय के साथ किये गये अपने करार संबंधी दायित्वों को पूरा न करना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री० सी सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) जी, हां । फार्मों आदि के छपने में कुछ विलम्ब बताया गया है तथा अंशता यह कागज की कमी के कारण हुआ है ।

(ग) कागज की मिलों द्वारा अपनी स्वीकृत समय सूची का अनुपालन न करने से सरकारी विभागों तथा मुद्रणालयों में कागज की कमी हो गई है ।

कपड़े के उत्पादन के लिए समन्वित कार्यक्रम तैयार करने हेतु वस्त्र समिति की समीक्षा

*259. **श्री प्रभुदास पटेल**

[श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल (टास्क फोर्स) को पांचवीं योजना के दौरान कपड़े के उत्पादन लिये समन्वित कार्यक्रम तैयार करने हेतु वस्त्र नीति की विस्तृत समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने योजना तैयार कर ली है;

(ग) वह कब तक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सूती कपड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति समीक्षा करने और पांचवीं योजना अवधि के दौरान इसके विकास के समन्वित कार्यक्रम के बारे में सिफारिश करने के लिये योजना आयोग ने सूती कपड़ा उद्योगों पर एक अभियानदल (टास्क फोर्स) गठित किया है । आशा है कि आगामी दो महीनों के अन्दर यह अपनी रिपोर्ट दे देगा ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मारे गये कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगियां

*260 श्री श्रीकिशन मोदी

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मारे गये कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परिवारों को पेंशन भी मिलेगी ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) तथा (ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियो (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) के, जो नक्सल पंथियों और अन्य उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न कानून व व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने में पश्चिम बंगाल प्रशासन की सहायता करते हुए अपने कर्तव्यपालन के दौरान मारे जाते हैं, परिवारों को, प्रत्येक अलग अलग मामले में 10,000 रु० के मुश्त अनुदान के भुगतान करने का अधिकार दिया है।

इसके अतिरिक्त, किसी स्थान पर कार्यवाही में मारे गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों के, उनके पद का ध्यान न करते हुए, निकट संबंधी को, 5,000 रु० (2,500 रु० परोपकारी निधि से और 2,500 रु० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कल्याण निधि से) तक की आर्थिक सहायता और दस वर्ष के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कल्याण निधि से 150 रु० मासिक वृतिका दी जाती है।

(ग) उपरोक्त एकमुश्त अनुदान के अतिरिक्त, परिवार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू संबंधित साधारण अथवा असाधारण पेंशन उपदान (ग्रेच्यूटी) नियमों के अधीन विद्यमान लाभों के अधिकारी हैं ।

दिल्ली पुलिस की वायरलैस व्यवस्था

*261. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की वायरलैस व्यवस्था छुट्टियों में बन्द रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इसी व्यवस्था का अनुकरण किया जाता है ?

गृह मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय इंजीनियरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का गठन

2403 श्री के० कोडंडा रामीरेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय इंजीनियरी तथा भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को गठित करने के केन्द्र के प्रयास असफल हो गये हैं ;

(ख) इस असफलता के कारण क्या हैं और ऐसी सेवाओं को गठित करने के प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव से सहमत न होने वाले राज्य कौन-कौन से हैं तथा उन राज्यों द्वारा क्या कारण प्रस्तुत किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [न्यायालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5857/73]

Setting up of P. C. Os. in Villages of East Nimar District

2404. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the villages in East Nimar District of Madhya Pradesh which have been making a demand for setting up Public Call Offices constantly for the last five years; and

(b) the action taken in this regard ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : The names of villages which have been making demands for setting up of P.C.Os. in East Nimar District during the last five years is given below :—

(i) Jawar
(ii) Chegaon
(iii) Jaswadi
(iv) Ichhapur
(v) Loni
(vi) Kodrod
(vii) Ahmedpur
(viii) Rustampur
(ix) Bhadurpur
(x) Piplod
(xi) Baldi
(xii) Hyderpur
(xiii) Kalmukhi
(xiv) Khaknar
(xv) Nimbala
(xvi) Gudi Kheda
(xvii) Dawana

(b) The following action was taken by this Department on these demands :—

(i) Public Call Offices sanctioned and opened :—

(1) Jawar
(2) Chegaon
(3) Ichhapur
(4) Jaswadi
(5) Loni
(6) Kodrod

(ii) Public Call Offices which are sanctioned but are yet to be opened :—

(1) Ahmedpur
(2) Rustampur
(3) Bahadurpur

(iii) Proposals rejected as not found full filing the required conditions :—

(1) Piplod
(2) Baldi
(3) Hyderpur
(4) Kalmukhi

(iv) Proposals under examination :—

(1) Khaknar
(2) Nimbala
(3) Gudikheda
(4) Dawana

Grant of Pension to Freedom Fighters from East Nimar District

2405. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of applications for pension received from freedom fighters from East Nimar District in Madhya Pradesh;

(b) the number of applications approved for pension and the number of those rejected or which are still under consideration, separately; and

(c) the time by which all the applications received from freedom fighters for pension, will be disposed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b)

(i) No. of applications received	68
(ii) No. of applications approved	31
(iii) No. of applications rejected	16
(iv) No. of cases still under consideration	21

(c) It is not possible to indicate when all the applications will be disposed off. The disposa will depend on how far the applications yet to be examined are complete in all respect and how soon the applicants furnish the required information in case of incomplete applications.

हरिजनों/पिछड़ी जाति के लोगों के लिए मकान

2406. श्रीमती कृष्णा कुमारी

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हरिजनों/पिछड़ी जाति के लोगों के लिये अब तक कितने रिहायशी मकान बनाये गये हैं और आगामी योजना अवधि में कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) आवंटन किस आधार पर किया गया है और भविष्य में करने का विचार है; और

(ग) ऐसे मकानों की अनुमानित लागत क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क)से(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

रांची में औद्योगिक एककों में घाटा

2407. श्री एस० एस० मुरूतो : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित औद्योगिक एककों को बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण करोड़ों रुपया का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः मास में हुए घाटे की ठीक ठीक मात्रा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केवल बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी विद्युत नियंत्रण तथा अन्य कारणों, जैसे प्रत्यक्ष कामगरों की कमी, कच्चे माल की उपलब्धि में कमी/असंतुलन आदि से रांची में मशीनी औजारों, ट्रान्सफार्मर इस्पात की ढली वस्तुओं, लोहे तथा इस्पात की गढ़ी वस्तुओं लोहे और इस्पात की छड़ों तथा क्रेन के उत्पादन में कुछ हद तक कमी हुई है ।

(ग) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने इस समस्या पर क्षेत्रीय बिजली सम्मेलन में विचार किया था जिसमें तत्काल उपायों एवं पांचवीं योजनावधि में की जाने वाली कार्यवाही के विषय में सिफारिशें की गई हैं। इनमें आमतौर से प्राथमिकता के आधार पर विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाना तथा बिल्कुल खराब पड़े एककों की मरम्मत करना सम्मिलित है। कुछेक मामलों में पड़ोस के आधिक्य विद्युत शक्ति वाले क्षेत्रों से बिजली उधार लेकर कमी को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिये गठित मंत्रिमंडल समिति द्वारा भी इस मामले पर निरन्तर पुनर्विचार किया जा रहा है। राज्य की बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दीर्घकालिक उपायों में पांचवीं योजनावधि में चलाई जाने वाली नयी परियोजनाओं की स्थापना करना भी सम्मिलित है।

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, रुड़की के कर्मचारियों द्वारा मोटरचालित "जैक" का विकास

2408. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, रुड़की के कुछ कर्मचारियों ने मोटरचालित "जैक" का विकास किया है जो एक वैज्ञानिक उपलब्धि है;

(ख) क्या उक्त वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और इस क्षेत्र में किये गये कार्य की प्रशंसा में राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्र में की गई उपलब्धियों के अनुसार उनकी पदोन्नति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विभाग में कितने वैज्ञानिकों को पदोन्नत किया गया और कितने वैज्ञानिक अभी भी उसी ग्रेड में कार्य कर रहे हैं और उनको पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च केन्द्र, रुड़की के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ने मोटर संचालित एक जैक का विकास किया है जिसका वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1964 में उसने अपने निजी स्थिति में निजी तौर पर, प्रयोगशाला कार्य से अलग एक संरचना डिजाइन विकसित की थी। एस० ई० आर० सी० के निदेशक की सिफारिश पर आविष्कार संवर्धन मण्डल ने संरचना डिजाइन विकास पर किये खर्च का भुगतान कर दिया है।

(ग) वारिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर उसकी पदोन्नति सी०एस० आई०आर० का पंचवर्षीय योग्यता मूल्यांकन नियम के अन्तर्गत की गई है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना

2409. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न औद्योगिक एककों को कितने सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) फ़र्मों के और वस्तुओं के नाम क्या हैं, कितने उत्पादन की मंजूरी दी गई और क्या सिद्धांत अपनाये गये ;

(ग) हाल ही में उद्योगों के विविधीकरण के लिये कितनी प्रेस अधिसूचनायें और गजेट जारी किये गये हैं और उनमें से प्रत्येक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या वह इन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में 550 कार्य जारी रखने के लाइसेंस जारी किये गये थे। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन एण्ड आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज साप्ताहिक" "इण्डियन ट्रेड जर्नल" और मासिक "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशनों की इन प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को कार्य जारी रखने के लिये लाइसेंस उन्हीं उपक्रमों को दिये जाते हैं जिन्होंने औद्योगिक लाइसेंस मुक्त अवधि में क्षमता स्थापित की है और छूट को समाप्त करने के पश्चात लाइसेंस प्रावधानों से प्रभावित होते हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में दिनांक 16-2-1973 और 31-10-73 को दो अधिसूचनायें जारी की गई थी। दिनांक 16-2-73 की अधिसूचना के अनुसार नये उपक्रम पर्याप्त विस्तार अथवा विविधीकरण के लिये नियत परिसंपत्ति के 1 करोड़ रु० तक निवेश के औद्योगिक लाइसेंस से छूट की अनुमति है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत आने वाले विदेश बहुलांश वाली कम्पनियां और 5 करोड़ से अधिक नियत परिसंपत्ति वाले उपक्रम इसमें शामिल नहीं हैं। लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं और अपेक्षित विशेष विनियमन की वस्तुओं के बारे में छूट उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 31 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना के अनुसार लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के एककों को उक्त प्रकार की अनुमति है जिसको पूर्व लाइसेंस लिए बिना पूंजीगत माल की निर्बाधिता प्राप्त करने के लिये पूंजीगत माल का आयात करने की आवश्यकता है। फिर भी, यह सुविधा विशिष्ट उद्योगों को, जो कम प्राथमिकता वाले हैं, अथवा उपयुक्त क्षमता युक्त हैं, नहीं उपलब्ध होगी।

इन दो अधिसूचनाओं की प्रतियां अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न हैं। **[पंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5828/73]**

राज्यों में नियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में कुछ मुख्य मन्त्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य

2410. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, विशेषकर बिहार राज्य में, भ्रष्ट कार्यों में लगे पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन अधिकारियों के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त की है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकारें उचित कार्यवाही करेंगी अथवा उनके मामलों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी क्योंकि उन्होंने ही उन्हें राज्यों में नियुक्त किया है; और

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध राज्य सरकार ने आरोप बना लिये हैं और उनकी संख्या कितनी है जिन पर गत तीन वर्षों में मुकदमें चलाये जा चुके हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आतिथ्य अनुदान

2411. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के लिये आतिथ्य अनुदान लाखों रुपये का है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसका ब्यौरा क्या है; प्रतिवर्ष अनुदान की राशि क्या थी तथा प्रति वर्ष व्यय कितना हुआ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रालयों को मितव्ययता बरतने के लिये अपील की है और क्या योजना आयोग को भी यह अपील की गयी है; और

(ग) क्या इस अपील के बावजूद आयोग ने आतिथ्य अनुदान शीर्षक के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय को कम करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई कमी की गयी है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना आयोग में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1970–71, 1971-72 तथा 1972–73 में आतिथ्य के लिये विशेष बजट अनुदान की व्यवस्था नहीं थी । इन वर्षों में इस मद का वास्तविक व्यय सामान्य आकस्मिक व्यय के रूप में किया गया । इसका ब्यौरा यहां नीचे दिया गया है :–

वर्ष	व्यय	
1970–71	33,500	रुपये
1971–72	31,600	रुपये
1972–73	77,700	रुपये

(ख) जी, हां ।

(ग) योजना आयोग ने सरकारी तौर पर किये जाने वाले अतिथि-सत्कार के व्यय को कम करने के लिये कदम उठाये हैं । जहां तक संभव हो अब अतिथि-सत्कार यहां आने वाले केवल मंत्री तथा इससे बड़े पद के विदेशी महानुभावों का ही किया जाता है । साथ ही आमंत्रितों की मुलाकातों को कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है और सत्कार भी सादा किया जाता है । विदेशी महानुभावों के दौरों तथा विदेशों में किये जाने वाले औपचारिक दौरों को भी नियंत्रित किया जा रहा है ।

उद्योग सेवा संस्थान ओखला, नई दिल्ली में 'हीट फर्नेस के डिजाइन

2412. श्री क० लकप्पा

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला (नई दिल्ली) की वर्कशाप संस्था II के हीट ट्रीटमेंट सेक्शन के कार्मिक इन्चार्ज ने गत-तीन वर्षों में हीट फर्नेस के कोई डिजाइन तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और क्या ये डिजाइन पहले ही काम में लाये जा रहे डिजाइनों की अपेक्षा अधिक किफायती पाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ये डिजाइन बनाने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को कोई मान्यता दी है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 की अवधि में हीट ट्रीटमेंट फर्नेसों के चार डिजाइन तैयार किये गये थे। ये है डिजाइन सामान्यत: आज कल प्रयोग में आने वाले डिजाइनों की अपेक्षा अधिक बचतपूर्ण और सस्ते सिद्ध हुए हैं ।

(ग) अधिकारियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों का उल्लेख उनकी वार्षिक गुप्त रिपोर्ट में किया जाता है जिसका उनकी भावी पदोन्नति आदि के लिये विशेष महत्व होता है ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली की वर्कशाप नं० II के हीट ट्रीटमेंट सेक्शन का उत्पादन

2413. श्री के० लक्कप्पा

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला (नई दिल्ली) की वर्कशाप नं० II के हीट ट्रीटमेंट सैक्शन का उत्पादन मूल्य और कार्य के रूप में वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक प्रति वर्ष कितना था;

(ख) यह उत्पादन वर्ष 1969–70 की तुलना में कैसा था ; और

(ग) यदि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तो क्या संबंधित कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन या इनाम दिया गया और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क)

वर्ष	अर्जित राजस्व रुपयों में	कार्यों की संख्या
1969–70	16,661.00	352
1970–71	25,654.28	524
1971–72	31,786.00	652

(ख) वर्ष 1969–70 की अपेक्षा 1970–71 और 1971–72 के वर्षों का पण्यावर्त अधिक रहा है ।

(ग) अधिकारियों द्वारा किये गये उत्तम कार्य का वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है जिसका कि पदोन्नति के लिये महत्व होता है ।

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार

2414. श्री मार्त्तण्ड सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना पर कितनी लागत आयेगी और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) "पांच लाख रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप 213.28 लाख रुपये लागत की स्कीमों को स्वीकृति दे दी गयी है । इन स्कीमों से 21,636 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है । 49.13 लाख रुपये लागत की कुछ और स्कीमों की जांच हो रही है ।

अनुसूचित जातियों के इंजीनियरी स्नातकों को रोजगार देना

2415. श्री मार्त्तण्ड सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को मार्च, 1974 तक अनुसूचित जातियों को सभी इंजीनियरी स्नातकों को रोजगार देने हेतु द्रुत रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें भेजने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा क्या निर्णय किया गया है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक सभी बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को (जिसमें अनुसूचित जाति के इंजीनियरिंग स्नातक भी शामिल हैं) रोजगार सुलभ करने की दृष्टि से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने रोजगार स्कीमें तैयार कर ली हैं। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर इन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन स्कीमों के कार्यान्वयन की ठीक ठीक भौतिक प्रगति प्राप्त होगी ।केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे 'शिक्षित लोगों को पांच लाख रोजगार' की स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी स्नातकों को रोजगार पर रख लें।

मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड

2416. श्री मार्त्तण्ड सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में इस समय कितने आदिवासी विकास खंड हैं और वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ख) वर्ष 1973–74 में कितने नए खंड कहां-कहां खोले जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) इस समय मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आदिवासी विकास खण्डों की संख्या तथा उनके स्थान का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5829/73**]

(ख) 1973—74 के दौरान कोई नये आदिवासी विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में लघु उद्योग

2417. श्री मार्त्तण्ड सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में (रीवा क्षेत्र) में स्थापित लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है; और चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उन पर कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन के लिये, उद्योगवार, कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई अथवा ऋण दिया गया ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1969–70 से 1971–72 की अवधि में उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार के पास रीवा क्षेत्र के पिछड़े जिलों के 521 लघ एकक पंजीयित थे। इन एककों का पूंजी निवेश 66 लाख रु० रहा है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण

2418. श्री भागीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुच्छेद 350–क (प्राथमिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधा संबंधी उपबन्ध) के उपबन्धों को अनिवार्य बनाया जायेगा ताकि राज्य सरकारें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये संरक्षणों को प्रभावी बना सकें; और

(ख) मातृभाषा में शिक्षा देने और अल्प संख्यकों की भाषाओं के सरकारी कार्यों में प्रयोग के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) मातृभाषा में शिक्षा देने तथा सरकारी कार्यों के लिये अल्प संख्यकों की भाषा के प्रयोग के संबंध में वर्तमान सुविधायें अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों पर आधारित हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ वहां मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाओं का विस्तार करने की व्यवस्था है जहां एक कक्षा में 10 छात्र

और सारे विद्यालय में 40 छात्र अपनी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों। इसी प्रकार, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृ भाषा के माध्यम से उन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है जहां विद्यालय के कुल 60 छात्र और पिछली चार कक्षाओं में प्रत्येक से 15 छात्र अपनी मातृ भाषा के द्वारा शिक्षा की मांग करते हैं। जिला तथा उससे नीचे के स्तर पर जहां भाषाई अल्प संख्यकों की जन संख्या कुल जनसंख्या का 15–20 प्रतिशत है, महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस, नियम तथा अन्य प्रकाशन उस अल्प संख्यक भाषा में भी प्रकाशित किये जाने चाहिये। दूसरे, जिला स्तर पर जहां किसी जिले में 60 प्रतिशत जन संख्या सरकारी भाषा के अलावा किसी भाषा का प्रयोग करती है वह भाषा उस जिले के लिये अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में मानी जानी चाहिये। इस समय अन्य कदम उठाने का विचार नहीं है।

शिमला स्थित संवाददाताओं द्वारा भेजे गये महत्वपूर्ण समाचारों को उनके प्रकाशन से पूर्व राज्य सरकार को सप्लाई

2419. श्री भागीरथ भंवर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि शिमला स्थित संवाददाताओं द्वारा अपने-अपने समाचार पत्रों को भेजे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण समाचारों की प्रतियां स्थानीय तार अधिकारियों द्वारा उनके प्रकाशन से पूर्व राज्य सरकार को सप्लाई की जाती हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने और अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट डाक-तार विभाग की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से उद्योगपतियों को सहायता

2420. श्री भागीरथ भंवर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जटिल प्रक्रिया के कारण लघु उद्योग पति राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अवक्रय (हायर परचेज) की शर्तों पर मशीनों की सप्लाई के लिये दी जाने वाली सहायता का लाभ उठाने हेतु आकर्षित नहीं होते हैं; और

(ख) इस प्रक्रिया को सीधा और सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। वास्तव में विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दी गई मशीनरी की कीमत निम्न प्रकार थी :–

(लाख रु० में)

1968–69	449.40
1969–70	456.20
1970–71	555.39
1971–72	1070.01
1972–73	915.53

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनगणना में जाति का उल्लेख न किया जाना

2421. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनगणना में जाति का उल्लेख नहीं किया गया जिसके परिणाम-स्वरूप पिछड़ी जातियों के साथ अत्यधिक अन्याय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के आंकड़े एकत्र नहीं किये गये थे क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सरकार की नीति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के अलावा जिसकी कुछ संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये जरूरत थी व्यक्तिगत रूप से जातियों का पता करने की नहीं थी ।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत केरल में औद्योगिक परियोजनायें

2422. श्री वयालार रवि : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की उन औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वयन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है और इसका यूनिट वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक यूनिट के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में सरकार का जिन परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार है उन का ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ब्यूरो आफ़ एन्टरप्राइजेज, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :–

क्रमांक	उद्यम का नाम	क्रियान्वयन की जा रही परियोजना का ब्यौरा	अनुमानत कुल निवेश (करोड़ों में)	निर्माण कार्य में हुई प्रगति
1.	फरटिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स (ट्रावन्कोर) लिमिटेड	उद्योग मंडल के विस्तार की चौथी मंजिल	6.73	पूरा होने की अग्रवर्ती स्थिति
2.	–वही–	कोचीन फरटिलाइजर्स परियोजना प्रावस्था 11	38.00	लगभग 8 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है तथा संयंत्र और उपकरण पहुंचाना प्रारम्भ हो गया है ।
	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	कलमेश्वरी स्थित मुद्रण मशीनों के निर्माण की परियोजना	4.28	क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) पांचवीं योजनावधि में राज्य में पालघाट में केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा का एक नया एकक स्थापित किया जाना है । पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् केरल में पांचवीं योजनावधि में लगाये जाने वाली अन्य परियोजनाओं के ब्यौरों का पता चलेगा ।

कोचीन में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य

2423. श्री वयालार रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो, कोचीन ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दिये गये प्रेस वक्तव्य को प्रकाशित किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रेस वक्तव्य का पूरा विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद सम्बन्धी भर्ती नियमों में संशोधन

2424. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या **प्रधान** मंत्री स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति के बारे में 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8046 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हुआ है ;

(ख) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के लिये एक प्रथक सम्वर्ग बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपने संशोधित प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एक पृथक संवर्ग बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।
(ख) तथा (ग) इस मामले पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है ।

विभिन्न विभागों द्वारा आवेदन-पत्र प्रेषित किया जाना

2425. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से इंजीनियरी स्नातक देश में बेरोजगारी की हालत के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण, केन्द्रीय विद्युत आयोग और डाक तथा तार विभाग जैसे इंजीनियरी विभागों में ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जिनके लिये न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापन के उत्तर में अथवा विभाग से बाहर अन्य तरीके से भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या सीमित करने के लिये अब तक लगाई गई रोक को, उचित स्थिति का पता लगाने हेतु, हटाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इंजीनियरी विभाग में ऐसे पदों पर कार्य कर रहे इंजीनियरी ग्रेजुएटों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है जिनके लिये निर्धारित कम से कम योग्यता इंजीनियरी डिप्लोमा है, वास्तविक स्थिति मालूम करने के लिये इंजीनियरी विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है । आवेदन पत्रों को अग्रेषित किये जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गये विद्यमान अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे स्थायी और स्थायीवत् वैज्ञानिक तथा तकनीकी सभी कार्मिकों को बाहरी पदों के लिये आवेदन करने के लिये एक वर्ष में चार अवसर प्रदान किये जा सकते हैं । पूर्णत: अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने पर (जब तक कि किसी विशेष मामले में आवेदन पत्र को रोकने के लिये 'लोक हित' का बाध्यकारी आधार न हो), ऐसे मामलों को छोड़कर कोई पाबन्दी नहीं है, जबकि कोई विभाग/संस्था जो बिल्कुल अस्थायी हो या जबकि कोई ऐसा विभाग/संस्था भारी संख्या में वैज्ञानिक कार्मिक अस्थायी रूप में रखता हो जहां अस्थायी पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी वे पाबन्दियां लागू कर दी जाती हैं जो स्थायी और स्थायीवत्

कर्मचारियों के मामले में लागू होती हैं । ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें सरकारी खर्चे पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया हो और जिन्होंने निर्दिष्ट अवधि के लिये सरकार की सेवा करने का बांड भरा हो, बाहरी पदों के लिये उनके आवेदन पत्र अग्रेषित करने की अनुमति दी जाती है और जब ऐसे सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्धसरकारी संगठन के अधीन नियुक्ति हासिल कर लेता है तो उस सरकारी कर्मचारी द्वारा भरे गये बांड को उसके विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जाता बल्कि नये नियोजक (एम्प्लायर) की सेवार्थ उससे नया बांड भरवाना अपेक्षित होता है जिससे कि उसे दिये गये तकनीकी प्रशिक्षण पर हुआ खर्च व्यर्थ न चला जाये । एक और छूट यह दी गई है कि प्रतियोगिता/विभागीय परीक्षाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों के जवाब में अग्रेषित आवेदन-पत्रों को किसी वर्ष के दौरान मिलने वाले चार अवसरों की अनुमत्त संख्या की जगह गिनना जरूरी नहीं है ।

स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए, इंजीनियरों के मामले में बाहरी पदों के लिये आवेदन करने के लिये अवसरों की संख्या से संबंधित विद्यमान सीमा में और छूट देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

डाक-तार विभाग में प्रार्थना पत्रों का भेजा जाना

2426. श्री एस०डी० सोमसुन्दरम् : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी की स्थिति के कारण डाक एवं तार विभाग में अनेक इंजीनियरी स्नातक उन पदों पर कार्य कर रहे हैं जिनके लिये न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा निर्धारित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापन के उत्तर में अथवा, अन्यथा विभाग के बाहर उपयुक्त स्थिति जानने हेतु प्रार्थना पत्रों की संख्या को सीमित करने हेतु उन पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुछ इंजीनियरी ग्रेजुएट ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं जिनके लिए निर्धारित योग्यता में इंजीनियरी में डिप्लोमा की योग्यता शामिल है ।

(ख) डाक-तार विभाग सरकार द्वारा जारी की गई उन सामान्य हिदायतों का पालन करता है जो भारत सरकार के सभी विभागों पर लागू होती हैं । डाक-तार विभाग में इस संबंध में ढील देने के बारे में अलग से किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा हैं ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

2427. श्री गोविन्ददास रिछारिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, जिलावार ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध की गई हैं और उनकी संख्या कितनी है जिन्हें ये सुविधायें अब तक नहीं दी जा सकी;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में और डाकुओं से पीड़ित आगरा, इटावा, और मैनपुरी जिलों में किन-किन को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) उत्तर प्रदेश में 11992 गांव हैं और इनमें से 859 गांवों में टेलीफोन सुविधायें दे दी गई हैं । इनका उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र (अनुबंध–1) में किया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5830/73]**

(ख) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अभी स्वीकृति नहीं दी है । यह अस्थायी प्रस्ताव है कि देश में 5000 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जायें । अलग-अलग राज्यों में कितने-कितने सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जायेंगें, इसका अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

(ग) (i) बुंदेलखंड क्षेत्र में चार जिले शामिल हैं--झांसी, हमीरपुर, जालौन और बांदा। प्रत्येक जिले में जितने स्थानों पर टेलीफोन सुविधायें दी गई हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

झांसी जिला	12
हमीरपुर जिला	11
जालौन जिला	8
बांदा जिला	10

(ii) आगरा, इटावा और मैनपुरी जिलों से संबंधित ये ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

आगरा जिला	44
इटावा जिला	12
मैनपुरी जिला	14

ऊपर बताये गये जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा दी गई है, उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध-II) में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5830/73]**

अपने उत्पादों का निर्यात करने की शर्त पर विदेशी फर्मों को सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करना।

2428. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी पूंजी वाली विदेशी फ़र्मों को कोई सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फर्म को दिये गये लाइसेंस में कौन-कौन सी वस्तुएं शामिल की गई हैं ;

(ग) क्या इन लाइसेंसों में विदेशी ईक्विटी पूंजी को धीरे-धीरे कम करने और उत्पादन का कुछ प्रतिशत निर्यात करने की सामान्य शर्तें लगाई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सन् 1970, 1971 और 1972 में 50% से अधिक विदेशी 'इक्विटी' पूंजी वाली 12 विदेशी कम्पनियों को 13 काम चालू रखने के लाइसेंस दिये गये, इन कंपनियों के नाम विवरण में दिये गये हैं। ये लाइसेंस बिजली के उपकरण औद्योगिक मशीनरी, वाणिज्यिक कार्यालय व घर में काम आने वाले उपकरण, औद्योगिक उपकरण, रसायन (उर्वर को छोड़कर) व भेषज तथा औषधि निर्माण की वस्तुओं से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) काम चालू रखने के लिये लाइसेंस उन मौजूदा औद्योगिक उपक्रमों को जारी किये जाते हैं जोकि औद्योगिक लाइसेंस से छूट की अवधि में क्षमता स्थापित करते हैं परन्तु इस अवधि के बाद लाइसेंसिंग के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि काम चालू रखने के लाइसेंस की स्वीकृति वर्तमान क्षमता की सूचक होती है इसलिये जब तक विशेष परिस्थितियां न हों तब तक ऐसे मामलों में विदेशी पूंजी को कम करने तथा निर्यात करने की शर्तें नहीं लगाई जाती।

विवरण

1. अवेरी कं० आफ इंडिया लि०
2. इंजरसौल रैंड (I) प्रा० लि०
3. इंगलिश इलैक्ट्रिक क० आफ इंडिया
4. के० एस० बी० पम्पस लि०
5. एटलस कोए को इंडिया लि०
6. ए० बोक रोब्टस एण्ड कं० लि०

7. जे० स्टोन एण्ड कं० (इंडिया) प्रा० लि०
8. मै एण्ड बैकर (इंडिया) प्रा० लि०
9. आईरिंग स्मेलटिंग (प्रा०) लि०
10. अबोत लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि०
11. रीकी प्राडक्टस लि०
12. बोरोबस बेलकम्म एण्ड कं० (इंडिया) प्रा० लि०

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के चेंयरमैन के लिए रिहायशी स्थान

2429. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंशकालिक चेयरमैन 1050 रु० प्रति मास के मंजूर-शुदा किराये पर कार्यालय एवं निवास स्थान के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चेयरमैन के अनुरोध पर उनके लिये 2200 रु० प्रतिमास के किराये पर अधिक बड़ा स्थान लिया गया;

(ग) क्या चेयरमैन एक स्टेनोग्राफर, एक चपरासी के अधिकारी हैं और उन्होंने छः व्यक्तियों को नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेश बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें अधिकतम वेतन अनुसूची के 35 प्रतिशत की किराया-सीमा निःशुल्क आवास दिया जाना था जिसमें निगम के प्रबन्ध निदेशक के समकक्ष पद को वर्गीकृत किया गया है जिसके अनुसार वह 105 रुपये की किराया सीमा (अर्थात् 3000 रु० का 35 प्रतिशत) में आवास के हकदार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त निदेशक बोर्ड ने अपनी 31-5-1973 की बैठक में अध्यक्ष के आवास पर अंशकालिक अध्यक्ष की हैसियत के अनुकूल उपयुक्त कार्यालय की व्यवस्था करने का निश्चय किया था। तदनुसार अध्यक्ष के लिये आवास के कार्यालय का स्थान गेराज तथा नौकर के क्वार्टर सहित 2200 रुपये प्रतिमास किराये पर आवास का स्थान लिया गया था।

(ग) तथा (घ) अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें एक आशुलिपिक तथा एक चपरासी मिलना चाहिए था। अध्यक्ष पद पर कुशलता से कार्य करने के लिये निदेशक बोर्ड ने यह भी निश्चय किया था कि अध्यक्ष को निम्नलिखित कर्मचारी भी दिये जायें :-

(1) अध्यक्ष के सचिव	एक
(2) संपर्क एवं गोपनीय कार्य सचिव	एक
(3) अध्यक्ष के निजी सचिव	एक
(4) चपरासी	दो
(5) माली	एक
(6) चौकीदार	दो

कार्यालय व निवास के बगीचे तथा निगम की गाड़ी रखने के लिये गेराज की देखभाल करने के लिये एक माली तथा चौकीदारों का होना आवश्यक समझा गया था।

लश्कर, मध्य प्रदेश में राज्य सभा के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

2430. श्री शशिभूषण : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय पुलिस द्वारा लश्कर (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) में हाल में राज्य सभा के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया था तथा हतकड़िया पहनायी गयी थीं और जनता के सामने उसका अपमान किया गया था;

(ख) क्या भिंड (मध्य प्रदेश) निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा हस्तक्षेप करने और जमानत देने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था; और

(ग) गिरफ्तार किये गये उस संसद सदस्य के विरुद्ध कौन से विशेष आरोप हैं और उसके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को शिकायत कर्त्ता के कमरे को तोड़ कर खोलने तथा उसकी कानून की पुस्तकें व अन्य वस्तुयें ले जाने के आरोप में 28 सितम्बर, 1973 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454/380 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

किन्तु न तो उनको हथकड़ी लगाई गई न अपमान किया गया था। राज्य सरकार ने इस बात का भी खण्डन किया है कि उनको भिन्ड चुनाव क्षेत्र के सदस्य द्वारा हस्तक्षेप करने अथवा जमानत करने पर मुक्त किया गया था। बताया जाता है कि मामला न्यायाधीन है ।

Unrestricted Movement of Pakistani Nationals in Barmer, Rajasthan

2431. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether there is an unrestricted movement of Pakistani Nationals in Barmer (Rajasthan); and if so, the action proposed to be taken by Government to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Mohsin): The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिये गये ऋणों की वसूली

2432. श्री शशि भूषण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं से उनको दिये गये ऋणों की वसूली के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5831/73]**

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात की गई भारतीय फिल्में

2433. श्री शशि भूषण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर 1972 के रूपक फ़िल्मों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रारम्भ करने के पश्चात से अब तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है;

(ख) निर्यात की गई फ़िल्मों के नाम तथा उनके मूल्य क्या हैं और राज्य व्यापार निगम ने ये फिल्में किन देशों को निर्यात की; और

(ग) 1 नवम्बर, 1972 से 31 अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में विदेशों में कितने भारतीय फिल्म सप्ताहों का आयोजन किया गया तथा ये फ़िल्म सप्ताह किन-किन देशों में आयोजित किए गये और उन पर कितना व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 588.

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5832/73]**

(ग) 1 नवम्बर, 1972 से 31 अक्तूबर, 1973 तक ब्रिटेन, बलगारिया, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा मंगोलिया में 6 भारतीय फिल्म सप्ताहों का आयोजन किया गया था । उन पर कुल 65,180 रुपये 65 पैसे खर्च हुए ।

शिशु आहार, साबुन, टूथ पेस्ट तथा प्रसाधन सामग्री बनाने वाली विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच

2434. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय शिशु-आहार, साबुन, टूथ पेस्ट प्रसाधन सामग्री आदि का निर्माण करने वाली विदेशी स्वामित्व प्राप्त कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में जांच करने का आदेश देने जा रहा है;

(ख) क्या इन निर्माताओं द्वारा मूल्य निर्धारण तथा विपणन के बारे में की गई कथित धोखा-धड़ी की भी जांच की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच सम्भवत: कब आरम्भ की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विदेशिक स्वामित्व वाली कम्पनियों के कुछ मामलों के इन पहलुओं पर कम्पनी कार्य विभाग पहले से ही जांच पड़ताल कर रहा है ।

उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य सूचकांक में वृद्धि

2435. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों का मूल्य सूचकांक बढ़कर 296.7 हुआ है जबकि गत वर्ष यह 245.2 था;

(ख) क्या सभी पदार्थों का थोक मूल्य सूचकांक जो सितम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में 249.2 था, गत वर्ष की तुलना में 19.8 प्रतिशत अधिक था; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 8 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह का संशोधित सूचकांक 295.6 था ।

(ख) 8 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक कीमतों सभी वस्तुओं के संशोधित मूल्य सूचकांक 249.3 में पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के मूल्य की तुलना में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है; और

(ग) खाद्य वस्तुओं के अलावा अन्य समूहों के सूचकांक की पिछली वर्ष की तुलनात्मक सूचक संख्याएं निम्न प्रकार हैं :–

समूह	8–9–73 को समाप्त होने वाले सप्ताह की सूचकांक संख्यायें	9–9–73 को समाप्त होने वाले सप्ताह की सूचकांक संख्यायें	1972 की अपेक्षा 1973 में हुई वृद्धि का प्रतिशत
शराब और तम्बाकू	244.2	239.8	+ 1.8
ईंधन, बिजली, प्रकाश और लुबरीकेंट	194.4	178.7	+ 8.8
औद्योगिक कच्चा माल	290.9	196.9	+ 47.7
रसायन	213.1	199.2	+ 7.0
मशीनरी और परिवहन उपकरण	179.1	167.7	+ 6.8
उत्पादन	198.8	174.8	+ 13.7

सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने के लिये अनेक अभ्युपाय किये हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि करके कीमतों को नीचे लाया जा सके । प्रशासनिक खर्चों में कमी करने तथा अर्थ व्यवस्था में ऋण के फ़ैलाव को सामान्य करने की दिशा में भी अनेक अभ्युपाय किये गये हैं ताकि मुद्रा प्रसार के प्रतिकूल प्रभाव को हल्का किया जा सके ।

Resignation of Chairman of National Textile Corporation

2436. Shri Ramavatar Shastri
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Chairman, National Textile Corporation has resigned his post and Government have accepted the resignation; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) Shri K.P. Tripathi, Chairman, National Textile Corporation, resigned on account of a difference between him and his co-Directors in the National Textile Corporation during the meeting of the Board of Directors of the National Textile Corporation held on 18th August, 1973.

भारत में वनस्पति घी के कारखाने

2437. श्री अरविन्द एम० पटेल
श्री बेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में वनस्पति घी के कितने कारखाने चल रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने सहकारी और कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में बिनौलों से तेल निकालने वाले और विलायक निस्सारण तेल कारखानों की संख्या 184 है, इनमें से 8 सहकारी क्षेत्र में हैं और 176 गैर-सरकारी क्षेत्र में है ।

दूषित वातावरण के हानिकारक प्रभाव (कोरोसिव इफेक्ट्स आफ पोल्यूशन)

2438. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 सितम्बर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'स्टडी रीवाल्ज कोरोसिव इफेक्टस आफ पोल्यूशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है;

(ग) क्या सरकार ने इस समाचार की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) की गई खोजबीनों से पता लगा है कि कुछ धातुओं के क्षय (क्षरण) के परिणाम स्वरूप दूषित वातावरण होता है ।

(ग) और (घ) सैन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर से सरकार ने एक अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त किया है । अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, खरार के प्रबन्ध को सरकारी नियन्त्रण में लेना

2439. श्री पी० गंगादेव

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड को एक संकटग्रस्त कम्पनी घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है ।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) खरड टैक्सटाइल मिल, खरड़ चंडीगढ़, और पानीपत वूलन मिल, खरड जो चंडीगढ़ के निकट है तथा जो पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल कम्पनी लिमिटेड खरड (चंडीगढ़ के निकट से) संबंधित है, का प्रबंध संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबंध को हाथ में लेना) अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित है । उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्थगन आदेश के कारण इन उपक्रमों का अभी कब्जा नहीं लिया गया है ।

नक्सलवादियों की रिहाई सम्बन्धी मांग

2440. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्रोतों से नक्सलवादियों को रिहा करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों और संगठनों से इस बारे में प्रधान मंत्री को ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ग) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (घ) 14 नवम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने के मामले से मजदूरों को सम्बद्ध करना

2441. श्री प्रसन्नभाई मेहता

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने के मामले से मजदूरों को सक्रिय रूप में संबद्ध करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कार्यकारी निदेशक और नौ राष्ट्रीय संघों से एक एक प्रतिनिधि लेकर एक कर्णधार दल बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दल का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(ग) दल किन-किन मुख्य बातों का अध्ययन करेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) नई दिल्ली में अगस्त, 1973 में उत्पादकता तथा व्यापार संघ आंदोलन पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी से उत्पन्न कुछ प्रकरणों की जांच करने के लिये एक संचालन दल गठित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अध्यक्ष तथा प्रशासी निदेशक के अतिरिक्त 9 केन्द्रीय व्यापार संघों के एक एक प्रतिनिधि थे। संगोष्ठी में स्वीकृत विवरण रिकार्ड की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5833/73]**

संचालन दल की अभी तक दो बैठकें क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर, 1973 तथा 30 अक्तूबर, 1973 को हुई हैं।

दल की पहली बैठक में खाद्यान्नों तथा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने तथा उर्वरक व कृषि की अन्य औद्योगिक निविष्टियों का उत्पादन करने वाले उद्योगों तथा अधिकतम उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी। दल की दूसरी बैठक में संचालन दल ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की समस्याओं पर चर्चा की गई थी।

Employment for Registered Unemployed Persons in Bihar

2442. Shri Ishwar Chaudhry
Shri G.P. Yadav :

Will the Minister of Planning be pleased to state the efforts being made by Government to provide employment to the people registered with the various Employment Exchanges in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : The Government have undertaken several special employment programmes commencing from 1971-72 with a view to providing jobs to unemployed including those registered with the employment exchanges. During the current financial year an amount of Rs. 22.66 crores has been allocated to the State Government of Bihar for the continuing as well as new special employment programmes. The programme-wise allocation is as under :—

	(Rs. crores)
1. Programmes for educated unemployed initiated in 1971-72	6.88
2. Special Employment Programme initiated in 1972-73	2.75
3. Crash Scheme for Rural Employment initiated in 1971-72	4.53
4. Half-a-Millions Jobs Programme initiated in 1973-74	8.50
	22.66

Besides programmes like Small Farmers Development Agencies, Marginal Farmer and Agricultural Labourer Agencies, Drougnt Prone Area programmes etc. are also taken up to provide full or part time employment.

Change in Policy Regarding Acceptance of Foregin Invitations

2443. Shri M.S. Purty : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring forward a Bill during the current Session incorporating the change in its policy regarding accepting foreign invitations;

(b) whether any party or group has objected to the ban on accepting foreign invitations; and

(c) if so, the facts there of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Legislative proposals to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or hospitality by certain persons or associations and matters connected therewith or incidental thereto are being finalised and a Bill in this regard will be introduced in Parliament shortly.

(b) and (c) Government have no information.

इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्टरी, गोमिया में श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2444. श्री के० एम० मधुकर
श्री एच० एम० मुखर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिया स्थित इण्डियन एक्सप्लोजिव फैक्टरी के श्रमिकों ने अभी हाल में हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इण्डियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड की गोमिया स्थित फैक्ट्री में 25-9-73 को एक छोटा सा विस्फोट होने पर सायरन (भोंपू) के न बजाये जाने के कारण फैक्टरी के मजदूरों ने आंशिक हड़ताल कर दी थी। मजदूरों की मुख्य मांगें ये थी :-

(1) फैक्टरी का भोंपू न बजाये जाने के लिये प्रबंधकों की ओर से क्षमा याचना करना;

(2) संबंधित फोरमैन को तत्काल निलंबित करना;

(3) प्रबंधकों तथा मजदूरों की बराबर संख्या में व्यक्तियों द्वारा जांच पड़ताल करना;

(4) हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाना ;

बिहार सरकार के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप करने पर ये मांगें वापस ली गई थी तथा मजदूर 15-10-1973 को अपने अपने काम पर वापस आ गये थे।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि में स्थिरता

2445. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीय आय की वृद्धि स्थिर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में राष्ट्रीय आय की क्या वृद्धि हुई थी ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान (1960-61 के भावों के आधार पर) तैयार किये गये राष्ट्रीय आय के अनुमानों में पिछले वर्ष के मुकाबले में केवल 0.6 प्रतिशत की उपान्त वृद्धि हुई।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान राष्ट्रीय आय में मन्दगति से हुई वृद्धि का मुख्य कारण है--सूखा पड़ने की स्थिति से कृषि उत्पादन में होने वाली गिरावट।

(ग) स्थिर भावों (1960-61) के आधार पर राष्ट्रीय आय में वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान क्रमशः 4.2 और 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए श्री कल्याण बसु के विरुद्ध जांच

2446. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के बारे में श्री कल्याण बसु के विरुद्ध जांच अब पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में 'नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम'

2448. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक 'नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम' बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और इस संग्रहालय से क्या लाभ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कीर्तिनगर, दिल्ली में हरिजनों के लिए होस्टल

2449. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीर्तिनगर दिल्ली में हरिजनों के लिये दिल्ली प्रशासन का होस्टल हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों को आश्वस्त राहत देने में असफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप हरिजनों ने होस्टल में रहने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या होस्टल में रहने वालों की सही आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए दिल्ली प्रशासन ने फरनीचर और प्रचार पर पर्याप्त राशि खर्च की है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) हरिजन लड़कियों के लिये छात्रावास आरम्भ करने के लिये 7-6-1973 को भवन किराये पर लिया गया । स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे । लगभग 30 उम्मीदवारों ने आवेदन किया । छात्रावास कार्यकरण संबंधी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और छात्रावास शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

छात्रावास को चलाने के लिये अपेक्षित 22,000 रुपये के मूल्य का फर्नीचर एवं बर्तन खरीद लिये गये हैं।

(ग) अतः जांच पड़ताल का प्रश्न नहीं उठता ।

Availability of cement at fair price

2450. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that people are not getting cement at fair price though cement traders have it whereas any quantity of it can be purchased by paying one and a half times more or at double price ; and

(b) if so, the action taken by the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Reports have appeared in the newspapers from time to time to the effect that cement is not available at fair price and people have to pay a price higher than that fixed by the Government.

(b) Cement is included as an Essential Commodity for purposes of the Essential Commodities Act. All the State Government have been requested to issue orders regulating distribution of cement by issue of permits/licences etc. The State Governments have adequate powers to take action against offenders found guilty of contravening the orders issued under Essential Commodities Act.

अन-अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

2451. श्री था० किरुतिनन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, अन-अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या क्या है;

(ख) उन के कल्याण और शिक्षा संबंधी रिआयतों के लिये, राज्यवार, केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) राज्यों को धनराशि के नियतन के लिये भारत सरकार द्वारा क्या मानदंड और कसौटी अपनाई गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विमुक्त जातियों की कुल जनसंख्या मालूम नहीं है क्योंकि जनगणना में इनकी अलग से गणना नहीं की गई थी । विमुक्त, खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश लोगों की वर्तमान जनसंख्या मोटे तौर पर 60 लाख आंकी गई है ।

(ख) विमुक्त जातियों के लिये चतुर्थ योजना में किए गये आवंटनों का विवरण संलग्न है ।

(ग) सामान्यत: अपनाये जाने वाले मानदंड हैं राज्य में विमुक्त जातियों की जन संख्या, उनके द्वारा किये गये विकास का स्तर तथा आबंटनों का प्रयोग करने की राज्य सरकार की क्षमता ।

विवरण

चतुर्थ योजना में विमुक्त जातियों पर व्यय

राज्य	चतुर्थ योजना में व्यय
	(रुपये लाख में)
1. आंध्र प्रदेश	30.00
2. असम	—
3. बिहार	10.00
4. गुजरात	70.00
5. केरल	—
6. जम्मू और काश्मीर	22.00
7. हरियाणा	1.75
8. हिमाचल प्रदेश	5.00
9. मध्य प्रदेश	35.00
10. महाराष्ट्र	45.00
11. कर्नाटक	20.00
12. मणिपुर	—
13. नागालैंड	—
14. उड़ीसा	15.00
15. पंजाब	2.00
16. राजस्थान	4.75
17. तामिलनाडु	90.00
18. त्रिपुरा	—
19. उत्तर प्रदेश	75.00
20. पश्चिम बंगाल	13.50
21. मेघालय	—
योग	439.00

'सीमेन्ट लार्ड्स एगेंस्ट पुजोलाना' शीर्षक से समाचार

2452. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सीमेंट लार्ड्स अगेन्स्ट पुजोलाना" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जली हुई मिट्टी पुजलाना (प्रतिक्रियाशील सुरखी) के उत्पादन की प्रक्रियाओं और लाइम-बर्न्ट क्ले पुजलाना (लाइम-प्रतिक्रियाशील सूरखी) के मिश्रण को सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा क्रमश: 1964 और 1963 में पेटेन्ट करा लिया गया था । राष्ट्रीय भवन संगठन ने श्रीराम इन्स्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रियल रिसर्च के सहयोग से पुजलाना क्ले का उत्पादन करने की एक बचतपूर्ण प्रक्रिया का विकास किया तथा 2 मी० टन दैनिक क्षमता का एक प्रमुख संयंत्र स्थापित किया । वहां पर बनाई जाने वाली प्रतिक्रियाशील सूरखी का परीक्षण हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के रिहायशी क्वार्टरों के प्रयोगात्मक निर्माण किया गया । इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय भवन संगठन ने एक नोट तैयार किया है जिसमें लाइम पुजलाना गारों और प्लास्टरों के प्रयोग के तकनीकी और आर्थिक फायदों का उल्लेख किया गया है तथा इसे राज्य सरकारों केन्द्रीय निर्माण विभागों और हाउसिंग बोर्डों को परिचालित किया है कई राज्यों से उनके विचार प्राप्त हो जाने पर राष्ट्रीय भवन संगठन में 20 मी० टन दैनिक क्षमता के एक संयंत्र की परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है तथा उसे कुछ रुचि रखने वाली पार्टियों के पास भेजा ।

भारतीय सीमेंट निगम ने 1967 में मेहरौली, दिल्ली में 66 लाख रुपये की कीमत से 150 मी० टन दैनिक क्षमता से मैसोनरी (भवन बनाने के काम आने वाली) सीमेन्ट का उत्पादन करने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा था । प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था पर इसे तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं पाया गया । इस समय निगम का बर्न्ट क्ले पुजलाना और लाइम पुजलाना का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल सहकारी समिति विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति

2453. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ वैस्ट बंगाल अरबन क्रेडिट सोसाइटीस लिमिटेड, 24, चौटिधी स्क्वेअर, कलकत्ता–1 ने शिवपुर कोअपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा द्वारा पास किया गया एक संकल्प दिनांक 9 मई, 1973 केन्द्रीय सरकार को भेजा था जिसमें राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया था कि वह पश्चिम बंगाल विधान मंडल द्वारा पास किये गये पश्चिम बंगाल सहकारी समिति विधेयक, 1973 पर अपनी अनुमति न दें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यद्यपि प्रश्न में कथित कोई संकल्प नहीं भेजा गया था, परन्तु कथित फ़ेडरेशन से 4 मई, 1973 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ न्यायालय में अपीलें करने को रोकने के विरुद्ध विरोध किया गया था और सुझाव दिया गया था कि राज्य विधान मंडल द्वारा आगे विचार करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को वापस किया जाऐ ।

(ख) विधेयक के उपबन्धों के संदर्भ में अभ्यावेदन की जांच की गई थी और राज्य सरकार के विचार प्राप्त किये गये थे । यह ध्यान में आया था कि यद्यपि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध न्यायालयों में आवेदन करने पर रोक लगा दी गई है ।

सेन्ट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली में आवास की असन्तोषजनक स्थिति

2454. श्री मान सिंह भौरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल जेल, तिहाड़ में आवास की स्थिति से प्रायः समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं;

(ख) क्या अपराधियों को संभालने में यह स्थान भी छोटा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली के राजधानी होने के कारण विभिन्न राजनैतिक दल तथा संगठन विभिन्न प्रश्नों पर विशेष रूप से संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन, आन्दोलन इत्यादि आयोजित करते हैं। इससे कभी कभी केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में भीड़ भाड़ हो जाती है।

(ग) (1) जब कैदियों की संख्या अप्रबन्धनीय हो जाती है तो उन्हें पड़ोस के राज्यों की जेलों में भेजा जाता है।

(2) दिल्ली में दो और जेलें बनाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

Setting up of Industries by foreign firms in Joint Sector

2455. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of foreign companies which have been asked to run industries in joint sector; and

(b) if so, the names of such companies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Number and names of companies in the public sector (Central Government) with foreign equity participation are available in Annexure II and Chapter XVII of the Annual Report on the Working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government for 1971-72, of Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises (Finance Division). This publication is available in the Parliament Library.

Delay in setting up of Industries in M.P.

2456. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an inordinate delay during the last three years in the setting up of those industries in Madhya Pradesh for which Letters of Intent and Licences were issued;

(b) the names and locations of these industries;

(c) the reasons for delay; and

(d) the action proposed to be taken by Government to ensure that these industries are set up soon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) During the last three years, Letters of Intent and Industrial Licences granted for establishing industries in Madhya Pradesh were as follows :—

Year	Letters of Intent	Licences
1970	9	2
1971	31	20
1972	28	12

These related to Metallurgical industries, fuel, electrical equipment, miscellaneous mechanical and engineering industries, chemicals, drugs and pharmaceuticals, textiles, paper and pulp including paper products, food processing industries, vegetable oils and vanaspati, cement and gypsum products, transportation, machine tools, glass, industrial instruments, cigarettes, rubber goods and fermentation industries.

(b) Details of all Letters of Intent and Industrial licences issued by Government from time to time are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", weekly "Indian Trade Journal" and the monthly" Journal of Industry and Trade". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

(c) and (d) In practice, it takes about three to four years' time for an industrial undertaking to be established and to commence production. The progress made by various categories of holders of Letters of Intent and Industrial licences is reviewed from time to time. As a result of such reviews, some general bottlenecks standing in the way of speedy implementation are identified and steps taken to remedy the situation to the extent possible. With the establishment of the Secretariat for Industrial Approvals, the progress of implementation of industrial licences will be reviewed on a more systematic basis.

स्वतन्त्रता सेनानी

2457. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस का पता लगाने के बारे में कोई सूक्ष्म अध्ययन किया गया है कि स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कितने स्वतंत्रता सेनानी थे; और

(ख) क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों का पता लगाने और उन से सम्पर्क स्थापित करने के लिये जिन्होंने किसी पेंशन के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिये हैं, सरकार ने अपनी ओर से पहल की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) जी नहीं, श्रीमान । स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों से 1.70 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । यह आशा की जाती है कि उनमें से सभी ने जो पेंशन पाने के पात्र हैं पेंशन के लिए आवेदन भेजे हैं ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता को लाईसेंस जारी करना

2458. श्री रानेन सैन

श्री डी० के० पंडा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री इण्डियन आक्सीजन लि० के उत्पादन का विविधिकरण तथा विस्तार के बारे में 21 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 268 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विभिन्न परियोजनायें कौन कौन सी हैं जिनके लिये लाइसेंस मांगें गयें हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में कम्पनी को लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, ऐसे लाइसेंसों की संख्या कितनी है और ये किस उद्देश्य से दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) परियोजनायें दिनांक 21 फरवरी, 1973 को उत्तर दिये गये (अतारांकित प्रश्न सं० 268 में संदर्भित) जिनके लिये लाइसेंस मांगे गये थे, निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	उत्पादन की जिन्स	लाइसेंस की किस्म	संस्थति
1.	तरल नाइट्रोजन	नया प्रतिष्ठान	कोचीन
2.	आक्सीजन, घुली हुई एसिटिलीन तथा नाइट्रोजन	काम चालू रखने के लिये	आंध्र प्रदेश
3.	टी आई जी तथा एम आई जी वेल्डिंग के टांके लगाने के तार	नई वस्तुयें	प० बंगाल
4.	सबमर्ज आर्क वेल्डिंग फ्लक्सेज	नई वस्तुयें	प० बंगाल
5.	लोह चूर्ण	नया उपक्रम	उड़ीसा
6.	आक्सीजन एरगन	वही	प० बंगाल
7.	हाइड्रोजन	नई वस्तुयें	मैसूर

(ख) और (ग) निम्नलिखित क्षमताओं के आक्सीजन, घुली हुई एसिटिलीन तथा नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये काम चालू रखने के लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं :–

1. आक्सीजन	3,10,000 क्यू० मी०
2. घुली हुई एसिटिलीन	1,12,000 क्यू० मी०
3. नाइट्रोजन	53,000 क्यू० मी०

निम्नलिखित के उत्पादन के लिये

1. तरल नाइट्रोजन
2. टी आई जी तथा एम आई जी वेल्डिंग के टांके लगाने के तार
3. सबमर्जड आर्क वेल्डिंग पलक्सेज
4. लोह चूर्ण
5. आक्सीजन, एरगन

पांच आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये । हाईड्रोजन के उत्पादन संबंधी सातवां आवेदन प्रक्रियाधीन है ।

तिलहन और कपास उगाने के लिए नए सिंचित क्षेत्रों का उपयोग

2459. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय का यह विचार है कि तिलहन और कपास उगाने के लिये नये सिंचित क्षेत्रों का उपयोग किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना के प्रारूप में इन विचारों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या कृषि तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों के साथ इस पर विचार विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग का विचार है कि नये सिंचाई क्षेत्र के एक भाग को तिलहन और कपास उगाने के उपयोग में लाया जाना चाहिये, क्योंकि भूमि-परिस्थिति, वर्षा-प्रकृति और कुल उपलब्ध सिंचाई के अनुसार इनकी फसल सबसे अच्छी होगी ।

(ख) यह विचार पांचवीं योजना में परिलक्षित है ।

(ग) और (घ) इस पर कृषि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर लिया गया है और उनका भी यही मत है । सम्बद्ध मंत्रालयों और राज्य सरकारों से इस मामले पर आगे और विचार किया जा रहा है ।

वैज्ञानिकों के लिये रोजगार

2460. श्री सेझियान

श्री ई० आर० कृष्णन् :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सामान्य योजना कार्यक्रमों, जिनसे कि वैज्ञानिकों समेत विभिन्न वर्गों को भरसक रोजगार अवसर सुलभ होंगे, के अतिरिक्त वैज्ञानिकों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से अनेकों विशेष रोजगार स्कीमें प्रारम्भ कर दी गई हैं । इनका विवरण नीचे दिया जाता है :–

1. 1971-72 में प्रारम्भ किया गया शिक्षित बेरोजगारों सम्बन्धी कार्यक्रम :—

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वन संसाधनों, खनिज संसाधनों, भूमिगतजल संसाधनों तथा भूमि और मिट्टी के सर्वेक्षण जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षणों की स्कीमों के माध्यम से वैज्ञानिकों को भरसक रोजगार अवसर सुलभ कराये जायेंगे । इसके अतिरिक्त सर्वे आफ़ इण्डिया ने एक क्षेत्रीय सर्किल, 6 सर्वेक्षण दलों तथा एक आलेखन कार्यालय की स्थापना के लिये 25 लाख रुपये आवंटित किये हैं । इस स्कीम से जल संसाधनों के सर्वेक्षण तथा बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को अतिरिक्त रोजगार सुलभ होंगे ।

2. शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसरों का कार्यक्रम :—

चालू वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों के लिये पांच लाख रोजगार अवसरों का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा शिल्प वैज्ञानिकों को रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिये जो स्कीमें तैयार की गई हैं वे निम्न प्रकार से हैं :–

(1) स्व-नियोजन स्कीमें :—

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों को अपने ही उद्यम स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी तौर पर उद्यम स्थापित करने वाले व्यक्तियों को ऐसे उपक्रमों के लिये अपेक्षित कुल पूंजी 2 लाख रुपये तक तथा सहभागिता के मामले में 3 लाख रुपये तक प्रदान करते हैं । जहां अधिक राशि की आवश्यकता होगी उन मामलों में वित्तीय संस्थाओं को उद्यमियों द्वारा सीमान्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी । ऐसे मामलों में उद्यमियों को सरकारी सहायता उपलब्ध की जायेगी, यह सहायता वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित कुल पूंजी मांग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी ।

उपर्युक्त व्यवस्था सुनिश्चित रूप से ऐसे उद्यमी को धन की कमी नहीं होने देगी जिसके पास संभाव्य स्कीम होगी । सीमांत धन की व्यवस्था साधारण ऋणों के रूप में की जायेगी । इस पर ब्याज सामान्यतया ढाई प्रतिशत से अधिक न होगा तथा इसकी वसूली तभी की जायेगी जब संबंधित उद्यमी के ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था के प्रति दायित्व पूरे हो जायेंगे ।

औद्योगिक सहकारी समितियां :—

विशिष्ट परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिल्पवैज्ञानिकों आदि द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी समितियां अपनी सामान्य पूंजी में सरकारी अंशदान की हकदार होंगी । यह अंशदान सहभागियों द्वारा लगाई गई पूंजी के तीन गुने के बराबर होगा । इससे सहकारी समितियों को पर्याप्त संस्थागत वित्त उपलब्ध करने में सहायता मिलेगी ।

राज्य सरकारें निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधायें भी उपलब्ध करेंगी :

(i) उचित परियोजना, प्रक्रिया, उपकरण आदि चुनने में उद्यमियों की सहायता करने के लिये परामर्श/सलाह ।
(ii) सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहयोग ।
(iii) भूमिखण्डों, औद्योगिक शेडों, सामान्य सुविधाओं सहित आधारभूत सुविधायें ।
(iv) उपयुक्त मामलों में किराया अदा करने के लिये राज्य सहायता ।
(v) कुछ राज्य सरकारें अन्य प्रोत्साहन जैसे कुछ अवधि तक बिक्री कर, चुंगी, बिजली कर, आदि भी देते हैं ।
(vi) परियोजना की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका ऐसे व्यापार संगठनों का विकास करने के मामलों में महत्वपूर्ण होगी । ये इनकी अधिकांश वित्तीय जरूरतों को पूरा करेंगे । बैंक प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर भारत सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी किये हैं ताकि छोटे उद्योगों के विकास के लिये बैंकों से सुगमता से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ।

(2) प्रशिक्षण स्कीमें :—

ऐसी कई स्कीमें जारी हैं जिनके अन्तर्गत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा डिप्लोमा पास व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे विभिन्न विभागों में प्रतिवर्ष निकलने वाले नियमित रोजगारों के लिये अपने आप को तैयार कर सकें । ऐसे प्रशिक्षणों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

सार्वजनिक निर्माणकार्यों, ग्रामीण इंजीनियरी कार्यों, आदि में प्रशिक्षण ।
विद्युत परिषदों के संचालन, रख-रखाव तथा वितरण में प्रशिक्षण ।
सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों के संचालन, रख-रखाव, डिजाइन आदि में प्रशिक्षण ।

(3) रोजगार के लिए सघन स्कीमें :—

पंजाब द्वारा सफलता पूर्वक चलाई गई स्कीम के आधार पर निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र के मालिकों को वैज्ञानिकों इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, शहीदों की विधवाओं तथा अपंग व्यक्तियों को अपने यहां रोजगार पर रखने पर सहायता देने की घोषणा की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार ऐसे रोजगार दाताओं को जो अपने यहां वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों, आदि को नौकरी दें, एक साल तक वेतन का 50 प्रतिशत अंश प्रोत्साहन के रूप में देगी, किन्तु सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगी :—

श्रेणी	वेतन	सरकारी सहायता की अधिकतम सीमा
1. इंजीनियरी में डिग्री प्राप्त	400.00	200.00
2. इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त	250.00	125.00
3. विज्ञान में स्नातकोत्तर	250.00	125.00
4. वास्तुविद	400.00	200.00
5. कृषि स्नातक	300.00	150.00
6. पशु-चिकित्सा स्नातक	300.00	150.00
7. शिक्षाप्राप्त व्यावसायिक कलाकार	250.00	125.00
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के स्नातक	200.00	100.00
9. सफाई करने वाली जाति/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मैट्रिक पास व्यक्ति	150.00	75.00
10. आई टी०आई० प्रमाण पत्र धारक	150.00	75.00

सामान्य अवधि के भीतर यदि कर्मचारी को उपयोगी पाया गया तो उस एकक में नियमित रूप से वह काम पर रख लिया जाएगा । इसके साथ साथ अपना धंधा स्थापित करने के लिये वह पर्याप्त आधार अनुभव और आत्मविश्वास अर्जित कर लेगा । राज्य सरकारें इस स्कीम को विस्तृत रूप से लागू कर रही हैं ।

इसके अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान 1800 वैज्ञानिकों को शिक्षावृत्ति देने के लिए वैज्ञानिक परिषद् और औद्योगिक अनुसंधान को 40 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

पांचवीं योजना में, विज्ञान तथा तकनालाजी, अन्तरिक्ष व अणु ऊर्जा (अनुसंधान तथा विकास) विभागों और वैज्ञानिक परिषद् तथा औद्योगिक अनुसंधान के अन्तर्गत वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के कार्यक्रमों को, रोजगार अवसर उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिकों को रोजगार सुलभ करने की दिशा में मोड़ा गया है ।

दिल्ली में फोनोग्राम सेवा

2461. श्री एस० एल० सक्सेना : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास बारम्बार शिकायतें करने के बावजूद भी राजधानी में फोनोग्राम सेवा बहुत ही असंतोषजनक है और दिन में भी कम से कम एक घंटे की प्रतीक्षा किये बिना कोई फोनोग्राम बुक नहीं किया जा सकता है और रात के समय तो फोनोग्राम पर काम करने वाला व्यक्ति रिसीवर को उठाता ही नहीं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : फोनोग्राम का निपटान चौबीसों घंटे किया जाता है सामान्यत: जैसे ही कोई पार्टी फोनोग्राम बुक करने के लिये टेलीफोन करती है, उसके टेलीफोन नम्बर की जांच की जाती है और फोनोग्राम संदेश लिख लिया जाता है । जब कभी शादियों अथवा अन्य कारणों से फोनोग्राम ट्राफिक बहुत ज्यादा होता है तो पार्टी का टेलीफोन नम्बर नोट कर लिया जाता है और बाद में उसकी बारी आने पर उसे टेलीफोन किया जाता है । तथापि, इस सेवा में सुधार लाने के लिये हर तरह से लगातार प्रयत्न किये जाते हैं ।

राजबन, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

2462. श्री रामभगत पासवन

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर ने हिमाचल प्रदेश के राजबन में एक सीमेंट संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कुल कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया 1178 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हिमाचल प्रदेश के राजबन (पौन्टा) में 2 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित कर रहा है ।

योजना प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण

2463. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जनसंघ ने पांचवीं योजना में योजना प्राथमिकताओं के पुनिर्धारण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग ने रा नीतिक दलों, संसद सदस्यों, तकनीकी दृष्टि से निपुण तथा विशेषज्ञों आदि से विचार विमर्श किया था। जनसंघ दल से विचार-विमर्श के दौरान दल के प्रतिनिधियों ने मुख्यत: निम्न प्रकार से अनेक सुझाव दिये :–

(1) योजना दस्तावेज में परिकल्पना की गई है कि उच्चतम 30 प्रतिशत जनसंख्या के उपभोग स्तर में कटौती की जायेगी तथा निम्नतम 30 प्रतिशत लोगों के उपभोग के स्तर में वृद्धि की जायेगी। परन्तु य: विस्तार से नहीं बताया गया है कि यह काम किस प्रकार किया जायेगा।

(2) पांचवीं योजना के अन्त तक शुद्ध शून्य सहायता की संकल्पना ठीक नहीं है।

(3) कल्पित 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष विकास की दर बहुत कम है।

(4) आन्तरिक बचत की दर के अनुमान बहुत कम लगाये गये हैं।

(5) पांच लाख लोगों को प्रति वर्ष काम देने का लक्ष्य बहुत ही अपर्याप्त है।

(6) श्रम उत्पादकता में सुधार लाने की गुंजाइश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा कुछ विषयों को बैठक में ही स्पष्ट किया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार देना

2464. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिये देश के कुछ राज्यों ने योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तसबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिये हैं। शिक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ राज्यों ने भी विशेष रोजगार योजनायें हाथ ली हैं।

कई राज्यों ने टाइपिंग, आशुलिपि आदि जैसे व्यवसायों में शिक्षित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम हाथ में लिये हैं।

मैसूर में 'रा सिल्क' का मूल्य

2465. श्री के० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 9 अक्तूबर, 1973 को मैसूर में 'रा सिल्क' के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में किस तिथि से ये मूल्य लागू होंगे; और

(ग) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाऊर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) 9 अक्तूबर, 1973 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा घोषित मैसूर राज्य में उत्पादित कच्चे रेशम की प्रसिद्ध किस्मों के निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य निम्नलिखित हैं : –

	निम्नतम मूल्य	अधिकतम मूल्य
	(रुपये प्रति किलो ग्राम)	
1. सरकारी फिलयेचर कच्चा रेशम 20/22 डेनियर (कावेरीचांप)	245	280
2. काटेज बेसिन कच्चा रेशम मीडियम कोलार 18/22 (डैनियर)	200	230
3. चरखा कच्चा रेशम मीडियम चामराजनगर	165	190

ये मूल्य 9 अक्तूबर, 1973 से लागू हैं

बिजली शुल्क की बकाया राशि के भुगतान के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद

2466. श्री सतपाल कपूर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम को बिजली शुल्क की बकाया राशि के भुगतान के बारे में दोनों को बीच विवाद चल रहा है; और

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम के बीच विवाद को हल करने के लिये केन्द्र हस्तक्षेप करेगा जैसे कि निगम अधिनियम में प्रावधान है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बिजली कर की बकाया राशि के भुगतान के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम के बीच एक लम्बे अर्से से विवाद चल रहा है । दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने अलग अलग कानूनी सलाह ली थी । उप राज्यपाल ने जिसको केन्द्रीय सरकार ने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है, अध्यक्ष नई दिल्ली नगर पालिका को किश्तों पर बिजली कर की बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी है ।

मूंगफली के छिलकों से बढ़िया किस्म की रासायनिक लुग्दी

2467. श्री सतपाल कपूर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, पश्चिम जर्मनी में एक भारतीय तकनीशियन के इस अनुसंधान कार्य के बारे में जनकारी है जिसके द्वारा मूंगफली के छिलकों से बड़िया किस्म की रासायनिक लुग्दी तैयार की जा सकती है; और

(ख) क्या सरकार इस नई प्रक्रिया की आगे जांच कराये जाने के प्रश्न पर सहमत होगी जिससे देश में अखबारी कागज की समस्या को हल किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"माइक्रोवेव नेट वर्क" का विस्तार

2468. श्री प्रभु दास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोक्सियल प्रणाली, जो प्रायः खराब हो जाती है, के वैकल्पिक दूर संचार संपर्क के रूप में 'माइक्रोवेव नेट वर्क' के विस्तार संबंधी योजना में कटौती की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या माइक्रोवेव संबंधी योजना को आगे बढ़ाने के लिये अपेक्षित तथा नियत धनराशि प्राप्त करने के लिए मंत्रालय योजना आयोग से लेने का प्रयास कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) जी हां । दूर-संचार शाखा के लिये जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया है उसमें उपयुक्त माइक्रोवेव प्रणाली के विस्तार की व्यवस्था कर दी गई है । इस बारे में योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास

2470. श्री प्रभु दास पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिये उपायों पर चर्चा करने हेतु प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक 13 सितम्बर, 1973 को हुई थी ताकि यह क्षेत्र शेष देश के साथ कदम मिला सके;

(ख) यदि हां, तो इस में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० एच० एफ० मोहसिन) : (क) तथा (ख) उत्तर पूर्वी परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्य 13 सितम्बर, 1973 को प्रधान मंत्री से मिले और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में रेलों के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक आवेदन पक प्रस्तुत किया । बैठक में अन्य व्यक्तियों के साथ गृह मंत्री, वित्त मन्त्री, योजना मंत्री तथा रेल मंत्री उपस्थित थे ।

(ग) यह निर्णय किया गया था कि रेल मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों के एक दल के साथ उत्तर पूर्वी परिषद के तत्वाधान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र रेलवे तथा संचार व्यवस्था का एक व्यापक तथा पूर्ण सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ।

अरूणाचल प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन

2471. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग से हटा कर राज्य के अन्दर इसके नये स्थान में ले जाई जा रही है; और

(ख) नई राजधानी के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को शिलांग से इटानगर में दो प्रावस्थानों में स्थानान्तरित किये जाने की संभावना है । प्रथम प्रावस्था में अधिकांश सचिवालय को स्थाई सचिवालय के स्थान के निकट अस्थाई रूप से सन् 1974 के मध्य तक स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है । द्वितीय प्रावस्था में स्थाई राजधानी के निर्माण की व्यवस्था की गई है । लगभग पांच वर्षों में संपूर्ण परियोजना के पूरा होने की संभावना है ।

(ख) अस्थाई राजधानी क्षेत्र में कार्य तेजी से चल रहा है । उत्तरी ट्रंक मार्ग से अस्थाई राजधानी को जोड़ने वाला मार्ग लगभग पूरा हो गया है तथा आन्तरिक मार्ग बनाये जा रहे हैं । नागरिक सुविधायें जैसे पानी व बिजली कार्य एक साथ किया जा रहा है और पर्वतीय किस्म की विशिष्टता के लगभग 500 मकान सन् 1974 के मध्य तक पूरे हो जाने की आशा है । स्थाई राजधानी के लिये योजना को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से स्थाई स्थान का विस्तृत सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों का विकास

2472. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के विकास के बारे में कोई विशेष अध्ययन करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है किन्तु द्वीपों के विकास का पुनरीक्षण निरन्तर किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों की परिचय पुस्तक प्रकाशित करना

2473. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का महत्वपूर्ण प्रकाशन 'स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय-पुस्तक' का विमोचन 15 अगस्त, 1973 को होना था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में 'परिचय-पुस्तक' का खण्ड प्रैस में है और शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है ।

Delhi bandhs against price rise and black marketing

2475. Shri G.P. Yadav

Shri Y. Eswara Reddy :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Trade Unions had given a call for Delhi Bandh on the 5th and 6th November, 1973 in protest against increasing prices and black-marketing;

(b) if so, the names of the Political Parties and other organisations who sponsored the Bandh call;

(c) the loss of life and properties and the compensation given or to be given by Government to the persons affected by the Bandhs; and

(d) whether Government enforced Defence of India Rules to deal with the situation and if so, the number of persons arrested in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) & (b) According to information received from the Delhi Administration several trade unions including the AITUC, CITU, UTUC, HMP, Bank Employees Federation, Newspapers Employees Federation, All India Building Workers Union and All India LIC Employees Asssociation, of Delhi, and members of CPI, CPM, RSPI,SSP and Jan Sangh, had given such a call.

(c) While there was no loss of life, 41 persons, including 40 Police Personnel, were injured. The agitators burnt a Jail Van, a Traffic Booth and a Traffic Stand. They also brick-batted and damaged some Government as well as Private property. As regards compensation to the persons affected by the Bandh, information is awaited from the Delhi Administration.

(d) While no arrest was made under the DIRs, 266 persons were taken into custody for violating the prohibitory orders under Section 144 Cr. P.C. Three persons were also arrested under Seetions 224/34 I.P.C.

Production of Indigenous Telephone Instruments

2476. Shri G.P. Yadav

Shri K. Kodanda Rami Reddy :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether the demand for Telephone connections has increased in the country considerably and production of indigenous Telephone instruments is much less;

(b) if so, the percentage by which production of indigenous instruments is short of the demands; and

(c) the efforts being made by Government to meet this shortage ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) yes sir.

(b) & (c) Indigenous production of Telephone instruments will be about 20% less than the demand at the end of the Fourth Plan. A new unit of ITI has been set up at Naini for production of Telephone Instruments. Its production capacity is being augmented to produce 5 lakhs instruments annually by end of 5th Plan. A third telephone instruments factory is also proposed to be established in the 5th Plan.

Departmental Examination for Exployees of R.M.S. 'C' Division

2477. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Communications** be pleased to state : (a) whether the Departmental examination for the employees of R.M.S. C-Division, Gaya was held in 1970; and

(b) if so the reasons for not sending all the successful candidates for training so far ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes sir.

(b) The examination is competitive and vacancies are filled up divisionwise from amongst the qualified candidates of that Division to the extent of vacancies available in the Division. Surplus qualified candidates of a Division can be absorbed in other Divisions only when qualified candidates in those divisions are not available. Thus the question of absorption of all surplus qualified candidates in a Division in other Divisions does not arise.

टूथ पेस्ट के उत्पादन के कारण विदेशी मुद्रा का बाहर जाना

2478. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टूथ पेस्क के उत्पादन के कारण प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मद्रा बाहर जाती है;

(ख) भारत में विदेशी पूंजी से टूथ पेस्ट का उत्पादन कर रही फर्मों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक वर्ष में विदेशी पूंजी का कितना शेयर है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन फर्मों के लाभांश की क्या दर घोषित की थी; और

(घ) क्या इनमें से किसी फर्म ने लाइसेंस शुदा क्षमता का अतिलंघन किया है और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) संगठित क्षेत्र में टूथपेस्ट का उत्पादन करने के लिये कच्चे माल का आयात करने पर पिछले तीन वर्षों में व्यय हुई कुल विदेशी मद्रा नीचे दी गई है :-

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1970	40.66
1971	53.72
1972	62.00

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज फर्मों के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:-

फर्म का नाम	विदेशी पूंजी का प्रतिशत
1. मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	85%
2. मै० कोलगेट पालमोलिव (इण्डिया) प्रा० लि०, बंबई	100%
3. मै० बीचम (इण्डिया) पा० लिमिटेड, बंबई	100%
4. मै० जाफरी मैनर्स एण्ड कंपनी लि०, बंबई	45%
5. मै० सी०आई०बी० ए० आफ इण्डिया लि०, बंबई	65%
6. मै० डूफर इण्टरप्रेस लि०, बंबई	50%

(ग) इस प्रकार की 5 फर्मों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :-

	1970	1971	1972
	(प्रतिशत में)		
1. मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बंबई	8	8	9
2. मै० कोलगेट पालमोलिव (इ०) प्रा० लि०, बंबई	5333.33	कुछ नहीं	4666.66
3. मै० बीचन (इण्डिया) प्रा० लि०, बंबई	130	145	123
4. मै० जाफरी मैनर्स एण्ड कं० लि०, बंबई	22½	25	27½
5. मै० सी०आई०बी०ए० आफ इण्डिया लि० बंबई	7½	7½	10

मै० डुफार इण्टरफान लि० के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) तीन फर्मों ने अपनी लाइसेंस प्राप्त/रजिस्टर्ड उत्पादन क्षमता से अधिक टूथपेस्ट का उत्पादन किया है विदेशी कंपनियों के संबंध में संपूर्ण मसले पर विचार किया जा रहा है ।

फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया में लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक टायरों का उत्पादन

2479. श्री पी० आर० शिनाय: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया की अधिष्ठापित क्षमता और लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कम्पनी बिना उचित ब्यौरा दिये लाइसेंसशुदा क्षमता से बहुत अधिक टायरों का उत्पादन कर रही है; और

(ग) क्या इस कम्पनी ने कोई अनधिकृत मशीनरी लगाई है और यदि हां, तो इस मशीनरी के बारे में ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मै० फायर स्टोन टायर तथा रबड़ कम्पनी की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष मोटर गाड़ियों के ग्यारह ग्यारह लाख टायर तथा ट्यूब की है ।

(ख) कम्पनी का उत्पादन उपर्युक्त लाइसेंस क्षमता के अन्दर अन्दर ही रहा है ।

(ग) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए राजसहायता

2480. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों के लिये अभी तक भारत सरकार ने कुल कितनी राशि की सहायता दी है; और

(ख) यह सहायता पाने वालों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31 अक्तूबर 1973 तक 10%/15% केन्द्रीय सीधी सहायता अथवा सरकारी सहायता की स्वीकृति कुल राशि तथा सहायता प्राप्त करने वालों का विवरण

सहायता प्राप्त करने वालों को दी गई सरकारी सहायता

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	4 60,963	—
2.	आसाम	—	—
3.	बिहार	1,00,000	—
4.	गोआ, दमन और दीव द्वीप]	4,48,440	—
5.	गुजरात	14,89,627	1,63,835
6.	केरला	10,19,928	—
7.	महाराष्ट्र	1,26,12,670	29,97,918
8.	मध्य प्रदेश	10,20,963	—
9.	मनीपुर	23,069	18,397
10.	मेघालय	21,942	—
11.	मैसूर	10,25,230	10,25,230
12.	नागालैंड	1,34,000	—
13.	उड़ीसा	4,00,000	—
14.	पांडीचेरी	98,057	8,098
15.	पंजाब	59,643	58,943
16.	राजस्थान	2,24,529	1,33,017
17.	तमिलनाडु	29,94,440	4,17,163
18.	उत्तर प्रदेश	3,74,796	—
19.	पश्चिमी बंगाल	12,282	—
20.	अंडेमान और निकोबार द्वीप	—	—
21.	दादरा और नागर हवेली	—	—
22.	त्रिपुरा	26,275	—
	योग	2,25,46,854	48,62,601

हिन्द साईकल लिमिटेड के कार्यों की जांच

2481. श्री सी० क० चन्द्रप्पन

श्री मान सिंह भौंरा :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला द्वारा संचालित हिन्द साइकल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को कौन से मामले सौंपे गये हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन मैसर्स हिन्द साईकल्स लिमिटेड, बम्बई की बम्बई तथा गाजियाबाद स्थित एककों के कार्यों की पूरी और समग्र जांच करने हेतु अलग अलग जांच समितियां नियुक्त की थी।

(ग) और (घ) समितियों ने 17 नवम्बर, 1973 को अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजी आधार की पुनर्रचना अधिष्ठापित क्षमता के और अधिक उपयोग, उत्पादन की तकनीक तथा माल नियंत्रण में सुधार व गतिशील विक्रय नीति से दोनों ही एककों को आर्थिक विकासक्षम रीति से चलाया जाना संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान प्रबन्धक वर्ग ने अपने आपको पुनर्निर्माण के कार्य में सर्वथा अप्रभावी सिद्ध कर दिया है तथा सरकार को दोनों एकक अपने हाथ में ले लेने चाहिये। विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों से उनके विचार मांगे गये हैं। तथा उनके प्राप्त हो जाने पर इस विषय में निर्णय लिया जायेगा।

नारियल-जटा बोर्ड के सैक्रेटरी के विरुद्ध जांच

2482. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के सेक्रेटरी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो का जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

"रिवोल्ट आफ प्रीस्ट्स एण्ड नन्स अगेंस्ट चर्च इन केरल" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2483. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अप्रैल, 1973 के 'ब्लिट्ज' में रिवोल्ट आफ प्रीस्ट्स एण्ड नन्स अगेंस्ट चर्च इन केरल शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस लेख में उल्लिखित विदेशी धन के बहुतायत से आने तथा विदेशी मुद्रा की अन्य किस्म की जालसाजी के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(मोपला विद्रोह) के स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन का दिया जाना

2484. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **गृह** मंत्री मोपला विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने के बारे में 25 जलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मोपला विद्रोह के बारे में अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व किन दस्तावेजों, लेखों अथवा लेखकों से परामर्श किया है तथा किन घटनाओं का उल्लेख किया है कि यह विद्रोह स्वतन्त्रता संघर्ष का भाग नहीं था;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में केरल सरकार से उसकी राय मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या राय है और यदि नहीं, तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की राय न जानने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) उनके विद्रोह भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त प्रान्तीय सरकार की पुरानी फाइलों में उपलब्ध रिपोर्टों, विवरणों, राजनैतिक दलों द्वारा पारित संकल्पों इत्यादि, राष्ट्रीय नेताओं के व्याख्यानों, तथा श्री आर० सी० मजूमदार जैसे इतिहासकारों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर अवलोकन करने के बाद यह निर्णय किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) केरल सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को जिन्होंने मोपला विद्रोह में भाग लिया था, स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई है ।

उत्तर वामनाड में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

2485. श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर वामनाड में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार तथा मलनथोडी से तेलीचुरी तथा कन्नूर तक सीधी ट्रंक सेवा आरम्भ किये जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नगर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) थरुवन्ना में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये माननीय सदस्यं ने स्वयं ही हमारे पास अपनी अर्जी भेजी है ।

(ग) थरुवन्ना में लम्बी दूरी का एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया गया है । जहां तक मन्नाथोडी से तेलीचुरी और कन्नानोर के लिए सीधा ट्रंक सर्किट खोलने का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि मन्नाथोडी एक्सचेंज कल्पेट्टा एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है । मन्नाथोडी को तेलीचेरी और कन्नानोर से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, कल्पेट्टा और कोजीकोडे के बीच एक 8 चैनल कैरियर प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है । तत्पश्चात कल्पट्टा से तेलीचेरी के लिये एक सीधा सर्किट दिया जा सकेगा ।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियों के निलम्बन स्थानान्तरण के मामले

2486. श्री विक्रम महाजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दुर्व्यवहार तथा अभद्र आचरण के कारण कितने पुलिस कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियों को वर्ष 1973 में 31 अक्तूबर, 1973 तक निलम्बित अथवा स्थानान्तरित किया गया है; और

(ख) क्या उनके मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो वे इस समय किस चरण में हैं और उनके मामलों में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क)

	निरीक्षक	उप–निरीक्षक	सहायक उपनिरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	जोड़
निलंबित	1	5	1	4	3	14
स्थानान्तरित	—	2	—	—	3	5

(ख) 10 के विरुद्ध कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । 9 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं । इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि ये विभागीय कार्यवाहियां कब तक पूरी हो जायेंगी ।

नई दिल्ली में इलैक्ट्रानिक फोन केन्द्र

2487. श्री विक्रम महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में हाल में एक इलैक्ट्रानिक केन्द्र खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । दूर संचार अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली में 2 नवम्बर, 1973 को एक छोटा प्रायोगिक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू किया गया था। इसके जरिये अगले कुछ महीनों तक एक श्रृंखला में कई परीक्षण और लेबोरेटरी प्रयोग किये जायेंगे ।

(ख) इस प्रायोगिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन स्विचिंग में 'स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल' (एस० पी०सी०) की टेंक्नोलोजी काम में लाई जाती है अर्थात् इस एक्सचेंज में कालें एक विशेष डिजाइन के बने कम्प्यूटर के जरिये लगाई जाती हैं । इसके जरिये जो लेबोरेटरी प्रयोग के परिणाम प्राप्त होंगे उनका इस्तेमाल व्यापारिक प्रयोग के लिये एक बड़े एक्सचेंज का डिजाइन तैयार करने में किया जायेगा जिसे वर्ष 1976 के अंत तक पूरा हो जाना है ।

आशा है कि इस तरह के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पर्याप्त लाभकारी होंगे । इनका उत्पादन और इनकी स्थापना जल्दी हो सकेगी, इनके रख-रखाव में कम लागत आयेगी और ये स्थान भी कम घेरेंगे । देश में पहले से काम कर रह इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों की तुलना में इनमें सुधार लाने और उपभोक्ताओं और प्रशासन दोनों के लिये नई सेवाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से बहुत अधिक लचीलापन भी होता है । इलेक्ट्रोमेकेनिकल प्रणालियों की अपेक्षा इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज इस समय ज्यादा महंगे पड़ते हैं । लेकिन अगले कुछ वर्षों में जब इलेक्ट्रानिक पुर्जों की कीमत कम हो जायेगी तब, आशा है, कि इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की लागत मौजूदा एक्सचेंजों की बनिस्बत कम आने लगेगी ।

इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भारत में स्थित कम्पनियों में बनी वस्तुओं की खरीद सम्बन्धी करार

2488. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट ब्रिटेन में एकाधिकार आयोग में ग्रेट ब्रिटेन में इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की प्रमुख कम्पनी ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी पर ग्रेट ब्रिटेन में तीन कम्पनियों के स्वामित्व को आडम्बर पूर्ण ढंग से छुपाये जाने का आरोप लगाया है;

(ख) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटड ने भारत स्थित कुछ कम्पनियों के साथ उनके व्यापारिक उत्पादों को खरीदने तथा उनका अपने हित में उपयोग करने के बारे में विभिन्न करार किये थे; और

(ग) यदि हां, तो इन सौदों के संबंध में तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार की जानकारी में ऐसे कोई भी मामले नहीं आये हैं ।

हिन्दी भाषी जनसंख्या

2489. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार देश में हिन्दीभाषी जनसंख्या में कमी हुई है तथा अन्यभाषी जनसंख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या हिन्दी भाषी जनसंख्या को कम दिखाने के लिये उन भाषाओं को, जो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, जानबूझकर जनता की भाषा की श्रेणी में दिखाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस घोर षडयन्त्र और हिन्दी विरोधी दृष्टिकोण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) 1971 की जनगणना के भाषा आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अब तक प्रकाशित आंकड़े अस्थायी हैं और 1961 की जनगणना के वर्गीकरण पर आधारित हैं, और इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि हिन्दी भाषी जन संख्या में कमी नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन

2490. श्री नवल किशोर शर्मा: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को ओर दिलाया गया है कि पांचवीं योजना के अन्त तक नये कनेक्शनों के लिये 3.64 लाख की एक लम्बी प्रतीक्षा सूची होगी; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना के अन्त तक अधिकाधिक व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर):(क) जी हां। आशा है कि चौथी योजना के अंत तक (पांचवीं योजना के अंत तक नहीं) प्रतीक्षा सूची में 3 लाख 64 हजार नये टेलीफोन कनेक्शनों को मांग हो जायेगी।

(ख) पांचवीं योजना की अवधि में लगभग 7 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना के अंत तक (योजना अवधि के दौरान आने वाली नई मांग को पूरा करने के बावजूद भी) प्रतीक्षा सूची में 2 लाख 65 हजार टेलीफोनों की मांगें बाकी रह जायेंगी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन किये जाने का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दूध

2491. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान** मंत्री मैसर्स कोट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में 1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय किन सूत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के किसी मामले का पता लगाता है;

(ख) क्या स्वयं कम्पनियां सरकार का ध्यान इस ओर दिलाती हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है कि निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य देश में, विदेशी मुद्रा में अथवा जैसा करार किया गया है उस रूप में प्राप्त हो; और

(घ) यदि कोई व्यवस्था है तो मैसर्स कोट्स इण्डिया लिमिटेड के बारे में उसकी क्या रिपोर्ट है और विदेशी मुद्रा की राशि कहां जा रही है अथवा कहां जमा कराई जा रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) प्रवर्तन निदेशालय के पास सूचना प्राप्त करने तथा आसूचना को एकत्रित करने के विभिन्न स्रोत है, जिन्हें बताया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) विदेशी मुद्रा विमियमन अधिनियम 1947 के अधीन, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है कि भारत से निर्यात किये गये माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्धारित ढंग से और निर्धारित अवधि के भीतर

अपने देश को लौट आता है; और रिजर्व बैंक प्राधिकृत डीलर्स के माध्यम से जी०आर०-1 फार्मों के संदर्भ में, जिन्हें निर्यात कर्त्ताओं द्वारा निर्यात के समय प्रस्तुत किया जाता है, निर्यात-आय के प्रत्यावर्तन के ऊपर निगरानी रखता है।

(घ) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये, मैसर्स कोरेस इंडिया लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई उनकी बैंकर्स रिटर्न के अनुसार रु० 5 लाख से ऊपर का निर्यात-बकाया था जिसके संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त औद्योगिक कारखाने

2492. श्री डी० के० पण्डा

श्री एस० एम० बनर्जी:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त औद्योगिक कारखानों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक विशेष दल वहां गया था;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) प० बंगाल सहित संकट-ग्रस्त इन्जीनियरी एककों की समस्याओं की जांच करने के लिये एक विशेष दल की स्थापना की गई थी। विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें उन्होंने संकटग्रस्त होने में निहित कारणों और उनके प्रभावों का विशलेषण किया है और सुधार के कुछ अभ्युपाय बताये हैं। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

नूरपुर तहसील (हिमाचल प्रदेश) के इन्दौरा में टेलीफोन कनेक्शन

2493. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) की नूरपुर तहसील के इन्दौरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 16 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिससे इस स्थान पर विभाग टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर सकें।

(ख) यदि हां, तो एस०डी०ओ० पठानकोट को ये आवेदन पत्र किस तारीख/तारीखों को प्राप्त हुए;

(ग) क्या तब से इस स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और एक्सचेंज के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) 19-2-73

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी अभी नहीं दी गई है।

(घ) अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल इंदौरा में 25 लाइनों का एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज लगाने के प्राजेक्ट की जांच कर रहे हैं। यदि यह एक्सचेंज तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया तो इस एक्सचेंज की स्थापना की मंजूरी दे दी जायेगी। यदि इस एक्सचेंज की स्वीकृति दे दी गई तो, पहले से स्वीकृत कार्यों और साज सामान की आम कमी को देखते हुए, आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1974-75 में ही चालू हो सकेगा।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज

2494. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **अन्तरिक्ष** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों ने गत तीन वर्षों में यदि अन्तरिक्ष संबंधी कोई खोज की है, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में चालू दशाब्द के दौरान होने वाले कार्यकलाप संबंधी कार्यक्रम "परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान—वर्ष 1970–1980 के दशाब्द की रूपरेखा "शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विभिन्न कार्यक्रमों पर पिछले तीन वर्षों में की गई प्रगति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1970–1971 और 1971–1972 के वार्षिक प्रतिवेदनों में तथा अन्तरिक्ष विभाग के वर्ष 1972–1973 के वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है, जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश में रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता

2495. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को, वहां आरम्भ की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं में 30,000 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये 5.30 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने मई मास में वहां का दौरा करके यह निष्कर्ष निकाला था कि रोजगार दिलाये जाने की वहां अत्यधिक संभावनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। अस्थायी रूप से 530 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) मई, 1973 में केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों से जो विचार-विमर्श किया उसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कई स्कीमें तैयार कर प्रस्तुत कीं। मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरूप तथा 21,636 शिक्षित बेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 2.13 करोड़ रुपये की स्कीमें योजना आयोग ने स्वीकृत कर दी हैं। कुछ और स्कीमें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मूल्य निर्धारण नीति

2496. श्री डी० पी० जदेजा

श्री अरविन्द एम० पटेल:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये नई मूल्य निर्धारण नीति के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) इस संबंध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की मूल्य नीति पर योजना आयोग में विचार किया गया है और उसे पांचवीं योजना प्रारूप के दस्तावेज में शामिल किया जायेगा।

डाक तथा तार कार्यालयों का बन्द किया जाना

2497. श्री मधु दण्डवते : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि निर्धारित न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने में असफल होने पर किसी डाक तार कार्यालय को बन्द नहीं किया जायेगा कुछ डाकखानों को बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) स्वतंत्रता की रजत जयंती के उपलक्ष्य में यह तय किया गया था कि यदि ग्राम हित में खोले गये किसी प्रायोगिक डाकघर से होने वाला घाटा निर्धारित सीमा से अधिक भी हो तो भी उसे स्वतंत्रता के 25वें वर्ष (14-8-72 से 15-8-73 तक) के दौरान बन्द नहीं किया जायेगा। यह रियायत उन डाकघरों पर लागू नहीं होती थी जो किन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं की प्रार्थना पर (सीमित हित के अंतर्गत) यह वचन देने पर खोले गये हों कि वे डाकघर की कुल लागत चंदे के तौर पर अदा करेंगे। ऐसे कुछ सीमित हितों के लिये खोले गये डाकघर बंद करने पड़े थे जिनके लिये आवश्यक चंदे की रकम संबंधित पार्टियों ने जमा नहीं कराई थी।

राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा से चयन किये गये उम्मीदवार

2498. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के कितने उम्मीदवारों का, राज्य-वार, चयन हुआ था ;

(ख) क्या इन सेवाओं की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार केवल अंग्रेजी भाषा में हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं में ऐसी परीक्षा न लेने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तीन विवरण संलग्न हैं जिनमें यह जानकारी दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०5834/73]**

(ख) जी नहीं। सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में, जिस के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती की जाती है, बैठने वाले उम्मीदवारों को 1969 में हुई परीक्षा से अनिवार्य विषयों के दो प्रश्न पत्रों, अर्थात् 'निबन्ध और सामान्य ज्ञान', के उत्तर अंग्रेजी के अलावा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने का विकल्प दिया गया था। हिन्दी सहित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर संबंधित भाषा में दिये जा सकते हैं। सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के अन्य वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही लिखने की अनुमति है। जहां तक भारतीय वन सेवा परीक्षा का संबंध है, इस समय लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी में ही आयोजित की जाती है। फिर भी उम्मीदवारों को 'सामान्य ज्ञान' और 'निबन्ध' से संबंधित 'सामान्य अंग्रेजी' के अंश के अनिवार्य प्रश्न-पत्रों के उत्तर संविधान की आठवीं अनुसूची में उलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने की अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार कर रही है। सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में इन्टरव्यूह केवल अंग्रेजी में ही लिये जाते हैं।

(ग) सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के अन्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने के लिये संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का प्रयोग लागू किये जाने से संबंधित प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

इन्टरव्यूहों में उम्मीदवारों के निष्पादन के मूल्यांकन में स्टैंडर्ड की एकरूपता बनाये रखने की जरूरत और इन्टरव्यूह बोर्डों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये सभी भारतीय भाषायें जानने वाले समुपयुक्त प्रतिष्ठा और हैसियत के व्यक्तियों की अप्राप्यता तथा अन्य सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए इन्टरव्यूह के प्रयोजन के लिये वैकल्पिक माध्यम के रूप में संविधान की आंठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देना संभव नहीं हो पाया है।

मजदूर सुधार सभा के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

2499. श्री मान सिंह भौरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 2 सितम्बर, 1973 को चंडीगढ़ में मजदूर सुधार सभा के प्रतिनिधियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन में कुछ अधिकारियों आदि के विरुद्ध भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण आरोप लगाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस ज्ञापन की जांच कार्रवाई है और क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) मजदूर सुधार सभा, लेबर कालोनी सेक्टर 26, चण्डीगढ़ के भूतपूर्व अध्यक्ष स दिनांक 2 सितम्बर, 1973 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में सरकारी विभागों के कार्यकरण तथा तथाकथित भ्रष्टाचार के बारे में आलोचना की गई थी, किन्तु उसमें भ्रष्टाचार के किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं था। अतः आगे कार्यवाही करना संभव नहीं था।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा भारत से बाहर भेजी गई धनराशि

2500. श्री मान सिंह भौरा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीज लिमिटेड ने 1971 और 1972 के दौरान लाभांश तथा तकनीकी जानकारी के रूप में भारत से कितनी धनराशि बाहर भेजी ;

(ख) क्या वर्ष 1968 से 1970 की अवधि में इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का तकनीकी जानकारी के खाते में धन प्रेषण अनुमान से अधिक रहा ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों को ऐसे धनप्रेषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क)

वर्ष	लाभांश	तकनीकी जानकारी के आंकड़े
		(हजारों में)
1971	32.26	—
1972	32.26	4.92*

(ख) नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार अनुसंधान फीस के रूप में 1972 में 14,34,564 रुपये की राशि भेजी गई थी :-

अवधि	राशि
1-10-1965 से 30-9-1966 तक	26,820 पौंड
1-10-1966 से 30-9-1967 तक	24,758 पौंड
1-10-1967 से 30-9-1968 तक	28,120 पौंड
	79,698 पौंड
	14,34,564 रुपये

*यह राशि संयुक्त अनुसंधान के करारों की शर्तों के रूप में मै० ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड, यू० के० को 1-10-1959 से 10 वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये दी जाने वाली अनुसंधान फीस है यह करार 30-9-1969 को समाप्त हो गया था।

(ग) ऐसी कम्पनियों को भेजी जाने वाली राशि में कमी करने के लिये सरकार ने कुछ निम्नलिखित उपाय किये है :—

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 18–क जो 1–4–1965 से लागू किया गया था, के अधीन, केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना विदेशी शाखाओं और विदेशी बाहुल्य वाली, कम्पनियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय परामर्श दाता अथवा व्यापार या वाणिज्य क्षेत्रों में अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की नीति ही है।

(2) विदेशी बाहुल्य वाली कम्पनियों के मामले में औद्योगिक लाइसेंस नीति में कड़ाई कर दी गई है ताकि आगामी विस्तार केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित रखा जा सके जो देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य समझी जाती हैं। सामान्य रूप से ऐसे विस्तार को इस शर्त पर स्वीकृति दी जाती है कि कम्पनियां विदेशी शेयरधारिता में भाग लेने के लिये भारतीय नागरिकों को अतिरिक्त इक्विटी देंगी।

(3) रायल्टी करारों की अवधि अब कम सैमयिकी है और अनुमत रायल्टी की दर भी कम है।

(4) नया विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 अभी हाल ही में पारित हुआ है और इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयय धारिता वाली भारतीय कम्पनियां को अपने विद्यमान व्यापार संबंधी कार्य कलापों को चालू रखने के लिये रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति लेनी पड़ेगी।

राज्य सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश में अन्य क्षेत्र

2501. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का 10 प्रतिशत राज सहायता के लाभ के बारे में 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां की विशिष्ट आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के समस्त चित्तूर जिले को इस संबंध में पात्र मानने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) में एक इलैक्ट्रोनिक उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस

2502. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आंध्र प्रदेश के चित्तूर नामक स्थान पर एक इलक्ट्रोनिक उत्पादन कारखाना स्थापित किय जाने के लिये आशय पत्र अथवा लाइसेंस दिया गया है;

(ख) उत्पादन कार्यक्रम क्या है ;

(ग) इस परियोजना को क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने तथा उसको सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये जाएंगे ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और ख) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम हैदराबाद को स्टाइरोफ्लेक संधारित्र (प्रतिवर्ष 1 करोड़ नग), विद्युत-अपघटनी संधारित्र (प्रतिवर्ष 50 लाख नग) और सिरेमिक ट्रिमर्स (प्रतिवर्ष 50 लाख नग के उत्पादन) के लिये 15 जून, 1970 को एक आशय पत्र दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य के पिछड़े क्षेत्र चित्तूर में आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने संयुक्त क्षत्र के अन्तर्गत परियोजना को क्रियान्विति का प्रस्ताव किया है। निगम द्वारा प्रदत्तसूचना के अनुसार, एक नई कम्पनी के निर्माण

हेतु तथा राज्य की एक निजी पार्टी के साथ उन्नत करार को अन्तिम रूप देने संबंधी कदम अब उठाये जा रहे हैं। देश और विदेश दोनों जगहों से उपयुक्त जानकारी हेतु वार्तायें अब की जा रही हैं। आशय पत्र की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है और सम्प्रति यह 12 मार्च, 1974 तक के लिये वैध है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देना

2503. श्री रामावतार शास्त्री: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में डाक ताथा तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के मामलों में आमतौर पर कार्यवाही करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब किया जाता है जिसमें कभी-कभी छः महीने अथवा उससे अधिमक समय लग जाता है ;

(ख) क्या बिहार के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा शैक्षिक संस्थाओं से सत्यापन कराने के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया में बहुत समय लगता है तथा उसमें रुकावट भी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करके तथा लगभग एक महीने के अन्दर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य सुनिश्चित करके छात्रवृत्तियों को समय पर और शीघ्र देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) छात्रवृत्तियों के लिये अर्जियां छात्र-वृति अवार्ड समिति (सर्किल में) के पास 15 सितम्बर, तक आती है और अवार्ड समिति इन अवार्डों का अन्तिम निर्णय 31 अक्तूबर तक करती है। जब शैक्षिक संस्थायें विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले तै करने में विलम्ब करती है तो कभी कभी उपर्यक्त तारीखों की जगह बाद की तारीखें रखनी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत अवार्ड लेने से इंकार करता है तो सर्किल छात्रवृत्ति अवार्ड समिति 20 दिसम्बर तक वह अवार्ड उस अगले उम्मीदवार के नाम मंजूर कर देती है जो उसे पाने का पात्र होता है।

(ख) महानिदेशक, डाक-तार ने सभी सर्किलों के लिये सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की है। सभी सर्किलों में इस प्रक्रिया का पालन काफी संतोषजनक ढंग से हो रहा है। जहां कहीं संभव होता है, यह सत्यापन कर्मचारियों के जरिये ही कराया जाता है।

(ग) मौजूदा प्रक्रिया संतोषजनक है। सभी औपचारिकतायें एक महीने में पूरा करना संभव नहीं है। सर्किल अध्यक्षों की ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि वे सभी औपचारिकतायें पूरी करने के लिये तेजी से कार्रवाई करें और जहां तक संभव हो सके जल्द से जल्द छात्रवृत्तियों की अदायगी करें ताकि कर्मचारियों को परेशानी न हो।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा अर्ध विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता

2504. श्री रामावतार शास्त्री: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने अर्द्ध विकसित क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता देने में उदारता बरती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बस आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री अल्प विकसित क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता नहीं देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Telephone Calls made Clandestinely

2505. Shri M.C. Daga : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether thousands of Telephone calls are made clandestinely by Government employees and Government have to suffer losses of lakhs of rupees annually on that account; and

(b) if so, the number of employees caught red handed during the years 1972-73 so far, respectively and the action taken against them by the Government ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) If the number is referring to Govt. employees manning the Telephone exchanges the position is that earlier each trunk calls was put through with the help of at least two operators, one at the originating end and one at the destination station. Sometimes when the calls were routed through an intermediate station, more than two operators were needed. With modernisation of trunk handling techniques, trunk calls are now directly dialled on most routes by single operator at the originating station. Cases do arise, however, which are not large in number, when operators put through trunk calls without booking.

Systematic observation of trunk circuits is made to detect such malpractices and disciplinary action is taken against delinquent officials. The number of officials proceeded against for passing unbooked trunk calls during 1972 and 1973 is being compiled.

जिला कांग्रेस कमेटी और उत्तरकाशी की नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

2506. श्री झारखण्डे राय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कांग्रेस कमेटी, उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश) और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया दिनांक 15 सितम्बर, 1973 का ज्ञापन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का क्या ब्यौरा है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) श्री कुन्दन सिंह, जिला कांग्रेस समिति, श्री कमला राम नौटियाल, अध्यक्ष, उत्तरकाशी नगर पालिका, तथा श्री नेम चन्द से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा अन्य को भेजे गये संयुक्त तार दिनांक 15 सितम्बर, 1973 की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई थी। इसमें अन्य बातों के साथ साथ तिलोत घटना से संबंधित अधिकारियों के तुरन्त स्थानान्तरण तथा किसानों के विरुद्ध मामलों को वापस लेने की मांग की गई थी। राज्य सरकार से तथ्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

अखबारी कागज की समस्या को 'यूनेस्को' में उठाने का प्रस्ताव

2508. श्री सी० के० जाफर शरीफ

श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यू० एन० इ० एस० सी० ओ० में अखबारी कागज की समस्या को उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) संसार में जितना अखबारी कागज बनता है उसका युक्ति संगत वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर 'यूनेस्को' का ध्यान आकर्षित करते हुए उसे लिखने का विचार है, ताकि समाचारपत्रों के माध्यम से सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के मामले में एशियाई क्षेत्र के देश विश्व के अन्य भागों के देशों की अपेक्षा अधिक अलाभकारी स्थिति में न रहें।

Foreign Assistance for Fifth Plan

2509. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Palnning be pleased to state :

(a) whether foreign assistance to the tune of Rs. 3700 crores has been envisaged for Fift Five Year Plan;

(b) whether it was mentioned in the Third Five Year Plan document that India will not need any foreign assistance for Fifth Five Year Plan ; and

(c) the reasons for which Government have failed to achieve self-reliance ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No Sir. The revised estimate will be given in the Draft Fifth Plan document, a copy of which will be laid on the Table of the House in due course.

(b) The Third Plan document postulated that "the econom should become more and more self-reliant, so that it is able to support within a period of 10 or 12 years an adequate scale of investment from its own production and savings. Normal inflow of capital may continue but reliance on special forms of external assistance has to be reduced progressively and eliminated."

(c) The Government continues to pursue the goal of self-reliance. The Fourth Plan objective of reducing net aid to one-half of the pre-Plan level is expected to be realised. The recent sharp rise in the price of imported oil, steel, non-ferrous metals, newsprint, etc. has created new difficulties. The Fifth Plan envisages effective measures to neutralise this adverse trend in our terms of trade, thus bringing about sufficient improvement in the balance of payments so as to meet, by 1978-79, the maximum amount of our foreign exchange requirements, other than debt service charges, from our own resources.

सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण

2510. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यक्रमों को अधिक तेजी से क्रियान्वित करने के लिये जिला अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख)यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि विकास कार्यक्रमों का कारगर क्रियान्वयन तभी संभव है जब कि जिला अधिकारियों तथा अन्य तकनीकी, प्रशासनिक तथा प्रबन्ध कर्मचारी उचित प्रशिक्षण प्राप्त हों । पिछली योजनाओं में प्रशिक्षण क्षमता के विकास की दिशा में पग उठाये गये थे और इस कार्य के लिये प्रबन्ध, सरकारी तथा आर्थिक प्रबन्ध तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये थे । इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभागीय एजेंसियों ने विभिन्न स्तरों पर जिला-स्तर सहित, अलग-अलग किस्म के काम करने वालों से संबंधित संस्थानात्मक एवं काम करते हुए प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम प्रारम्भ किये थे । जिन विषयों में प्रशिक्षण दिया गया उनमें से कुछ ये थे—विकास प्रशासन, परियोजना निर्माण, किये गये कार्य का बजट बनाना, बजट तथा वित्तीय नियंत्रण, आर्थिक निर्णय, प्रबन्ध का आधुनिकीकरण, सामाजिक नीति तथा प्रशासन, आदि। जिला नियोजन, जिलों में कृषि कार्यक्रमों का निष्पादन जैसे विषयों पर गोष्ठियां भी आयोजित की गई ।

पांचवीं योजना कार्यक्रमों की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ बनाने के प्रयासों को तीव्र करने का प्रस्ताव है । इस संबंध में विभागीय एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों तथा सरकारी तथा निजी संस्थानों का सुनियोजित सहयोग प्राप्त किया जायेगा जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा उनमें से कुछ ये हैं—कृषि, भूमि सुधार, परिवार नियोजन, शिक्षा, ग्राम तथा लघु उद्योग, जिला नियोजन तथा ऐसे दूसरे कार्यक्रम जो पांचवीं पंच वर्षीय योजना ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ सहज रूप से संबद्ध हैं ।

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों का निलम्बित किया जाना

2511. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1973 को राजधानी में कदाचार के लिये कुछ पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान । तीन उप-निरीक्षकों को निलम्बित किया गया था ।

(ख) एक उप-निरीक्षक सार्वजनिक स्थान पर शराब पिये हुए तथा अव्यवस्थित रूप में पाया गया था । पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा उप-निरीक्षक को पुलिस थाने ले गई । रास्ते में वह छुड़ा कर भाग गया । शराब पिये हुए तथा अव्यवस्थित रूप में पाया गया उप-निरीक्षक और दूसरा उप-निरीक्षक जिस पर उसे भागने देने के कारण कर्तव्य अवहेलना करने के दोष का संदेह था, दोनों को निलम्बित कर दिया गया । शराब पिये हुए तथा अव्यवस्थित रूप में पाये गये उप-निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है । कर्तव्य अवहेलना के लिये दोषी होने के संदेह में निलम्बित उप-निरीक्षक की जांच पड़ताल के बाद बहाल कर दिया गया है ।

एक दूसरे मामले में एक उप-निरीक्षक ने शराब के नशे में एक महिला का शील भंग करने का प्रयत्न किया । उसको जनता ने वहीं पर बलपूर्वक वश में कर लिया जिसके दौरान उसने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई इस मामले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले के उप-निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है । उसे भी निलम्बित कर दिया गया है । आपराधिक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और विभागीय कार्यवाहियां जारी हैं ।

केरल में सरकारी क्षेत्र में टाइटेनियम के कारखाने लगाना

2512. श्री ए० के० गोपालन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल सरकारी क्षेत्र में ही टाइटेनियम के कारखाने लगाने के केरल सरकार के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ख) टाइटेनियम कारखानों को केवल सरकारी क्षेत्र के लिऐ आरक्षित करने का केरल सरकार का अनुरोध विचाराधीन है ।

Range of Amritsar T.V. Station

2514. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a Television Station was opened in Amritsar in the last week of September, 1973;

(b) the area that will be covered by this Television Broadcast and the number of persons likely to be benefited; and

(c) the amount of money spent by Government on the construction of this Television Station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir. A Television transmitting Station was commissioned at Amritsar on 29-9-1973.

(b) Expected area of coverage :—
Approximately 13,000 sq. kms.
Number of persons likely to be benefited :—
Approximately 30 lakhs.

(c) Expenditure incurred upto September, 1973 :—
About Rs. 79 lakhs.

Payment of Overtime Allowance

2515. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime Allowance paid during the financial year 1972-73 to the employees working in his Ministry has considerably increased as compared to that paid during the years 1970-71 and 1971-72; and

(b) if not, the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime Allowance during the said financial years ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) There has been some increase. The amount of Overtime Allowance paid during these years is given below :—

(In Lakhs of Rupees)

1970-71	1971-72	1972-73
885.40	1046.33	1207.39

Demonstration by Jan Sangh in Delhi

2516. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Delhi Pradesh Jan Sangh staged demonstration in the various parts of the Capital on 4th November, 1973; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) According to the information received from the Delhi Administration, the Delhi Pradesh Jan Sangh organised such demonstrations on 4th November, 1973 as part of the their agitation from November 4 to 19, 1973 against the rising prices.

Use of Hindi in P&T Department

2517. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether employees of the Commercial Branch of the Post and Telegraph Department located in the Eastern Court, Delhi are not allowed to do their work in Hindi language;

(b) whether it is against the declared policy of the Government that official work can be done in Hindi; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by the Governmen in this regard ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) As far as known no such complaint has been made. Infact no employee in Commercial or any other Branch of Delhi of Telecommunication, Eastern Court, New Delhi has been prevented from making use of Hindi in day to day office work.

(b) and (c) Does not arise.

Number of Employees in Department of Atomic Energy

2518. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Department of Atomic Energy; and

(b) the number out of them who are temporary ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The number of regular employees as on November 15, 1973 in the Department of Atomic Energy including its constituent units was 14081, out of which 9048 were temporary. These figures do not include employees of the projects which are in construction phase where the question of permanency does not arise.

देश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस

2519. श्री प्रसन्न भाई मेहता

श्री आर० वी० स्वामीनाथन:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये हैं, जिनके पास से भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों और नौसेना के पोतों के बारे में महत्वपूर्ण गुप्त कागजात प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी कुछ पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तानी एजेंटों को गोपनीय रहस्यों की सूचना देते हुए पकड़े गये थे; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) असम, जम्मू व काश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने रिपोर्ट दी है कि ऐसी कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। असम, जम्मू व काश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड पंजाब, राजस्थान तथा, पश्चिम बंगाल सरकारों से सूचना आनी है।

सत्ता के अत्याधिक केन्द्रीयकरण के कारण कनिष्ठ अधिकारियों में पहल करने की भावना समाप्त होना

2522. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी

श्री प्रबोध चन्द्र:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकार के प्रमुख सेवा निवृत्त प्रशासकों (इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 4 नवम्बर, 1973 के अनुसार) द्वारा नवम्बर, 1973 में इण्डिया नेशनल सेन्टर में आयोजित की गई विचार गोष्ठी में व्यक्ति विचारों की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके अनुसार सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीयकरण के कारण निम्न-स्तरों के अधिकारियों में पहल लेने की ओर कार्य के प्रति निष्ठा की भावना समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौके पर जाकर काम करने की तुलना में सचिवालय के काम को अधिक आकर्षण बना देने में अब तक की गई कार्यवाही से ही विशेषज्ञों और प्रशासकों के बीच सारा विवाद पैदा हुआ है;

(ग) क्या प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप और पुलिस फोर्स के गिरते हुए मनोबल के कारण ही देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ आया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक विचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक पहलू के अन्तर्गत स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । फिर भी, तृतीय वेतन आयोग ने मौके पर जाकर काम करने से संबंधित पदों (फील्ड पोस्टस) का महत्व बढ़ाने तथा विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी सेवाओं के वेतनमानों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं इन सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(ग) तथा (घ) प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप और पुलिस फोर्स के मनोबल पर उससे पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में किसी प्रकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया है । शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगीकरण जैसे कारकों और उन दबावों और तनावों से जिनका कि किसी विकासशील समाज को अपनी विकास प्रक्रिया क दौरान सामना करना पड़ता है, देश में अपराध की स्थिति के बढ़ने में सहायता मिली है ।

फिल्मों में सेंसर के बारे में फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के प्रतिनिधियों की समितियां

2523. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधियों की समितियां बनाई हैं जिससे कि फिल्मों का स्क्रिप्ट और उनका निर्माण सेंसर बोर्ड की नीतियों के अनरूप हो और फिल्म के निर्माण के उपरान्त सेंसर बोर्ड द्वारा उसे पूरी तरह रद्द करने के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों के अवसरों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कितनी समितियां बनाई गई हैं और वे कहां पर कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने उक्त समितियों की उपयोगिता का पता लगाने के लिये हाल ही में बम्बई की यात्रा की थी और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उद्योग ने इस बारे में समुचित उत्साह प्रकट किया है और यदि नहीं, तो यदि कोई हिचकिचाहट है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के गठन में परिवर्तन

2524. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के गठन में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके दायित्वों में भी परिवर्तन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । तथापि, निगम का निदेशक-मण्डल हाल ही में पुनर्गठित किया गया है ।

प्रेस संवाददाताओं द्वारा भेजे गये संदेशों को सेंसर करना

2525. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम क अधीन, समाचार पत्र संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचारों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा सेन्सर करने की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम के निश्चित उपबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार की सेन्सर-शिप लागू कर दी है और यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (यथा 1972 के अधिनियम संख्या 38 के अधीन संशोधित)की धारा 5(2) इस प्रकार हैं :–

5. लाइसेंस शुदातारों को कब्जे में लेने और तारों को बीच में ही रोकने के आदेश देने के बारे में सरकार का अधिकार

(1) X X X X

(2) "सार्वजनिक आपातकालीन स्थिति आने पर या जन-सुरक्षा के हित में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोकव्यवस्था या किसी उत्तेजना की रोकथाम के लिये ताकि कोई अपराध न घटित हो सके, ऐसा करना अनिवार्य या समयोचित होगा, तो वह उन कारणों के लिये जिन्हें लिखित रूप में रेकार्ड किया जाये, आदेश के जरिये यह निदेश दे सकता है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय द्वारा या व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को भेजा गया या किसी खास विषय से संबंधित कोई भी तार या तारों का कोई भी वर्ग पारेषण के लिये लाया जाए या पारेषित किया गया हो या किसी तारघर में प्राप्त हो तो उसे पारेषित न किया जाए या उसमें व्यवधान डाला जाए या रोक लिया जाए या जिस सरकार ने ऐसा करने के आदेश दिये हों, उस सरकार को या आदेश में उल्लिखित अधिकारी को यह संदेश बता दिया जाए बशर्ते कि :–

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रत्यायित संवाददाताओं के उन प्रेस तार संदेशों के, जो भारत में ही प्रकाशित करने के लिये हों, पारेषण में व्यवधान न डाला जाय या उन्हें न रोका जाए जब तक कि इस उप-धारा के अधीन उन के पारेषण की मनाही न की गई हो ।

(ग) जी, नहीं ।

कश्मीर जमींदार एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में आत्म-दाह करने सम्बन्धी योजना को स्थगित करना

2526. श्री वी० मायावन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के कारण दिल्ली में आत्महत्या करने संबंधी योजना को कश्मीर जमींदार एसोसिएशन द्वारा स्थगित करना शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उनकी क्या मांगें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) सरकार ने यह प्रेस रिपोर्ट देखी हैं । किन्तु प्रधान मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) जम्मू व कश्मीर राज्य के भूस्वामियों की मुख्य मांगें हैं कि उन्हें निर्धारित सीमा के भीतर किन्हीं पूर्व-शर्तों के बिना निजी काश्तकारी के लिये उनकी भूमि वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिये, कि भूस्वामियों को कम से कम 2 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि प्रदान की जानी चाहिये और यह कि भूतपूर्व उपयुक्त भूस्वामियों को मुआवजा दिया जाना चाहिये और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिये;

(ग) चूंकि कृषि सुधार का विषय राज्य का विषय है, अत: भूस्वामियों की मांगें उचित कार्यवाही के लिये जम्मू व कश्मीर सरकार को भज दी गई हैं ।

'केबल्स' के लघु निर्माताओं को एल्यूमिनियम का आंवटन

2527. श्री वी० मायावन

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'केबल्स' के लघु निर्माताओं को "इलैक्ट्रो-लाइटिक" एल्यूमिनियम की कम सप्लाई का केबल्स के सरकारी क्रय कार्यक्रम पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या "फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज इन इंडिया" के 'वायर एण्ड केबल्स' पेनल के अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया है कि केबल एककों के लिये एल्यमिनियम के आवंटन में वृद्धि की जाये;

(ग) क्या उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि आवंटन पद्धति के अध्ययन के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाये और ऐसे एककों के लिये, जिनके पास सरकारी क्रयादेश लम्बित है, पर्याप्त मात्रा की सप्लाई का प्रबन्ध किया जाये, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) उपलब्धि के अनुसार, लघु एककों के लिये कच्चे माल के आबंटन को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। आबंटन पद्धति का अध्ययन करने हेतु किसी भी उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बिजली की सप्लाई पुनः शुरू हो जाने से संभवतः उपलब्धि में सुधार आने की आशा है।

गया, नवादा और जहानाबाद में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

2528. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में अक्टूबर, 1973 को कुल कितने आवेदन पत्र दर्ज थे;

(ख) वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा सूची में से कुल कितने आवेदन पत्रों का निपटान किये जाने की संभावना है; और

(ग) निकट भविष्य में उक्त जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) गया जिले में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए तारीख 1-10-73 को प्रतीक्षा सूची में 181 आवेदकों के नाम दर्ज थे । नवादा (जहानाबाद) गया जिले का एक उपमंडल है ।

(ख) आशा है कि इस वर्ष के अंत तक शेरघाटी की दो और टेकारे की एक बकाया मांग पूरी हो जायेगी ।

(ग) शेष 178 टेलीफोनों की मांगें, जो कि सभी गया की हैं, इस एक्सचेंज के विस्तार किये जाने पर ही पूरी हो सकेंगी । इस एक्सचेंज का विस्तार 1974-75 में किय जाने की योजना है । फिलहाल इस एक्सचेंज में टेलीफोन देने के लिये और कोई क्षमता बाकी नहीं है ।

तांबे के तारों की कमी

2529. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या देश में बिजली की कमी होने की वजह से इलैक्ट्रिक मोटर पम्पिंग सटों के तांबे के तार जल जाते हैं और बेकार हो जाते हैं ;

(ख) क्या खुले बाजार में नियन्त्रित कीमत पर तांबे के तार उपलब्ध नहीं होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो नियंत्रित कीमत पर तांबे के तारों की सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, नहीं ।

(ख) तांबे के तार खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं । तांबें के तारों के लिये नियंत्रित मुल्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं

2530. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में डाक तार कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें नितान्त अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहले से अधिक निधि रखी गई है । इस बारे में योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट लुधियाना में कच्चे माल का मूल्यांकन

2531. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे "स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट लुधियाना" ने अलौह धातुओं का उपयोग करने वाले लघु औद्योगिक एककों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पंजाब को लोहे और इस्पात की अपनी आवश्यकताओं का केवल 5 प्रतिशत भाग ही मिलना है जबकि अन्य राज्यों को उनकी आवश्यकताओं से अधिक माल मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता ।

(ग) और (घ) पंजाब सहित देश भर में इस्पात के कच्चे माल की आम कमी है संयुक्त संयंत्र समिति इस्पात के वितरण में किन्हीं निश्चित प्रतिशतों का पालन नहीं करती । प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त तत्काल मांगों की ही पूर्ति की जाती है ।

हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब को टायरों का आवंटन

2533. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को टायरों का विशेष आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब को भी उतनी ही मात्रा में आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) दि आटोमोटिव टायर इन्डस्ट्री आफ इण्डिया से हरियाणा तथा जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को विशेष रूप से टायरों का आवन्टन करने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) इसी प्रकार पंजाब राज्य के लिये भी विशेष आवंटन करने हेतु इण्डस्ट्री से अनुरोध किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भारतीय जनता को पहले से बताना

2534. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भारतीय जनता को पहले से शिक्षित करने के बारे में आकाशवाणी पूरी तरह असफल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो "गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण" विषय के बारे में आकाशवाणी के लिय कुल कितना समय लिया; और

(ग) क्या कृषि के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त करने के लिये चुने गये वक्ता अधिकतर बड़े-बड़े नगरों के गैर-कृषीय व्यक्ति होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में इस विषय को स्थान देने के अतिरिक्त, समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रमों में भी इस विषय को 13 घंटे दिये गये । आकाशवाणी के 41 केन्द्रों ने इस विषय को 104 घंटे तथा 42 मिनट दिये ।

(ग) सामान्यतया विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को ही इन कार्यक्रमों में प्रसारण करने हेतु बुलाया जाता है । प्रादेशिक केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों से वक्ताओं को पर्याप्त संख्या में इन कायक्रमों में प्रसारण करने हेतु बुलाते हैं ।

नई दिल्ली में टिकट-संकलन प्रदर्शनी

2526. श्री राजदेव सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 126 देशों के डाक विभाग अपनी डाक टिकटों के संचयन सहित नई दिल्ली में नवम्बर, 1973 म हुई प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रदर्शनी पर हुए व्यय का अनुमान क्या है; और

(ग) उक्त प्रदर्शनी के आयोजन से किस उद्देश्य की पूर्ति हुई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) हालांकि शुरू में 126 डाक प्रशासनों न इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये अपनी सहमति दी थी किन्तु वास्तव में विभिन्न देशों और प्रदेशों के 113 डाक प्रशासनों ने ही भाग लिया । इनमें मेजबान देश भारत भी शामिल था । इन प्रशासनों ने अपने यहां के डाक टिकटों के सरकारी संग्रह प्रदर्शित किये ।

(ख) अनुमान है कि इस प्रदर्शनी में करीब 28 लाख रुपये खर्च होंगे और आशा है कि इससे 30 लाख रुपये से कम की आय नहीं होगी ।

(ग) इस प्रदर्शनी का आयोजन इन उद्देश्यों से किया गया था कि युवा पीढ़ी में फिलैटली के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो और देश-विदेश के डाक-टिकट प्रेमियों के लिये एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जाए, जहां वे अपने विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान कर सकें तथा आपस में स्थायी प्रकार के संपर्क स्थापित कर सकें । इस आयोजन का एक उद्देश्य यह भी था कि विदेश के डाक-टिकट संकलन कर्त्ताओं में भारतीय डाक-टिकटों और भारतीय फिलैटली के प्रति अधिक दिलचस्पी पैदा की जाये तथा विश्व के फिलैटली के मानचित्र में भारत का नाम भी अंकित हो ।

हरिजनों और आदिवासियों की निःशुल्क शिक्षा हेतु केरल को सहायता

2537. श्रीमती मार्गवी तनकप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से चालू वर्ष के दौरान हरिजनों और आदिवासियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संबंध में सुविधायें जुटाने हेतु वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) इस मंत्रालय में केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में डाक-तार कार्यालयों के स्थान के लिय दिया गया किराया

2538. श्रीमती मार्गवी तनकप्पन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग में केरल सर्किल में डाकघरों, तारघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों और विभाग के अन्य प्रयोजनों के हेतु लिये गये मकानों के लिये मकान मालिकों को गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना किराया अदा किया ;

(ख) किराये के रूप में जिला-वार कितनी राशि अदा की गई; और

(ग) क्या सरकार किराये के रूप में इतनी अधिक राशि अदा करने के स्थान पर अपनी स्वयं की इमारतों का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क)

	1970–71	1971–72	1972–73
डाकघर	9,15,093	10,00,781	10,89,382
तारघर	42,936	61,775	59,704
टेलीफोन एक्सचेंज	3,34,668	3,39,395	4,16,151
अन्य उद्देश्यों के लिये	94,436	1,30,586	1,91,897
(ख)			
कन्नानोर	1,31,357	1,22,108	1,19,304
कालीकट	96,092	1,10,786	1,31,909
मालेपुरम	1,01,555	1,03,545	1,15,622
पालघाट	1,51,334	1,85,178	1,79,501
त्रिचुर	1,82,136	1,84,933	2,06,470
एरनाकुलम	2,75,257	2,61,557	3,26,279
कोट्टायम	1,60,760	1,70,623	1,80,905
इडिक्की	—	1,858	25,564
अलेप्पी	93,503	1,05,895	1,16,775
क्विलोन	85,667	96,569	1,31,691
त्रिवेन्द्रम	1,00,072	1,79,610	2,16,214
कोयम्बतूर	6,600	6,600	6,600
तिन्नेवेल्ली	—	900	825
मंगलूर	1,800	2,450	300

(ग) पांचवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान 136 टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और 102 एक्सचेंजों के लिये इमारत बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। डाकघरों के लिये 13 इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। 22 और इमारतों के निर्माण के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। निधि उपलब्ध होने पर पांचवीं योजना की अवधि में अन्य सेवाओं के लिये भी इमारतें बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान एककों को विदेशी मुद्रा देना

2539. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान एककों को विदेशी मुद्रा देने के लिये कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) वर्तमान आयात नीति के अधीन, पूंजीगत सामग्री एवं कच्चे माल के आयात के लिये सभी अनुसंधान संगठनों को विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं, जो इलैक्ट्रोनिक्स एककों पर भी लागू हैं। मोटे तौर पर, अनुसंधान एवं विकास प्रयोजनों हेतु एक विशिष्ट प्रकार की पूंजीगत सामग्री के आयात के लिये वे ही संगठन अथवा व्यक्ति विशेष योग्य हैं जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना पंजीकरण करा रखा है। इस प्रयोजन हेतु यथा गठित समिति की जांच के पश्चात, ऐसे उपस्कर सामान्यतः ऐसे मामलों में लागू विज्ञापन प्रक्रमों से विमुक्त कर दिये जाते हैं। कच्चे माल के संबंध में, 25,000 रुपये प्रतिवर्ष के उच्चक मूल्य तक वास्तविक प्रयोक्ताओं या प्रतिष्ठापित आयातकर्ताओं को अनुमत मदों का आयात करने की अनुज्ञा मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को दी गयी है।

बम्बई में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

2540. श्री हरिकिशोर सिंह

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में उच्च टेलीफोन अधिकारियों की कथित अनियमितताओं तथा उनके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) बम्बई की टेलीफोन उपभोक्ता असोसियेशन के अध्यक्ष ने अभी हाल ही में सरकार के पास अपनी शिकायत भेजी है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बम्बई में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमिततायें बरती जा रही हैं। असोसियेशन के अध्यक्ष से प्रार्थना की गई है कि वे उन खास मामलों की हमें जानकारी दें जिनमें टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमिततायें बरती गई हों, ताकि सरकार उनके बारे में निश्चित छान-बीन कर सके। अध्यक्ष महोदय के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1975 और 1976 के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों की तैयारी

2541. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सितम्बर, 1973 को प्रधान मंत्री के साथ संबंधित मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 1975 और 1976 के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग संबंधी कार्यक्रमों की तैयारी पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ख) इस बैठक में उपग्रह टेलीविजन सहित जनसंपर्क माध्यम की राष्ट्रीय विकास में भूमिका का सामान्यतः पुनर्विलोकन किया गया था। और बातों के साथ साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का संदेश पहुंचाने के लिये, टेलीविजन का जनसंपर्क माध्यम के रूप में उपयोग किया जाये और इस संदर्भ में उपग्रह प्रधान और भौमिक टेलीविजन पारेषण मिश्रित पद्धति भारत के लिये अत्यन्त उपयुक्त पद्धति होगी। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि निहित कार्यों की जटिलता को ध्यान में रखत हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक उपयुक्त टेलीविजन संगठन बनाया जाये जो इस राष्ट्रीय प्रयत्न के उद्देश्यों की पूर्ति करे।

पांचवीं योजना के दौरान रोजगार

2542. श्री बी० वी० नायक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार संभाव्यता क्या है;

(ख) क्या योजना के अन्त में योजना के प्रारम्भ के समय की अपेक्षा कम बेरोजगारी होगी;

(ग) क्या शिक्षित लोगों को छोटे मोटे रोजगारों जैसे दुकान सहायक, चपड़ासी का काम इत्यादि, की ओर आकर्षित करने के लिये कोई प्रयास किया जायेगा; और

(घ) क्या कार्य शिविरों (वर्क कैम्पस) आरम्भ करने की कोई योजना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (घ) यह विषय अभी विचाराधीन है।

अकोला तथा बुलढाना जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

2543. श्री बसन्त साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकोला तथा बुलढाना जिलों से 31 अगस्त, 1973 तक कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन के मामलो पर विचार किया गया है, कितने मामले मंजूर एवं स्वीकृत किये गये हैं कितने मामलों में स्वीकृति भेजी जा चुकी है, कितने मामले रद्द किये गये और कितने मामलों में जांच चल रही है;

(ख) सितम्बर, 1973 से नवम्बर, 1973 के मध्य तक अकोला तथा बुलेढाना से पेन्शन के कितने मामलों पर विचार किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उपरोक्त जिलों से पेन्शन के कितने मामलों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अकोला से 40 मामलों की तथा बुलढाना से 30 मामलों की जांच की जानी है।

विवरण

अकोला और बुलढाना जिलों के बारे में निपटाए गये स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामलों की संख्या का विवरण

	कार्यवाही की गई	अनुमोदित तथा स्वीकृत किये गये	स्वीकृति आदेश जारी किये गये	अस्वीकृति किये गये	विचाराधीन
31-8-73 तक	600	320	320	190	90
1-9-73 से 15-11-73 तक	76	18	17*	35	23

*शेष एक मामले में शीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे।

श्री एन०बी० शाह द्वारा प्रधान मन्त्री के जाली हस्ताक्षर बनाना

2544. श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री 22 अगस्त, 1973 के प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाने के कारण बम्बई में व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3928 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस बैंकिंग कार्पोरेशन, जनेवा के दोनों खाते (जिनका हवाला केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट, 1972 में दिया गया है) जाली है अथवा उनमें से एक जाली है और दूसरा असली;

(ख) यदि दोनों खाते जाली हैं तो प्रधान मंत्री के जाली हस्ताक्षर बनाकर उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने की क्या आवश्यकता थी;

(ग) बम्बई के श्री एन० बी० शाह के बारे में जिन्होंने स्विस बैंकिंग कार्पोरेशन जनेवा को जाली पत्र दिया, पूर्वजानकारी क्या है; और

(घ) क्या उसे कभी पागल अथवा मानसिक रूप से विक्षुब्ध माना गया था ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) स्विस बैंकिंग कार्पोरेशन, जनेवा में कोई भी खाता प्रधान मंत्री के नाम से नहीं है, अर्थात् न तो खाता संख्या 403216 ही और न संख्या 551197 ही उनके नाम से हैं। प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरयुक्त बताये जाने वाले पत्र के प्रकाशन का गलत असर उन्हीं लोगों पर पड़ने की संभावना थी जिन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह पत्र जाली है ।

(ग) भूस्वामियों से गैरकानूनी प्रभार वसूल करने के संबंध में बम्बई रैन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अधीन श्री एन० बी० शाह पर अनेक मामलों में मुकदमा चलाया गया और उसे दोष सिद्ध पाया गया तथा एक मामले में उसे एक अन्य पार्टी की भूमि को जबरन अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करने के लिये गिरफ्तार किया गया ।

(घ) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या उसे कभी पागल अथवा मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति माना गया था ।

परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत-बंगलादेश समझौता

2545. श्री एस० एन० मिश्र: क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में भारत और बंगलादेश ने आपस में द्विपक्षीय समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के बारे में बंगलादेश तथा भारत के मध्य एक करार पर 27 अगस्त, 1973 को ढाका में हस्ताक्षर किये गये थे । करार की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) दोनों पक्षों द्वारा सहमत सहयोगात्मक कार्यक्रमों की योजना तैयार करना तथा उनका कार्यान्वयन

(ख) आयुर्विज्ञान, कृषि एवं उद्योग-धन्धों, इंजीनियरी तथा सामान्य वैज्ञानिक अनुसंधानों में रेडियोआइसोटोपों तथा विकिरण स्रोतों को काम में लाना

(ग) न्यूक्लीय इलैक्ट्रानिकी का विकास तथा मौलिक अनुसंधान के लिये उपकरण तैयार करना

(घ) परमाणु विद्युत रिऐक्टरों की स्थापना से संबंधित अनुसंधान एवं विकास-कार्य

(ङ) पारस्परिक हित के अन्य विषय, जिनका निर्धारण संविदाकारी पक्षों के सक्षम अंगों द्वारा समय-समय पर किया गया हो तथा जिनके बारे में वे अंग सहमत हों

(च) वैज्ञानिक कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशनों का आदान-प्रदान, तकनीकी दस्तावेजों, उपस्करों एवं उपकरणों का आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों में भाग लेना ।

इस करार के लागू रहने की अवधि पांच वर्ष है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है ।

रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम का मूल्यांकन

2546. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों में रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम के कार्यकरण से पता चलता है कि वह पर्याप्त रूप से सफल नहीं हुआ है और देश में गत वर्ष के दौरान बेरोजगारों की संख्या में 21 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान योजना को सफल बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

योजना आयोग के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 1971–72 से आरम्भ की गई विभिन्न रोजगार स्कीमों से काफी रोजगार अवसरों की व्यवस्था हुई है । जैसा कि संलग्न विवरण 'क' से स्पष्ट होगा कि इन रोजगार स्कीमों के परिणामस्वरूप 1971–72 में 39,827 रोजगार के अवसर तथा 8 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार सर्जित हुआ और 1972–73 में 437,800 रोजगार के अवसर तथा 1311.5 लाख श्रम दिनों का रोजगार सर्जित हुआ ।

देश में बेरोजगारों की ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं है । इस संबंध में जो एकमात्र सूचना उपलब्ध है वह है रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के आंकड़े । ये आंकड़े देश में रोजगार चाहने वालों की संख्या दर्शाते हैं । 30–6–72 को चालू रजिस्टरों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 56,87,978 थी और 31–12–1972 को यह संख्या 68,96,238 थी । इससे यह प्रकट होता है कि 1972 के उत्तरार्ध में रोजगार चाहने वालों की संख्या में 21.24 प्रतिशत वृद्धि हुई । रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार चाहने वालों के आंकड़े बेरोजगारी के ठीक ठीक संकेतक नहीं हैं ।

संलग्न सारणी से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा आरम्भ किये गये रोजगार संबंधी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 1971 से पर्याप्त रोजगार अवसर सर्जित हुए हैं । सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता से भली प्रकार परिचित है और सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये चालू वर्ष में कई कदम उठाये हैं । अनुबन्ध में रोजगार सर्जन के लिये दर्शायी गई स्कीमों को इस वर्ष भी चालू रखा जा रहा है । इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों के लिये पांच लाख रोजगार के अवसर सर्जित करने की भी एक स्कीम आरम्भ की गई है । इन रोजगार कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करने के लिये संस्थानात्मक तथा संगठनात्मक प्रबन्धों को केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कारगर बनाया जा रहा है । रोजगार उपलब्ध करने की समस्या पूर्णतः आर्थिक विकास से सम्बद्ध है अतः पांचवीं योजना में इस दिशा में काम करने पर हर संभव जोर दिया गया है । वर्तमान वर्ष में विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किये गये परिव्यय का एक विवरण संलग्न है ।

उपर्युक्त रोजगार कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीणक्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने की दृष्टि से सरकार ने कतिपय अन्य स्कीमें भी शुरू की हैं । उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित कार्यक्रम :

यह स्कीम 1969–70 में प्रारम्भ की गई थी । इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध न्यून रोजगार अवसरों को विचार में रखते हुए लघु कृषकों, सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का आधार सुदृढ़ करते हुए ग्रामीण दुर्बल वर्ग का आर्थिक विकास करना है । दिसम्बर, 1972 तक इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 30 लाख थी । इनमें से 13 लाख सहकारी समितियों के सदस्य थे । 1972–73 की समाप्ति तक इस स्कीम पर 17.32 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था । इस कार्यक्रम के लिये 1973–74 में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास से संबंधित हैं जिनमें संसाधनों का अभाव है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादक तथा श्रम सघन कार्यक्रमों, जैसे मझौली/छोटी सिंचाई मिट्टी संरक्षण, वनरोपण तथा सड़क निर्माण द्वारा अभाव स्थिति की कठोरता को कम करना है । 1970–71 और 1971–72 में कुल 30.80 करोड़ रुपया खर्च हुआ । 1972–73 में राज्य सरकारों ने 36.38 करोड़ रुपया व्यय किया । यह अनुमान है कि इस स्कीम को शुरू करने के दिन से 1972–73 के अंत तक लगभग 700 लाख श्रम दिवस का रोजगार सर्जित किया गया । इस कार्यक्रम के लिये 1973–74 में 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

1971–72 तथा 1972–73 में क्रियान्वित की गई विभिन्न रोजगार स्कीमों के अंतर्गत किया गया आवंटन, व्यय तथा सर्जित रोजगार अवसरों का अनुमान दर्शाने वाला विवरण

स्कीम	1971–72			1972–73		
	आवंटन	व्यय	अनुमानित रोजगार अवसर	आवंटन	व्यय	अनुमानित रोजगार अवसर
	(करोड़ रुपये)			(करोड़ रुपये)		
1. 1971–72 में प्रारंभ की गई ग्रामीण रोजगार से संबंधित त्वरित स्कीम	50.00	31.22	80 लाख श्रम दिन	50.40	53.01	131.15 लाख श्रम दिवस
2. 1971–72 में प्रारम्भ किये गये शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित रोजगार कार्यक्रम	25.00	9.81	39,800	63.00	49.40	67,800
3. 1972–73 में प्रारम्भ किया गया राज्यों तथा संघ शासित क्षत्रों से संबंधित विशष रोजगार कायक्रम	स्कीम जारी नहीं थी			27.00	26.18	370,000
जोड़ :	75.00	41.03	39800 रोजगार तथा 80 लाख श्रम दिनों का रोजगार	140.40	129.59	437,800 रोजगार तथा 131150 लाख श्रम दिनों का रोजगार

विभिन्न विशेष रोजगार स्कीमों के लिए 1973–74 में किए गए आवंटन

स्कीम	आवंटन (करोड़ रुपये)
1. 1971–72 में प्रारम्भ की गई ग्रामीण रोजगार से संबंधित त्वरित स्कीम	44.88
2. 1971–72 में प्रारम्भ की गई शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित स्कीम	48.26
3. 1972–73 में प्रारम्भ किया गया राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों से संबंधित विशेष रोजगार कार्यक्रम	23.00
4. 1973–74 में प्रारम्भ किया गया शिक्षित बेरोजगारों को 5 लाख रोजगार अवसर कार्यक्रम	100.00

नानकपुरा (दिल्ली) के डाकघर से सीरमपुर के लिए एक पार्सल भेजा जाना

2547. श्री भोला मांझी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नानक पूरा (दिल्ली) डाकघर को 17 सितम्बर, 1973 को 81 मलिक पाडा लेन, सीरमपुर, भेजे जाने के लिये एक पार्सल संख्या 110 प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि उक्त पार्सल के साथ छेड़छाड़ की गई थी और डिलीवरी से पूर्व उसमें से कुछ चीजें निकाली गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाहीं की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पार्सल के प्रेषक के दावे का निपटान किया जा रहा है।

Issue of a Stamp on Banda Vir Bairagi

2549. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received requests for issuing postal stamp in the memory of Banda Vir Bairagi; and

(b) if so, the Government's reaction thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of Communications and Toursim and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes.

(b) The proposal for issue of this stamp was duly considered by the Philatelic Advisory Committee meeting but it was not found feasible to accept it for the present.

शिमला में ध्वजारोहण

2550. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिमला में 15 अगस्त, 1973 को ध्वजारोहण के समय कुछ अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था; और

(ख) इस संबंध में पूरे तथ्य क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना की जांच करने के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की गई है। जांच आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

Blackmarket of Paper by Paper Mills

2551. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the situation is deteriorating day by day on account of unrestricted price increase of and blackmarketing in paper used for publication of books;

(b) whether the paper mills are indulging in profiteering by fixing cheap rate lables; and

(c) if so, the measures adopted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) There has been a certain increase in the prices of paper which is attributed to the increase in the prices of inputs etc. Fall in production has also accounted for certain scarcities in the market.

(b) No such malpractices have been brought to the notice of Government.

(c) Does not arise.

Introduction of Hindi as medium for all Examinations conducted by U.P.S.C.

2552. Shri M.S. Purty : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to the introduction of Hindi as medium for all examinations by the Union Public Service Commission; and

(b) if so, main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) 1. In the Resolution adopted by both Houses of Parliament in December, 1967 on the question of Official Language of the Union, the following has, *inter alia*, been provided :—

> "That all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and Higher Central Services Examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the Examinations, the procedural aspects and the timing."

Accordingly, a beginning in the use of regional languages was made in 1969 when candidates appearing at the Combined Competitive Examination for recruitment to the I.A.S. etc. were given the option to write their answers in respect of two of the compulsory subjects—Essay and General Knowledge—in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, besides English. The question of extending such option to more subjects is under consideration of the Union Public Service Commission in the light of the experience gained so far.

2. Further, Hindi has been permitted as an alternative medium besides English, for answering Essay and General Knowledge papers at the Assistants' Grade Examination conducted by the Union Public Service Commission since 1964. From 1971, candidates appearing in the Stenographers' Examination have also been permitted the option to write answers to the General Knowledge papers and to take shorthand tests either in Hindi or in English. It has also been agreed in principle to permit the use of Hindi as alternative medium for the 'Arithmetic' papers in the Assistants' Grade Examination. Further, the UPSC have agreed to introduce with effect from 1974, Hindi besides English as medium of examination in respect of certain subjects included in the scheme of the Section Officers Grade Limited Departmental Competitive Examination, the I.F.S. (B) Limited Departmental Competitive Examination, and Railway Board Secretariat Service Section Officers Grade Limited Departmental Examination.

3. The question of extending the option to use Hindi in other subjects and other examinations would have to be examined in the light of experience gained from the Examinations mentioned above.

Revival of National Integration Council

2553. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the National Integration Council has since been revived and the Council has held its first meeting also; and

(b) if so, the decisions taken in the meeting ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) A Steering Committee under the Chairmanship of the Prime Minister drawn broadly from amongst the Union Council of Ministers, Chief Ministers, Political Parties represented in Parliament and other eminent persons has been set up to make recommendations on the future role and task of the National Integration Council and the lines on which it should be reconstituted, and also to review the following matters :—

(1) Communal situation;

(2) Situation arising out of incidents affecting persons belonging to Scheduled Castes;

(3) Problems of regional tension; and

(4) Action taken on the recommendations of the National Integration Council.

The Steering Committee met on the 24th August, 1973 under the Chairmanship of the Prime Minister. There was a general discussion on the items mentioned above. The members of the Committee desired to have more detailed information from the State Governments about the implementation of the recommendations earlier made by the Council. It was also decided that the Members of the Committee should formulate their suggestions and recommendations on the items mentioned above. The Committee is likely to meet again in the near future as soon as replies have been received.

Scrutiny of applications for grant of Pension to Freedom Fighters

2554. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether certain undeserving cases have come to the notice of the Government while scrutinising the applications for the grant of pension to freedom fighters; and

(b) if so, their number, State-wise , and the action taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) The applications of those who are not eligible are rejected. The complaints against grant of pension have also been received. A statement showing the number of such cases state-wise is attached.

Statement

Statement of rejected as well as complaint cases (State-wise)

State	No. of cases rejected	No. of cases in which complaints have been received*
1	2	3
Andaman & Nicobar	—	—
Andhra Pradesh	1519	4
Arunachal Pradesh	—	—
Assam	552	—

*Note : In 13 cases pension has been suspended, pending enquiry. In 12 cases from Bihar pension which was stopped, was restored after enquiry.

1	2	3
Bihar	2918	10
Chandigarh	12	1
Delhi	211	52
Goa	399	—
Gujarat	1614	—
Haryana	209	8
Himachal Pradesh	56	—
J. & K.	157	1
Karnataka	602	—
Kerala	1652	—
Madhya Pradesh	2526	2
Maharashtra	2928	1
Manipur	2	—
Meghalaya	9	—
Mijoram	—	—
Nagaland	—	—
Orissa	1683	16
Pondicherry	194	—
Punjab	681	12
Rajasthan	293	3
Tamil Nadu	1313	—
Tripura	3	—
Uttar Pradesh	2729	43
West Bengal	900	21
Ex-INA Personnel	32	—
	23394	174

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में टायर फैक्टरी की स्थापना के लिए लाईसेंस देना

2555. श्री था० किरुतिनन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक नई टायर फक्टरी की स्थापना करने के लिये एक गैर-सरकारी पार्टी को आशय-पत्र जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पार्टी ने आवश्यक मशीनरी का आयात और उसका स्थापना कार्य कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले जैसे पिछड़े क्षेत्र में टायर और ट्यूब बनाने के लिये एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने हेतु तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम को एक आशय-पत्र 12–12–70 को स्वीकृत किया गया था । एकक का सही स्थापना स्थल ज्ञात नहीं है । तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध पर इस आशय पत्र को इसके कार्यान्वयन के लिये तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा विशेषरूप से स्थापित तमिलनाडु रबड़ कम्पनी के नाम में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

(ख) मशीन का आयात करने के लिये तमिलनाडु रबड़ लि० के पूंजीगत माल के लिये आवेदन को अभी हाल में स्वीकृत किया गया है और आयात लाइसेंस अभी जारी नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, डन्डेली द्वारा अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना

2556. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, डन्डेली की अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना करने हेतु एक योजना तैयार करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज के प्रस्तावित कारखाने की क्षमता क्या होगी और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वेस्ट कोस्ट पेपर मिल ने सरकार को बताया है कि उनका प्रतिवर्ष 30,000 मी० टन अखबारी कागज का उत्पादन करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि सरकार उन्हें उपकरणों के आयात करने में आयात शुल्क में कमी करने, अखबारी कागज के विक्रय मूल्य का पुनर्निर्धारण करने आदि की सुविधा देने को तैयार हो । अभी तक उनसे औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सजा दिलाये गये राजपत्रित अधिकारियों की संख्या

2557. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जनवरी से सितम्बर, 1973 में कितने राजपत्रित अधिकारियों को सजा दिलाई;

(ख) ये मामले किस प्रकार के थे; और

(ग) केन्द्रीय जां : ब्यूरो के प्रतिवेदनों के आधार पर इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1973 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 48 राजपत्रित/समान स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया ।

(ख) उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध मामले, अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने, स्वयं के लिये तथा/अथवा अन्य व्यक्तियों के लिये अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने, निधियों का दुर्विनियोग करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध परितोषण मांगने तथा लेने और अनुपातहीन परिसंपत्ति अपने पास रखने आदि के संबंध में हैं ।

(ग) सभी मामलों पर विभिन्न न्यायालयों में विचारण (ट्रायल) लम्बित है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा रीगल भवन स्थित दुकान छोड़ देना

2558. **श्री वेकारिया**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि निर्माण और आवास मंत्रालय ने खादी ग्रामोद्योग भवन को जो इस समय रीगल भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है, वह स्थान मार्च, 1974 के अंत तक छोड़ देने के लिये कहा है ।

(ख) क्या उन्हें पता है कि इसकी मध्यवर्ती स्थिति के कारण भवन की जो विदेशी मुद्रा की आय के अलावा एक करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक बिक्री करता है, वहां से हटने पर उस पर काफी कुप्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या खड़क सिंह मार्ग स्थित एम्पोरियम भवन में वैकल्पिक स्थान देने का जो प्रस्ताव है, वह स्थान इसके लिये काफी कम रहेगा और इसे वहां सुगठित ढंग से नहीं रखा जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो भावी स्थानान्तरण से भवन को तबाह होने से बचाने के लिये मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है या उठायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) 31 मार्च, 1974, अर्थात् जिस तारीख से इमारत का अधिग्रहण समाप्त करने का प्रस्ताव था, से आगे की अवधि के लिये किराये के आधार पर इमारत पर कब्जा जारी रखने के लिये शर्तें तय करने हेतु इमारत के मालिक के साथ बातचीत करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई से कहा गया है । आयोग ने यह सूचना दी है कि मार्च, 1974 के बाद अधिग्रहीत इमारत पर दखल जारी रखने के लिये वह निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं ।

दिल्ली के फतहपुरी क्षेत्र के उन भोले भाले लोगों को पुलिस अधिकारियों द्वारा सताया जाना जो कि कृषि पदार्थों के अवैध वायदा व्यापार के विरुद्ध हैं

2259. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के स्थानीय अधिकारी, यहां तक कि वरिष्ठ डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट के स्तर तक के अधिकारी भी पुरानी दिल्ली के फतहपुरी क्षेत्र के उन भोले-भाले लोगों को सता रहे हैं जोकि कृषि पदार्थों के अवैध वायदा व्यापार जो दिल्ली में बड़े सुसंगठित रूप से चल रहा है, के विरुद्ध हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने संसद के कुछ विशेष सदस्यों को भी, जिन्होंने कि सरकार को अवैध वायदा व्यापार के खिलाफ लिखा है, बुरा भला कहा है ;

(ग) क्या इन पुलिस अधिकारियों द्वारा सताये जाने वाले लोगों ने सरकार को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) इस संबंध में एक संसद सदस्य और अध्यक्ष, ओम आयल एण्ड आयल सीड्स एक्सचेंज लि० से सत्र प्राप्त हुए हैं ।

(घ) दिल्ली पुलिस से तथ्य मालूम किये गये थे, उन्होंने आरोपों का खण्डन किया है ।

Advertisement of Television Broadcast from Vividh Bharti Encourages Dowry System

2560. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether an advertisement of a Television broadcast from Vividh Bharti encourages "dowry system";

(b) if so, the propriety of broadcasting such advertisements; and

(c) whether Government have any particular policy or yardstick for accepting advertisements and if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir. The advertisements should conform to the Code for Commercial Broadcasting laid down by Government. The main features are :—

1. Advertising should be so designed as to conform to the laws of the country and should not offend against morality, decency and religious susceptibilities of the people.

2. No advertisement should be permitted which

(i) derides any race, caste, colour, creed, nationality except where such usage would be for the specific purpose of effective dramatization, or combating prejudice;

(ii) is against any of the objectives, principles, or provisions of the Constitution of India;

(iii) will tend to incite people to crime or to promote disorder, violence or breach of law;

(iv) presents criminality as desirable or furnish details of crime or imitation thereof;

(v) would adversely affect friendly relations with foreign States;

(vi) exploits the national emblems or any part of the Constitution, or the person or personality or national leader or state dignitary;

(vii) advocates use of tobacco, tobacco products and liquor.

मारुति कम्पनी को सीमेंट के परमिट जारी करना

2561. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के सीमेंट नियंत्रक ने मारुति कम्पनी के नाम अब तक कितनी मात्रा के सीमेंट के परमिट जारी किये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): 1 अक्तूबर, 1972 से अब तक की अवधि में मारुति फर्म ने 22,700 मीट्रिक टन सीमेंट की मांग की थी उसमें से सीमेंट कन्ट्रोलर ने 15,600 मीट्रिक टन सीमेंट के परमिट जारी किये हैं ।

पश्चिम बंगाल में रिहा कैदियों की पुनः गिरफ्तारी

2562. श्री ज्योतिर्मय वसु: क्या गृह मंत्री 29 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4794 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने रिहा बन्दियों को पुनः गिरफ्तार किया गया है;

(ख) किस अधिनियम अथवा अधिनियमों के किन उपबन्धों के अन्तर्गत उनको फिर से गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में कितने व्यक्ति अभी भी आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद हैं तथा उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) उच्चतम न्यायालय के तत्संबंधी निर्णय के अनुसरण में मुक्त किये गये नजरबन्दियों में से 981 के बारे में 5 नवम्बर, 1973 तक आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्दी के नये आदेश जारी कर दिये गये थे ।

(ग) 31 अक्तूबर, 1973 को पश्चिम बंगाल में 2462 व्यक्ति नजरबन्द थे । नजरबन्दियों की राजनैतिक सम्बद्धता, जहां तक मालूम की जा सकी है, इस प्रकार है :–

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	134
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	32
संयुक्त समाजवादी दल	1

अन्य नजरबन्दियों की राजनैतिक सम्बद्धता, यदि कोई है, ज्ञात नहीं है ।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 3 में निर्दिष्ट बातों के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिये इन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ।

विदेशी पूंजी निवेश पर रोक हटाने की सिफारिश करने वाला पत्र

2563. श्री ज्योतिर्मय वसु: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर, श्री एल० के० झा, ब्रिटेन के लिये नामित उच्चायुक्त, श्री बी० के० नेहरू और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव श्री पी० एन० धर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये पत्र में उन्होंने जनेरल मोटर्स जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों की ओर से भारी मात्रा में विदेशी निजी पूंजी के इस देश में निवेश की सिफारिश की है;

(ख) क्या उक्त पत्र में यह भी कहा गया है कि निवेश पर लगे बहुत से अन्य प्रतिबन्ध भी इस आधार पर हटाये जायें कि उनसे औद्योगिक उत्पादन में बाधा आई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पत्र का पाठ क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) इस प्रकार का कोई भी पत्र तैयार नहीं किया गया है और न ही सरकार को प्रस्तुत किया गया है ।

हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी के उत्पाद

2564. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनी, लीवर, लन्दन की सहायक हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा किन-किन उत्पादों का निर्माण किया जाता है तथा बिक्री की जाती है;

(ख) वर्ष 1965–66, 1971-72 और 1972-73 में कम्पनी ने प्रत्येक उत्पाद का कितना उत्पादन किया और उक्त अवधि में कम्पनी की कुल बिक्री और लाभ कितना था तथा कम्पनी ने कितनी राशि लाभांश के रूप में वितरित की ;

(ग) उक्त कम्पनी के कितने उत्पादों पर मूल्य नियंत्रण है ;

(घ) उत्पादन तथा वितरण के मामले में कम्पनी को किन-किन उत्पादों में एकाधिकार प्राप्त है; और

(ङ) गत तीन वर्षों म कम्पनी को प्रत्येक श्रेणी के कितने नये लाइसेंस प्राप्त हुए थे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मारूति कन्सलटेंसी सर्विसिज के संभाव्यता प्रतिवेदनों के आधार पर लाइसेंस जारी करना

2565. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं जिनके संबंध में संभाव्यता परियोजना प्रतिवेदन मारूति कन्सलटेन्सी सर्विसिज, जिसके एक स्वामी श्री संजय गांधी हैं, द्वारा तैयार किये गये थे । भेजे गये थे । जांचे गये थे; और

(ख) उक्त कम्पनी के प्रारंभ से तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) तथा (ख) मारूति टैक्नीकल सर्विसिज प्राइव० लि० 26 नवम्बर, 1970 को निगमित की गई और यह दिल्ली व हरियाणा के कम्पनी रजिस्ट्रारों के यहां पंजीकृत है । यह फर्म औद्योगिक विकास मंत्रालय में कन्सलटेन्सी इन्जीनियरी फर्म के रूप में सूचीबद्ध नहीं है । अभी तक सरकार को कोई ऐसा मामला नहीं मिला है जिसमें कि इस फर्म द्वारा तैयार किये गये संभाव्यता परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर लाइसेंस जारी किये गये हों । ऐसे मामलों का और पता लगाने के लिये अन्य मंत्रालयों से भी पूछताछ की जा रही है तथा यदि ऐसे मामले मिल सके तो उन्हें यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पुलिस के महा-निरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन

2566. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पुलिस के महानिरीक्षकों को, जिन्हें वे हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन में मिले थे, कहा था कि यथा स्थिति का पक्ष लेने वालों के साथ पुलिस की सहानुभूति गलत है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वक्तव्य का सारांश क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) 18 अक्तूबर, 1973 को हुए पुलिस महानिरीक्षकों के एक सम्मेलन में गृह मंत्री ने अन्य बातों के साथ यह कहा था कि हमारे समाज में कई परिवर्तन हो रहे हैं और इस बात पर जोर दिया था कि पुलिस कर्मचारियों समेत हम सभी को इन क्रांतिकारी परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिये ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक गति-विधियां

2567. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर लगाये गये प्रतिबन्ध संबंधी नियम का निम्न श्रेणी के सभी कर्मचारियों के बारे में निरसन कर दिया जाये और मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में इसमें आंशिक संशोधन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि सेवा नियमों के पुनरीक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा नयुक्त समिति ने विभिन्न मामलों पर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिनमें एक रिपोर्ट केरल सरकार के कर्मचारियों के आचरण नियम, 1960 के संबंध में भी है, जिसमें उन नियमों में कई संशोधन करने का सुझाव दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को उस रिपोर्ट पर विचार करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है ।

एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने के लिए आवेदन

2568. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नागरिक ने सरकार को समाचारों, समीक्षा और मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने के लिये आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रार्थी को प्रसारण पारेषित्र (ट्रांसमीटर) लगाने की अनुमति देना संभव नहीं पाया गया ।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत मिलावट, काला बाजार और भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधों को रोकना

2569. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिलावट, काला बाजार और भ्रष्टाचार के अपराधों को राष्ट्रीय अपराध घोषित करने तथा उनको भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत रोकने में सरकार को क्या रुकावटें हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): चोर बाजारी से संबंधित अपराध भारत रक्षा नियम के क्षेत्र में आते हैं । जहां आवश्यक होता है मिलावट को भी भारत रक्षा नियम के क्षेत्र में लाया जा सकता है । भ्रष्टाचार के अपराधों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिये साधारण कानूनों में उपबन्ध हैं ।

श्री राम इंस्टीट्यूट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लेना

2570. श्री शशि भूषण

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री राम इंस्टीट्यट आफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की विभिन्न गतिविधियों की जांच की है ;

(ख) क्या इस संस्थान के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और क्या प्रबन्धक भी संस्थान को सरकार को सौंपने के लिये तैयार हैं; और

(ग) प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया और यदि इस बीच कोई निर्णय नहीं किया गया तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) श्री राम इंस्टीट्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च एक निजी संस्थान है । फिर भी, इस संस्थान के कार्य के संबंध में सरकार ने कई प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सी० एस० आई० आर० की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में एक यह प्रस्ताव शामिल किया गया था । सी०एस०आई०आर० के योजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिये उपाध्यक्ष, सी०एस०आई०आर० द्वारा गठित किये गये आयोग ने अन्य बातों के साथ ही साथ सिफारिश की थी, जो इस प्रकार है :–

"..... यह अंकित किया गया है कि इस संस्थान के संस्थापक की इच्छा इसको मैलन संस्थान और उसी प्रकार के विदेशी संस्थानों के समान ही यह संस्थान चलाया जाये । समिति का विचार था कि यदि सी०एस०आई०आर० संस्थान को अपने नियंत्रण में ले लेता तो संस्थान की मुख्य विशेषता पूर्णरूप से परिवर्तित हो जायेगी सर्वोत्तम तरीका जिसमें सी०एस०आई०आर० इस संस्थान को मदद दे सकता था, वह था—"परियोजना" पर सहायता प्रदान करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसा कि पहले भी होता रहा है ।" सी०एस०आई०आर० का शासी सभा द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 25 नवम्बर, 1967 को चतुर्थ योजना समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था ।

उड़ीसा में संचार प्रणाली

2571. श्री अर्जुन सेठी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा राज्य में संचार प्रणाली को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उड़ीसा के कुछ जिलों में तारों को डाक द्वारा बांटा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) उड़ीसा और इसके साथ ही देश के अन्य भागों में अधिकतर खुली तार प्रणालियां काम कर रही हैं । बड़े पैमाने में तांबे के तारों की चोरी होने के कारण ये प्रणालियां ठीक काम से नहीं करती थीं । इन प्रणालियों के काम में सुधार लाने के लिये तांबे के तारों को बदल कर उनकी जगह दूसरे प्रकार के तारों को लगाने का काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है ।

दूरदराज के इलाकों के छोटे एक्सचेंजों के रख रखाव में सुधार लाने का काम भी शुरू कर दिया गया है । इस के लिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और उनके लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

कोएक्सिअल और माइक्रोवेव की उच्चस्तरीय भरोसे की ट्रांसमिशन प्रणालियों का जाल बिछाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में उड़ीसा के महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं। कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली एक कोएक्सिअल केबुल योजना पर इस समय काम चल रहा है। इस योजना से उड़ीसा के कटक, भुवनेश्वर और बालासोर स्थान कलकत्ता और मद्रास से जुड़ जायेंगे और इन केन्द्रों के जरिये देश के बड़े संचार जाल से जुड़ जायेंगे। अगस्त, 1972 से कटक-भुवनेश्वर के बीच एक नैशे बैंड माइक्रोवेव लिंक पहले से ही काम कर रहा है। इस योजना का विस्तार संबलपुर और आगे जमशेदपुर व खड़कपुर तक करने का प्रस्ताव है ताकि ये स्थान राष्ट्रीय दूरसंचार जाल से जुड़ जायें।

(ख) जो इलाके तार वितरण क्षेत्र की सीमा से बाहर हों या जिन इलाकों के बारे में विश्वास करने के ऐसे कारण मौजूद हों कि तार वितरण चार्ज वसूल करने में कठिनाई होगी, उन इलाकों में तार डाक से भेजे जा सकते हैं। जिन इलाकों में सर्किट की खराबी के कारण देरी होने की संभावना हो वहां भी तारें डाक से भेजने की पद्धति अपनाई जाती है।

(ग) ज्यादा से ज्यादा तारघर खोलने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं भले ही 1500 रुपये तक घाटा होने का अनुमान हो। अधिक आधुनिक संचार प्रणाली की स्थापना करके सर्किटों की गड़बड़ियां कम की जा रही हैं।

भुवनेश्वर स्थित पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में श्रमिक अशान्ति

2572. श्री अर्जुन सेठी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर स्थित पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में श्रमिक अशान्ति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) भुवनेश्वर के पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में ऐसी कोई श्रमिक अशांति नहीं हुई है। अलबत्ता, अखिल भारतीय (डाक-तार) प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कतिपय शिकायतें रखी हैं। यह कर्मचारी संघ पोस्टमास्टर जनरल के साथ होने वाली मासिक बैठकों में भी भाग नहीं ले रहा था। कर्मचारी संघ की शिकायतों की जांच कराई गई है और एक मुनासिब जवाब भी उनके पास भेज दिया गया है। पोस्टमास्टर जनरल ने उक्त संघ की सर्किल शाखा को तारीख 30 नवम्बर, 1973 को बैठक रखने के लिये भी कह दिया है।

कच्चे माल के आयात के लिए स्व-नियोजित तकनीशियनों को सुविधाएं

2574. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-नियोजित तकनीशियनों को अपने उद्योगों के लिये कच्चे माल/पूंजीगत सामान आयात करन में काफी हैं कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ख) क्या स्व-नियोजित तकनीशियनों के लाभ के लिये सरकार का विचार शर्तों/प्रणालियों को उदार बनाने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जब कभी भी सरकार की जानकारी में कठिनाइयां लाई जाती हैं तो संबंधित एजेन्सियों के परामर्श से आवश्यक सहायता दिलाने के प्रयास किये जाते हैं।

(ख) 1973–74 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति को उदार बना दिया गया ताकि अन्य लोगों के साथ पूंजीगत माल और कच्ची वस्तुओं के आयात के मामलों में इंजीनियरी स्नातकों को भी सहायता दी जा सके। प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

(1) लघु उद्योग लगाने के इच्छुक इंजीनियरी स्नातकों और भूतपूर्व सैनिकों के मशीनों के आयात करने संबंधी आवेदन पत्रों पर उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा।

(2) कच्च माल और पुर्जों का आयात करने के लिये उक्त एककों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक उदारता से विचार किया जायेगा।

ऐसे एककों द्वारा कच्चे माल पुर्जों और फालतू पुर्जों का आयात करने की पद्धति का उल्लेख आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1973–74 के परिशिष्ट 65 में किया गया है।

अधिक उत्पादन के लिए कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु नई नीति

257 . श्री के० एस० चावड़ा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिये हाल ही में जो नई नीति घोषित की है वह नीति 100 प्रतिशत भारतीय एककों के लिये कच्चे माल तथा पूंजीगत माल प्राप्त करने में कितनी सहायक है; और

(ख) क्या 100 प्रतिशत भारतीय एककों द्वारा उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति में गतिशील परिवर्तन के कोई आसार नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंसों के लिये मंजूरी देने की नई नीति का उद्देश्य शत प्रतिशत भारतीय एककों सहित सभी उद्यमकर्ताओं को शीघ्रता पूर्वक औद्योगिक स्वीकृतियां प्रदान करना है। औद्योगिक लाइसेंसिंग क्रियाविधि के सुप्रवाही बनाये जाने से निवेश के निर्णय होंगे फलतः उत्पादन अधिक होगा। शत प्रतिशत भारतीय एककों के लिये औद्योगिक मंजूरियां देने की अलग से कोई नीति नहीं है।

भारतीय एककों के लिए कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के आयात की पद्धति

2576. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 प्रतिशत भारतीय एककों द्वारा कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान के आयात की हाल ही में घोषित नई पद्धति क्या है; और

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के साथ नये एककों के पंजीकरण की शर्तें क्या हैं और ये शर्तें उद्योगों के विकास में किस हद तक सहायक हैं और इनसे भारतीय एककों का किस हद तक हित साधन होता है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1973–74 वर्ष की वार्षिक आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुल) के प्रकाशन में कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के आयात की सविवरण प्रक्रिया दी गई है। इस प्रकाशन की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जिस क्षेत्र से लाइसेंसीकरण हटा लिया गया है उसके लिये सरकार के द्वारा जारी की गई प्रेस टिप्पणी में इस प्रक्रिया को किन्हीं विशेष स्थितियों में और उदार बना दिया गया है। इस प्रेस टिप्पणी की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5835/73]**

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण की शर्तें तथा उससे संबंधित प्रक्रिया 'औद्योगिक' उपक्रमों के पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग नियम 1952 में दी गई हैं। इसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। पंजीकरण सुविधायें (लाइसेंस की छूट के लिये) लघु, मझौले तथा बड़े उद्यमियों के द्वारा ऐसे उद्योगों में जिनमें आयातित पूंजीगत माल तथा कच्चे माल पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता तथा जो प्राथमिक क्षेत्र में नये कारखाने लगाने में बढ़ावा देंगी।

तमिलनाडु के उत्तर आर्काट जिले के कुन्नाथूर गांव में हरिजनों पर हमला

2577. श्री एम० के० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1973 को तमिलनाडु के उत्तर आर्काटजिले के कुन्नाथूर गांव में हरिजनों पर किये नये हमले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता का सीमेंट उत्पादन पर प्रभाव

2579. श्री राज राज सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1973 के 'दि इकानामिक टाइम्स' के एक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 1972 में सीमेंट के उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक सीमेंट उद्योग प्रभावित हुआ है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)। (क) जी हां ।

(ख) वैगनों की कम सप्लाई के कारण 1972 में सीमेंट के उत्पादन में लगभग 11.9 लाख मी० टन की हानि हुई थी ।

Seniority list of employees in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2580. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the seniority list of the employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi has not been finalised so far;

(b) if so, the time by which it will be finalised ;

(c) whether the promotions of the employees are lying pending for want of seniority list and the vacant posts will be filled up only after the finalisation of seniority list; and

(d) if so, the rules and regulation governing the promotion policy and whether a copy thereof will be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) The seniority list of employees of Khadi Gramodyog Bhavan has been finalised.

(c) and (d) Administrative action for filling up of vacant posts is in progress and they are likely to be filled up shortly.

Alleged jumping of an A.I.R. Engineer and his wife from a Hired Scooter

2581. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an A.I.R. Engineer in Delhi and his wife had jumped out of a running scooter a few months ago resulting in the death of his wife and injuries to the Engineer himself;

(b) if so, whether an enquiry was conducted into this incident; and

(c) the number of persons arrested or taken into custody so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes sir.

(b) A case under sections 392/304 IPC was registered at Tughlak Road Police Station and investigated.

(c) Despite the best efforts of the police no clue could be found and no arrests were made. The case was sent up as untraced on 20-9-73.

गृह निर्माण गतिविधियों पर सीमेंट के मूल्य की वृद्धि का प्रभाव

2582. श्री पीलू मोदी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि ने देश में गृह निर्माण गतिविधियों को किस हद तक प्रभावित किया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): देश में हाल ही के सीमेंट के 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन धारण (रिटेन्शन) मूल्य के बढ़ाने से गृह निर्माण की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

Facilities provided to members of Planning Commission

2583. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the salaries and other facilities provided to Members of the Planning Commission and

(b) whether any expert from rural areas has been appointed in Planning Commission so far; and if so, his particulars ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The following are the salary and other facilities provided to the Members of the Planning Commission:

Salary—Rs. 2250/- per month.

Residence—Rent free furnished residence in New Delhi, to be maintained at Government expense. Maintenance includes payment of local rates and taxes, provision of water and electricity.

Medical Treatment, Travelling and Daily Allowance :

The same facilities as are admissible to a Minister.

Leave—As admissible to Government Servants of Class I.

(b) Dr. B.S. Minhas, Member Planning Commission comes from an agricultural family in Jullundur District of Punjab. He is a specialist in agricultural sciences and did considerable work in plant sciences before switching over to Economics and Statistics.

Appointments in Gaya Cotton Mill

2584. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the time by which Gaya Cotton Mill would go into production; and

(b) the number of employees appointed in the said cotton mill so far and the additional number of employees proposed to be appointed by the time the mills goes into production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya (Bihar) is expected to go into production in the first week of December, 1973.

(b) 299 employees comprising both workers and staff have been appointed by the mill so far. 500 more workers and staff are likely to be employed by the mill by the end of December, 1973. When in full production, the mill is expected to employ about 1,445 persons.

उद्योगों में कच्चे माल की कमी

2585. श्री बक्शी नायक : क्या **औद्योजिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई औद्योगिक एककों में कच्चे माल की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार ने प्राथमिकता उद्योगों की कच्चे माल की सभी आवश्यकताएं पूरी करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या अनिवार्य कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन में किसी परिवर्तन की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार आधारभूत कच्चे माल की सभी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरी करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां, कुछ उद्योगों में हैं।

(ख) सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आयातित कच्चे माल की अवश्यकताएं यथा संभव अधिक से अधिक पूरी की जायें; परन्तु अधिकांश आयातित कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने संपूर्णरूप से विदेशी मुद्रा पर दबाव तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपेक्षित कच्चे माल के सीमित उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(ग) आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है ।

(घ) देश में उत्पादन बढ़ाकर तथा आयातित कच्चे माल के स्थान पर देशी कच्चे माल के यथा संभव प्रोत्साहन देकर मूलभूत कच्चे माल की उपलब्धि बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है ।

लघु उद्योगों की गणना

2586. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों की क्षेत्रवार तथा उद्योगवार सूची तैयार करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या लघु उद्योगों की गणना भी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों में लघु उद्योगों को कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जिया उर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) लघु उद्योग बोर्ड की परिवीक्षा में आने वाले लघु औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण करने के लिये कार्य 1 सितम्बर, 1973 से प्रारंभ किया गया हैं । इस समय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (फील्ड स्टाफ) का प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है । राज्य उद्योग निदेशकों के पास पंजीयत इस प्रकार के लघु उद्योग की राज्य वार और उत्पादन वार सूची क्षेत्रीय विवरण एकत्रित कर लिये जाने के बाद तैयार की जायेगी ।

(ग) गणना पूरी हो जाने के पश्चात विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जायेंगे ।

वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' के रूप में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली सम्बन्धी योजना

2587. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिये 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' के रूप में राष्ट्रीय सूचना पद्धति संबंधी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के लिये एक योजना का मसौदा तैयार किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस प्रणाली को वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक सूचना के लिये एक राष्ट्रीय सूचना-ग्रिड के रूप में नियोजित किया गया है, जिसमें देश के कई अभिकरण (एजेन्सियां) शामिल किये जायेंगे । यह राष्ट्रीय ग्रिड विभिन्न

सूत्रों से वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना प्राप्त करके उसका मिलान करेगा तथा ऐसे क्षेत्रों, यथा, प्राकृतिक साधन, मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, ग्रामीण तथा नगर प्रणाली, रासायनिक तथा धातुकर्मीय उद्योग, इंजीनियरी, पेटेंट और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से संबंधति सूचना प्रदान करेगा ।

यह सूचना-ग्रिड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के एक केन्द्रीय अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से कार्य करेगा ।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगार तथा अल्प रोजगार सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण

2588. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगार तथा अल्प रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) देश भर के ग्रामीण और शहरी भागों में रोजगार, बेरोजगारी और अल्प रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र करने के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सत्ताईसवें दौर में वर्ष 1972–73 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया था। उक्त सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य अक्तूबर, 1972 में आरम्भ किया गया था और सितम्बर, 1973 में पूरा हुआ । अल्प सामग्री पर विधायन-कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है और यथासंभव शीघ्र कतिपय महत्व पूर्ण परिणाम निकालने के लिये प्रयुक्त किये जा रहे हैं । उन्हीं परिणामों के आधार पर आगे की कार्यवाही के बारे में विचार किया जायेगा ।

राज्यों में सतर्कता आयोग

2589. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने सतर्कता आयोग स्थापित किये हैं ;

(ख) क्या केन्द्र ने अन्य राज्यों को ऐसे आयोग स्थापित करने के निदेश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सतर्कता आयोगों के गठन के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिये गये है । किन्तु, 28 दिसम्बर, 1963 को हुए मुख्य मंत्रियों और राज्यों के कुछ गृह मंत्रियों के सम्मेलन में तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की योजना को स्पष्ट किया गया था और राज्यों में भी उस जैसे निकायों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव किया गया था । राज्य सरकारों द्वारा गठित किये गये सतर्कता आयोगों/संगठनों के संबंध में उनसे प्राप्त हुई जानकारी निम्नलिखित है :–

(i) वे राज्य निम्नलिखित हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पैटर्न पर सतर्कता आयोग गठित किये गये हैं :

आंध्र प्रदेश

असम

गुजरात
मध्यप्रदेश
कर्नाटक
उड़ीसा
पश्चिम बंगाल
तमिलनाडु

उड़ीसा में सतर्कता आयुक्त का पद 1967 से रिक्त पड़ा हुआ है। हालांकि उड़ीसा द्वारा लोकपाल/लोकायुक्त के अधिकारियों की नियुक्ति के लिये विधान अधिनियमित कर लिया गया है परन्तु उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।

(ii) वे राज्य, जहां पहले सतर्कता आयोग स्थापित किये गये थे, किन्तु अब समाप्त कर दिये गये हैं :–

हरियाणा
केरल
महाराष्ट्र
पंजाब
राजस्थान

महाराष्ट्र में सतर्कता आयोग का स्थान महाराष्ट्र लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त ने ले लिया है। राजस्थान में, सतर्कता आयोग का स्थान राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन नियुक्त लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त ने ले लिया है। हरियाणा, केरल तथा पंजाब में सरकारी विभाग सतर्कता कार्य के प्रभारी हैं।

(iii) वे राज्य जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पैटर्न से भिन्न सतर्कता आयोग/संगठन मौजूद हैं।

बिहार
जम्मू तथा कश्मीर
उत्तर प्रदेश

बिहार में एक लोकायुक्त भी कार्य कर रहा है।

(iv) वे राज्य जहां सतर्कता आयोग स्थापित नहीं किये गये हैं :–

हिमाचल प्रदेश
मणिपुर
नागालैंड
त्रिपुरा
मेघालय

हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में सतर्कता कार्य की देखभाल के लिये सतर्कता निदेशालय है। नागालैंड में भ्रष्टाचार निरोधक कार्य राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा किया जा रहा है। त्रिपुरा में राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग राज्य सरकार को सतर्कता मामलों में अस्थायी रूप से सलाह दे रहा है। असम का सतर्कता आयुक्त इस समय मघालय के मामलों की देखभाल कर रहा है।

नई दिल्ली नगर पालिका के लिए नाम निर्देशन

2590. श्री कमल मिश्र मधुकर
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, सरकारी कर्मचारियों में से तथा जनता में से नई दिल्ली नगरपालिका के लिये सदस्यों को नाम निर्देशित करती हैं और

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के चयन के लिये क्या मानदंड तथा नीति है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911, की धारा 24 के उपबन्धों के अनुसरण में जो नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू हैं और कथित अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली का उप-राज्य पाल नई दिल्ली नगर पालिका समिति के सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनोनयन सावधानी से विचार करने के बाद किये जाते हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा हरियाणा की एक मोटर गाड़ी को रोकना

2591. श्री के० एम० मधुकर
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने नवम्बर, 1973 के पहले सप्ताह में हरियाणा पुलिस की एक मोटर गाड़ी को रोका जिसका प्रयोग शराब इत्यादि की तस्करी के लिये किया जा रहा बताया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी से कितनी शराब की बोतलें और अन्य निषिद्ध वस्तुयें बरामद की गईं; और

(ग) ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां श्रीमन्। हरियाणा सरकार की एक कार को शराब ले जाते हुए रोका गया था।

(ख) हरियाणा देशी शराब की 22 बोतलें पकड़ी गई थी।

(ग) इस मामले में पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था तथा वाहन के चालक तथा उसमें बैठे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब कभी इस संबंध में सूचना मिलती है तो दिल्ली पुलिस छापे मारती है।

प्रधान मंत्री द्वारा कार्यालय जाने के लिए बग्घी का प्रयोग

2592. श्री के० एम० मधुकर
श्रीमति सावित्री श्याम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह में बग्घी में बैठ कर अपने दफ्तर गई थी; यदि हां, तो उसके प्रयोग के क्या कारण थे;

(ख) क्या उनका विचार मितव्ययता हेतु सभी मुख्य मंत्रियों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य बड़े बड़े अधिकारियों से भी ऐसे वाहनों का प्रयोग करने का है;

(ग) इससे व्यय में कितनी कमी होगी; और

(घ) इस संबंध में सुरक्षा विभाग का क्या मत है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (घ) प्रधान मंत्री जी एक विदेशी डांज पोलारा गाड़ी और एक ऐम्बेसेडर गाड़ी का बारी बारी से इस्तेमाल करती आ रही हैं। दो साल पहले उन्होंने एक ऐम्बेसेडर गाड़ी पर चढ़ना शुरु किया, लेकिन बार बार खराब हो जाने के कारण वे फिर विदेशी गाड़ी का इस्तेमाल करने लगीं। पिछले कुछ महीनों से वायुदूषण की चिन्ता से, तथा पैट्रोल की खपत कम करने के ख्याल से प्रधान मंत्री जी किसी दूसरे प्रकार के वाहन का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही थीं। राष्ट्रपति जी के अंग रक्षक से, यह देखने के लिये एक बग्घी मंगाई गई थी कि क्या इस प्रकार का वाहन इस्तेमाल करना

संभव होगा। लेकिन इसमें दो सीट होने के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से, यह विचार छोड़ दिया गया। अब प्रधान मंत्री जी फिर ऐम्बेसेडर गाड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्य मंत्रियों से पहले ही कहा गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा पैट्रोल बचायें। लेकिन खण्ड (ख) प्रश्न के आधार पर उन्हें या दूसरों को सलाह देने का प्रस्ताव नहीं है। प्रधान मंत्री जी को आशा है कि हरेक व्यक्ति यथासंभव ऐसे उपाय करेगा, जिनसे पैट्रोल की कम से कम खपत होने का सुनिश्चय हो सके।

फिल्मों के लिए ऋण-देने की प्रणाली को युक्ति संगत बनाना

2593. श्री वयालार रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित फिल्मों को आमतौर पर घाटा हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और फिल्मों के लिये ऋण देने की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जैसा कि फिल्मों के बारे में सभी जगह होता है, बाक्स आफिस पर सभी फिल्में सफल नहीं होती। तथापि, फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ फिल्में बाक्स आफिस पर असफल होने के बावजूद भी निगम की प्रेरणा ने समकालीन भारतीय सिनेमा में एक नया प्रयास प्रदीप्त किया है।

(ख) मुख्य रूप से संवर्धक भूमिका निभाने के साथ साथ फिल्म वित्त निगम इस बात के लिये उपयुक्त कदम उठा रहा है कि घाटे न हों।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

2594. श्री वयालार रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न फिल्मों के निर्माताओं द्वारा फिल्म वित्त निगम को कुल कितनी धनराशि देय है और 1 नवम्बर, 1973 को इसका फिल्मवार ब्यौरा क्या था; और

(ख) उक्त फिल्म निर्माताओं द्वारा ऋण की वापसी में असामान्य विलम्ब करने के क्या कारण हैं और उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा यगया। देखिये संख्या एल० टी० 5836/73]।**

(ख) ऋणों की वापसी में देरी के मुख्य कारण फिल्मों की बाक्स आफिस पर असफलता तथा प्रदर्शन की सीमित सुविधायें हैं। जहां भी आवश्यक होता है वहां कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, फिल्म वित्त निगम बकाया राशि को शीघ्र ही वसूल करने के लिये कुछ अन्य कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था

2595. श्री समर गुह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 अप्रैल, 1973 को कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था पर आधे घंटे की चर्चा के दौरान सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने तथा विभिन्न विकास करने के लिये आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने, उसे निर्धारित समय पर पूरा करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा की जानी है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं :–

(1) वहां पर एक अतिरिक्त उपस्कर लगाया गया है। इससे डायल टोन में विलम्ब कम होने लगा है और सेवा के स्तर में सुधार हुआ है। '46' एक्सचेंज में 41 डाइरेक्टर और 162 फर्स्टकोड सेलेक्टर और लगा दिये गये है। '24' एक्सचेंज में 52 डाइरक्टर और 132 फर्स्ट कोड सेलेक्टर चालू कर दिये गये हैं। '67', '44' और '55' एक्सचेंजों में यातायात में राहत देने का काम भी हो रहा है ।

(2) अपेक्षित फालतू पुर्जों का प्रबन्ध कर लिया गया है और घिसे पिटे पुराने पुर्जे बड़ी तेजी से बदले जा रहे हैं। अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ।

(3) और अधिक ओपरेटर प्रशिक्षित किये गये हैं और उन्हें टेलीफोन सेवा में लगा दिया गया है। 180, 181 और 199 आदि पोजीशनों में समय बताने का काम काफी हलका हो गया है। ट्रंक यातायात के निपटारे में भी काफी, सुधार हुआ है ।

(4) कलकत्ता की विभिन्न एजेंसियां जैसे सी०ई०एस०सी०, कलकत्ता कार्पोरेशन और सी०एम०डी०ए० के ठेकेदारों आदि के साथ तालमेल बिठाने के लिये बैठकें भी की जा रही हैं ताकि उनके द्वारा अकस्मात खुदाई करने के कारण जो टेलीफोन केबिल की खराबियां, केबिल की चोरियां और फलस्वरूप टेलीफोन सेवा में जो व्यवधान पड़ता है, वे कम किये जा सकें। चौकसी बढ़ा दी गई है। जो व्यक्ति ऐसी चोरियां करते हैं, उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिये पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक विशेष खुफिया पुलिस सेल बनाया है ।

(5) वर्ष 1974 में कलकत्ता ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू करने की योजना बनाई गई है जिसमें आसनसोल और खड़गपुर के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। कलकत्ता-दिल्ली चौड़ी पट्टी की माइक्रोवेव प्रणाली और दूसरे ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट पूरे हो जाने के बाद अतिरिक्त चैनल उपलब्ध हो जायेंगे। तब अन्य शहरों के लिये भी धीरे-धीरे उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दे दी जायेगी ।

(6) अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 लाइनों का उपस्कर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है ।

(7) विशेष सेवाओं के लिये उत्तरोत्तर अतिरिक्त पोजीशनें भी लगाई जा रही हैं ।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाना

2596. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाने के संबंध में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने और अन्डमान सैल्यूलर जेल में रखे गये क्रांतिकारियों की याद बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या हाल ही में अपनी अन्डमान यात्रा के दौरान श्री के० सी० पन्त ने इस उद्देश्य के लिये योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) पोर्ट ब्लेयर में उपयुक्त स्थान पर लगाये जाने के लिये सुविख्यात कलाकार श्री आर० पी० कामत द्वारा तैयार किया गया प्रतिमा का एक नमूना प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रस्तावित कांस्य प्रतिमा के लिय सही स्थान को अन्तिम रूप देने के लिये समिति के सदस्यों और कलाकार को शीघ्र द्वीप समूह का दौरा करना है ।

केन्द्रीय टावर को बनाये रखने और पोर्ट ब्लेयर में सेल्लूलर जेल के वर्तमान तीन स्कन्धों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में रखने का निर्णय किया जा चुका है। अण्डमान-निकोबार प्रशासन ने 4 लाख रुपये की लागत पर सेल्लूलर जेल की इमारतों की मुरम्मत करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है ।

अण्डमान व निकोवार द्वीप समूह के अपने हाल के दौरे में श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने सैल्लूलर जेल का दौरा किया था और उन्हें भावी की योजना से अवगत कराया गया ।

पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों की आई० ए० एस० संवर्ग में पदोन्नति

2597. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०सी०एस० संवर्ग के अधिकारियों की आई०ए०एस० संवर्ग में पदोन्नति करने की निर्धारित प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आई०ए०एस० संवर्ग में सीधे भर्ती किये गये और पदोन्नति द्वारा उसमें नियुक्त किये गये व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का तुलनात्मक मूल्यांकन किया है; और

(ग) क्या पी०सी०एस० संवर्ग की बड़े पैमाने पर आई०ए०एस० संवर्ग में नियुक्त करने से आई०ए०एस० संवर्ग की कार्य कुशलता का ह्रास हुआ है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का अपना अपना भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग है। इस प्रकार के प्रत्येक संवर्ग की संवर्ग अनुसूची में, अन्य विषयों के साथ साथ, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के अधीन वरिष्ठ पदों की निर्दिष्ट संख्या और इस प्रकार के पदों के 40 प्रतिशत के हिसाब से आकलित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व शामिल होते हैं। राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा और राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के कार्यों के संबंध में सेवारत ऐसे व्यक्तियों में से, जो राज्य सिविल सेवाओं से संबंधित नहीं है, चयन द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के अधीन पदों की संख्या और ऊपर दर्शाये गये केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के कुल योग के 25 की प्रतिशत तक सीमित है। ऐसे व्यक्तियों की, जो राज्य सिविल सेवाओं से संबंधित नहीं हैं और उपरोक्त रूप में चयन द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त किये गये हों, संख्या ऊपर दर्शायी गई 25 प्रतिशत की सीमा द्वारा कवर किये गये पदों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

(ख) तथा (ग) भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग की कुशलता पर, भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नत अथवा नियुक्त किये गये (इंडक्टेड) राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के प्रभाव के संबंध में कोई तुलनात्मक या अन्य अध्ययन नहीं किया गया है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासियों हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए आवंटन पर कटौती का प्रभाव

2598. **श्री के० कौंडडा रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ विकास योजनाओं में कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, पिछड़े और आदिवासियों हेतु विशेष कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वर्तमान कठिन आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चित किया गया है कि ऐसे कुछ कदम उठाये जायें जिनसे चालू वर्ष में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के व्यय में (योजना तथा गैर-योजना) लगभग 400 करोड़ रुपये की कटौती की जा सके। इस कटौती को करते समय इस बात की पूरी सतर्कता बरती गई है कि गरीब लोगों को लाभान्वित करने वाले विकास कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पड़े।

पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर

2599. **श्री के० कौंडडा रामी रेड्डी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971-72 और 1972-73 में पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गये; और

(ख) क्या इन विशेष मामलों में लाभ के विचार को छोड़ दिया गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) बहुत पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में खोले गये डाकघरों की संख्या इस प्रकार है : –

वर्ष 1971–72	377
वर्ष 1972–73	522

(ख) सामान्य इलाकों में डाकघर खोलने के लिये यह शर्त है कि उन पर जो खर्च आता है, उसका कम से कम 25 प्रतिशत उनसे आय के रूप में प्राप्त हो । इस शर्त में नवम्बर 1971 में ढील देकर बहुत पिछड़े इलाकों के लिये आय 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के लिये 10 प्रतिशत रख दी गई है ।

सामान्य देहाती इलाकों में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 500 रुपये या 750 रुपये तक का घाटा उठाया जा सकता है । उपर्युक्त मामलों में घाटे की यह सीमा बढ़ा दी गई है और इनमें विभाग प्रतिवर्ष 1000 रुपये तक घाटा उठाता है । बहुत ही खास मामलों में घाटे की यह सीमा और बढ़ाकर विभाग प्रतिवर्ष 2500 रुपये तक घाटा उठाता है ।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

2600 श्री के० कौंडडा रामी रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में देश में निर्मित किये गये टेलीफोन उपकरणों की संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में टेलीफोन की कितनी मांग थी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) सन् 1971-1972 और 1972–73 के दौरान देश में निर्मित टेलीफोन उपकरणों और इन टेलीफोन उपकरणों की मांग से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

		1971–72	1972–73
(एक)	बनाये गये टेलीफोन उपकरण	243697	244079
(दो)	टेलीफोन उपकरणों की मांग	309196	353625

छोटे उद्यमकर्ताओं के आवेदन पत्रों के निपटान के लिए पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्धी समिति

2601. श्री वसन्त साठे: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे उद्यमकर्ताओं जिनका संयंत्र, मशीनरी अथवा स्थायी आस्तियों में एक करोड़ रुपये अथवा इससे कम पूंजी लगाने का प्रस्ताव है, के आवेदन पत्रों के निपटान के लिये पूंजीगत वस्तुओं संबंधी समिति को मुख्य प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को रोजगार

2602. श्री ए० के० गोपालन क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार ने राज्यों में विभिन्न प्रतिष्ठानों में केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने की प्रवृत्ति के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों में अपर्याप्त भाग के कारण राज्यों में व्याप्त असंतोष की 1968 में जानकारी मिली थी । परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान इकहरी नागरिकता को मान्यता देता है और यह भारत की एकता के लिये महत्वपूर्ण है कि इसका सम्मान व संरक्षण किया जाये । साथ ही परिषद ने सिफारिश की कि स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलें और वे अन्याय की भावना से पीड़ित न हों, जहां राज्य के लोगों में योग्यता प्राप्त स्थानीय लोग उपलब्ध हैं रोजगार का अधिकांश भाग उनको दिया जाना चाहिये और रोजगार देने वालों से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे नीति के रूप में इन उद्देश्यों को कार्यरूप दें । इन सिफारिशों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये संबंधित मंत्रालयों के साथ ही राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया था । तदनुसार अनुदेश जारी किये गये थे कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की 500 रुपये से कम मूल वेतन की श्रेणी की रिक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरी जायें और ऐसी रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालयों को सूचित किया जाये ताकि वे अपने कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों में से उपयुक्त उम्मीदवार भेज सकें ।

1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 1582 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting Reply to U. S. No. 1582 dated 1.8.1973.

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): 1 अगस्त, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1582 के भाग (क) के उत्तर में, अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि 30 जून, 1973 तक स्वाधीनता सेनानी पेंशन के लिये, जिन संसद सदस्यों राज्य विधान मंडलों के सदस्यों ने आवेदन किया है, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । दुबारा जांच करने पर अब यह पाया गया है कि केरल के राज्य सभा के संसद सदस्य श्री एस० कुमारन का नाम गलती से विवरण में शामिल नहीं किया गया था । अब इसे निम्न-प्रकार शामिल कर लिया जाये :–

क्रम सं०	नाम	राज्य
6(क)	श्री एस० कुमारन संसद सदस्य (राज्य सभा)	केरल

2. रिकार्डों की दुबारा जांच करने में समय लगने के कारण यह शुद्धि करने में विलम्ब हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सुलतानपुर के निकट बिना चौकीदार वाले एक रेल फाटक पर पुलिस के एक ट्रक और यात्री गाड़ी की टक्कर होने का समाचार

Shri R.K. Sinha (Faizabad) : Sir, I call the attention of the **Minister of Railways** to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:—

"Reported collision between a police truck and a passenger train at an unmanned level crossing near Dwarkaganj in Sultanpur as a result of which 8 PAC personnel were killed and 20 others injured."

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : 26-11-1973 को लगभग 5.00 बजे उत्तर रेलवे के फैजाबाद-इलाहाबाद खण्ड पर द्वारकागंज और सुलतानपुर स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले एक समपार पर 2-ए एफ फैजाबाद-इलाहाबाद सवारी गाड़ी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के एक ट्रक से टकरा गयी।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप प्लाटून कमांडर सहित उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के सात व्यक्तियों की, जो उस ट्रक में यात्रा कर रहे थे, वहीं मृत्यु हो गयी और अन्य 19 व्यक्ति घायल हो गये। घायलों को सुलतानपुर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां चोटों के कारण उनमें से एक की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या 8 हो गयी। रिपोर्ट मिली है कि शेष घायल व्यक्तियों में से चार को गंभीर चोटें आयी हैं और एक की हालत नाजुक है।

घायल व्यक्तियों को और मृतकों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह के रूप में अब तक 6,200 रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

सुलतानपुर के जिलाधीश ने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दे दिये हैं। जांच सुलतानपुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : इस टक्कर के बारे में दो धारणायें हैं। चूंकि यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत ही निकट है, इसलिये मैंने स्वयं अपने तौर से पूछ-ताछ की है। यह टक्कर प्रातः 5 बजे हुई। रेल अधिकारियों की धारणा यह है कि फाटक बन्द था। दो ट्रक, जिसमें पुलिस के कांस्टेबल तथा डी० आई० जी० श्री भटनागर थे पहले ही चले गये थे और फाटक को खुला रखने के लिये कहा गया था। पुलिस अधिकारियों की यह धारणा है कि मुख्य बत्तियां नहीं जल रही थीं और रेल अधिकारियों की उपेक्षा के कारण यह टक्कर हुई। यह वह गाड़ी है जो फैजाबाद से सुबह सवेरे चलती है और इलाहाबाद जाती है।

इस घटना के बारे में दो भिन्न धारणायें हैं। इस घटना के पश्चात् पुलिस अधिकारियों ने गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। स्टेशन मास्टर ने कहा कि जब तक डिविजनल सुपरिंटैंडैंट उन्हें पुलिस के सपुर्द किये जाने की अनुमति नहीं देते हैं तब तक इनको पुलिस के सुपुर्द नहीं किया जायेगा। रेल के कर्मचारियों द्वारा फैजाबाद में दो घंटे की हड़ताल भी की गयी थी। इसलिये मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने से ही सुलतानपुर और फैजाबाद के लोग सन्तुष्ट हो सकते हैं। यह पता लगाया जाना है कि रेल के अधिकारी दोषी हैं अथवा पुलिस के अधिकारी।

मैं यह अवश्य ही कहूंगा कि फैजाबाद डिविजन के पुलिस अधिकारी बहुत ही अच्छा कार्य करते रहे हैं। बारसाती डाकू का दल उस क्षेत्र के लोगों को आतंकित करता रहा है। सितम्बर से बहुत ही सतर्क तथा बहादुर डी०आई० जी० श्री भटनागर उस क्षेत्र के पुलिस सुपरिन्टैन्डैन्ट श्री जोहरी के समर्थ सहयोग से डाकुओं के खतरे से निपटने चले आ रहे हैं। हाल की एक मुठभेड़ में डाकुओं के मारने का श्रेय उन्हें ही है। उस क्षेत्र के हजारों लोग आतंक के वातावरण में रह रहे हैं। कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की बारसाती के दल के साथ सांठगांठ है। जब यह समाचार फैला कि श्री जोहरी ने बारसाती के दल को समाप्त करने का प्रण किया है, तो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सुपरिंटैंडैंट श्री जोहरी का स्थानान्तरण कर दिया जाये। इस संदर्भ में मैं यह कहूंगा कि श्री जोहरी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वह श्री बहुगुणा के साथ जेल में भी रहे थे और वह अभी हाल ही में सुपरिंटैंडैंट बने हैं। यह स्थानान्तरण केवल 26 तारीख को ही रोका गया और इस वर्ष 28 सितम्बर को डाकुओं और पुलिस अधिकारियों के बीच मुठभेड़ के दौरान चार डाकू मारे गये। एक कमांडैंट और एक अन्य कान्सटेबल भी मारे गये, किन्तु बारसाती को नहीं पकड़ा जा सका।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के साथ बारसाती अथवा किसी अन्य व्यक्ति का प्रश्न संबद्ध नहीं है।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। जब उस क्षेत्र में 20,000 लोग आतांकित थे और हम सदैव भयभीत रहते थे तब प्रान्तीय शस्त्र पुलिस ने कुछ अच्छा कार्य किया था। इस मामले में पुलिस को हमारी ओर श्रेय अर्पित किया जाना चाहिये, क्योंकि उसके सिपाहियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। पुलिस के सिपाहियों को अनुग्रह पूर्वक भुगतान के रूप में 2,000 अथवा 1,000 रुपये की राशि बहुत ही कम है। उन्हें अवश्य ही काफी अधिक दिया जाना चाहिये। इसी कारण से मैं इस घटना की पृष्ठभूमि बताना चाहता था।

पुलिस अधिकारियों को अवश्य ही इस बात का श्रेय मिलना चाहिये कि उन्होंने डाकुओं को पकड़ने के लिये अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी अपने कर्तव्य को निभाने की भावना से कार्य किया। जहां हम सभी प्रांतीय शस्त्र पुलिस के विद्रोह की निन्दा करते हैं, वहां हमें उसकी इस लिये प्रशंसा करनी चाहिये कि उस के सिपाहियों ने इस देश के लोगों की खातिर अपने जीवन का बलिदान किया। चूंकि अनुग्रह-पूर्वक अनुदान की राशि बहुत ही कम है, इसलिये इसे बढ़ाया जाना चाहिये। इस बात का पता लगाने के लिये न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता है कि इस टक्कर के लिये कौन जिम्मेदार है।

श्री एल० एन० मिश्र: अनेक संभावनायें हो सकती हैं, इस समय स्पष्ट रूप से कहना कठिन है कि यह दुर्घटना कैसे और क्यों हुई। अभी तक हमारा अनुभव यह रहा है कि 50 प्रतिशत दुर्घटनायें सड़क उपभोक्ताओं की लापरवाही तथा शेष 50 प्रतिशत रेल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होती हैं। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही हमें तथ्यों की जानकारी मिल जायेगी हम सभा को उनके बारे में सूचना दे देंगे।

Shri Madhu Limye (Banka) : It was published in the newspapers that the Railway crossing where the accident occurred was unmanned crossing. But the Hon'ble Minister has stated that it was a manned crossing. Some things should be cleared before inquiry.

If this crossing was a manned crossing, then to which category it belonged ? How many employees were on duty at the time of accident ?

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए
Shri S.A. Kader *in the Chair*]

At that time the gate was closed or opened ? Please tell us about the facts.

I want to raise one basic point. It is very surprising that I have been searching the latest report of Railway Safety authority in the library which was according to my information under the Railways and then under P&T Department, but it was transferred to the Civil & Aviation department but I am not able to get it. I have been supplied only the report of 1967-68. Whose responsibility for issuing it ? Whether Civil Aviation department or Railway Ministry is responsible for it ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Today there is no value of the life of humanbeing. Many lives have been lost in the railway accidents during the last three years, but the Hon'ble Minister has no knowledge about it. The Railway Ministry should reconsider about the unmanned railway crossings. We should redefine them according to the traffic of railway trains, trucks and other vehicles. The hon. Minister should not take shelter behind the magesterial inquiry and he should answer all the question. We should be furnished with all the books, papers and documents.

Shri L. N. Mishra : As far the question of hon. Minister is concerned the crossing in question was of 'A' category and two watchmen were there. There was no possibility of any mishap there because the level crossing where the accident took place is a manned engineering level crossing with gate leaves protected by gate signals on either side. The level crossing is in good condition. Road signals are also provided on either side of the level crossing. It has also been reported that the head lights of the engine was on at the time of the accident. I am surprised how the accident took place.

May I know whether it was the truck driver or the engine driver who was at fault. Thus fact can only be known after the receipt of the inquiry report.

As against fourteen thousand 'A' and 'B' manned level crossing there are twenty one thousand unmanned crossing. Has the hon. Minister any plan under contemplation for increasing the number of manned crossing.

Shri L. N. Mishra : As regards this we have a phased programme. To have all the crossings manned the Railways will have to incure an extra expenditure of Rs. 60 crores which is not practicable.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : The hon. Minister has only narrated the facts of the accident in question but has not taken the trouble of informing the house as to what steps are being taken by the Railways to prevent such accidents which are of frequent occurrence. It would not be far from truth to say that the Railway board is guilty of criminal negligence.

The lapses of the Railways are invariably ignored merely because it is a public utility service.

Has the hon. Minister ever considered the cost of manning the unmanned level crossings what amount of compensation has been paid for the accident that have taken place during the last five or six years.

The overall working of Railway is defective. Till the unmanned level crossings are manned speed breakers at a distance of about ten yards should be provided on either side of the crossing to reduce the speed of the vehicles to prevent accidents.

Have you implemented the agreement that was made with the loco running staff.

Shri L.N. Mishra : As I have stated earlier that it is not possible to man all the unmanned level crossings simultaneously. The financial position of the Railways is not such that it can outright invest a sum of 60 crore rupees.

As hon. Member has stated that the number of railway accidents are on the increase. The facts are that there were

146	accidents	in	1964
123	,,	,,	1965
104	,,	,,	1966
111	,,	,,	1967-68
129	,,	,,	1968-69
111	,,	,,	1969-70
121	,,	,,	1970-71
118	,,	,,	1971-72
131	,,	,,	1972-73
70	,,	,,	upto Oct. 1973.

These figures show that.the number of accidents have decreased.

Shri Satpal Kapur (Patiala) : The situation is really grave. There are twenty one thousand unmanned gates for which a phased programme involving an expenditure of 60 crores has been prepared. The Railway Board should see that the amounts that is given to the states for manning the level crossings is spent forthwith.

As long as the gates are not manned somebody either traffic constables or some other Railway employees are there to warn the people of the coming trains.

Lastly I want that the compensation that has been sanctioned in the case of those who were killed in Sultanpur should be increased.

Shri L. N. Mishra : I appreciate the dialogue with the state. I propose to call a meeting of the concerned Ministers of the state governments. In view of the financial aspect the posting of constables is also not practicable.

As far the question of grant of compensation is concerned compensation for the time being is given only in case of railway passengers who are victims of railway accidents.

There is no scope for grants of compensation in case of those who are not the passengers of Railways and are hurt in accidents. However I will consider the suggestion that has been made.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न तथा प्रक्रिया

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मजदूर संघ के दो कर्मचारियों को मिल में ही गोली मार दी गई है। संविधान अनुसार मजदूर मिल कर अपनी यूनियन बना सकते हैं। संविधान ने इन्हें कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है...

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता इस मामले पर न्यायालय निर्णय देगा। कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का काम है। माननीय सदस्य के चिल्लाने से उनके तर्क को बल नहीं मिल सकता। मैं इसकी जांच करूंगा तभी इस विषय पर चर्चा हो सकती है। यदि कोई ऐसा पूर्वोदाहरण है तो निश्चय ही मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

Shri Madhu Limye (Banka) : The harijans of Delhi, Haryana and U.P. are today demonstrating in Delhi. Their demands are : firstly Harijans should be given housing accommodations, secondly land for cultivation and thirdly reservation of seats in the Central as well as State Governments.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा...

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : **

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी आदत है। जब अध्यक्ष बोल रहा हो तो उसे बीच में रोक कर अपनी बात कहने वाले सदस्य की बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जायेगी।

मुझे बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट पर शीघ्र ही चर्चा कराई जायेगी इसके अतिरिक्त यदि आप मंत्री महोदय से कोई वक्तव्य चाहते हैं तो मैं उसकी सूचना मंत्री महोदय को दे दूंगा।

Shri S.M. Bannerjee : The Home Ministry did not allow use of microphone to the Harijan procession.

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Central Government can at least release the arrested Harijans.

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not Recorded

Mr. Speaker : If the Government does not interfere they say it is keeping quiet and when it interferes, they object to it.

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस राजनीतिक हत्या पर वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय मैं यह तभी कर सकता हूं जब नियम इसकी अनुमति दें ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : उन्हें इसके बारे में तथा जलूस के बारे में वक्तव्य देना चाहिये । हम राजनीतिक हत्याओं को इस प्रकार मूक बन कर नहीं देखते रह सकते ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषयहै। कानून और व्यवस्था के मामले पर इस सरकार का कोई हाथ नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : इस प्रकार की राजनीतिक हत्याऐं राष्ट्रीय मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को बंगाल की विधान सभा में क्यों नहीं उठाते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय वसु : यदि आप हमारी इतनी सी बात भी नहीं मानते तो हम विरोध में बाहर चले जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार चलना है । मंत्री महोदय तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Zaminders murder the workers of C.P.I. and Kisan Sabha. About 12 persons were killed and out of which many were Harijans.

Mr. Speaker : I have always allowed the affairs of Harijans to be raised.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अधीन अधिसूचनायें

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां०आ० 449(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 5818/73]**

(2) (क) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 590 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1972 का चौथा संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 600 में प्रकशित हुआ था ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1972 का पांचवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 662 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद- संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 663 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 741 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1972 का छठा संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 742 में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1972 का आठवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 844 में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 845 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 48 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 66 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 89 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 144 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) निमय में, 1954 का 1972 का पांचवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 145 में प्रकाशित हुआ था ।

(चौदह) सा०सां०नि० 236 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 48 दिनांक 20 जनवरी, 1973 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 259 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) सा०सां०नि० 355 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 66 दिनांक 27 जनवरी, 1973 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(सत्रह) सा०सां०नि० 356 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें असिूचना संख्या सा०सां०नि० 89 दिनांक 3 फरवरी, 1973 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5819/73]**

Shri Madhu Limaye : At least 6 notifications are such that have been delayed 1½ years. We have been repeatedly pointing out but these are not implemented.

अध्यक्ष महोदय : मैंने समिति के अध्यक्ष श्री विक्रम महाजन को अमंत्रित किया था परन्तु उस दिन वह अनुपस्थित थे। यह मामले उक्त समिति की कार्यवाहियों के कारण ही सम्मुख आये हैं।

श्री विक्रम महाजन : इस समय जो सत्रह अधिसूचनायें सभा पटल पर रखी जा रही हैं उनमें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम तथा भारतीय पुलिस वेतन (संशोधन) नियम तथा उनके शुद्धि-पत्र 6 महीने से 1 वर्ष के विलम्ब के बाद सभा पटल पर रखे जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें सभा पटल पर रखने में चूक हुई थी तथा इनका सभा पटल पर रखा जाना लोक सभा सचिवालय की सतर्कता के कारण संभव हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति के प्रयत्नों की सराहना करता हूं। इन निदेशों का पालन करना मंत्रियों का कार्य है। मैं भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें नहीं सुनना चाहता। आप अपने विभागों को सुधार लें।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5821/73]**

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 और संचार क्षमता आयोजना सम्बन्धी पाठक समिति की सिफारिशें

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1243 में प्रकाशित हुए थे।

(2) डूर संचार क्षमता आयोजना संबंधी पाठक समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों की एक प्रति तथा उन पर सरकार के निर्णय (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5822/73]**

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत में प्रेस, 1972 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत में प्रैस, 1972 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग दो) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5823/73]**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have an point of order. The report has has not been laid on the table of the house in Hindi. The Minister has said that as it had been laid previously in English alone, this cannot be placed on the table in Hindi.

Mr. Speaker : The statement is in Hindi as well.

Shri Atal Bihari Vajpayee : But the report is not in Hindi.

Shri Dharam Bir Sinha : From next year this report would be laid in Hindi as well.

राज्य सभा से संदेश
MESSSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :

"कि राज्य सभा ने 22 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है ।"

नौसेना (संशोधन) विधेयक
NAVY (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महा सचिव : मैं नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) बर्न कम्पनी और इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक
BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

भारी उद्योग और इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि, चल स्टाक, लोहा और इस्पात उद्योग के अन्य उत्पादों और ऐसे उद्योग के लिये आवश्यक अन्य माल के उत्पादन और युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकहित में कुछ कम्पनियों के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का राष्ट्रीयकरण होने तक, ग्रहण करने का उपबन्ध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : A persual of the statement of objectives and reasons of the Bill would reveal that this is a very old affair. Then why would not the Minister give a two day notice.

It is stated in the Memorandum regarding delegated legislation that this is an ordinary delegated legislation. But nothing has been stated in this Bill as what would be the structure of the company after the government take over.

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के इन सिद्धांतों की चर्चा प्रथम वाचन के समय की जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye : Why is the Government giving Rs. 25000 to Burn and Co. ? Is this a reward for mismanagement ?

अध्यक्ष महोदय : इसे भी प्रथम वाचन के समय लिया जाये ।

श्री टी० ए० पाई : बहुत समय से इस कम्पनी के कार्यों की देख रेख करने के पश्चात हम यह कायवाही कर. को विवश हुए हैं ।

यह व्यवस्था हम अध्यादेश द्वारा लाना चाहते थे । परन्तु अध्यादेशों को कम उपयोग में लाने की दृष्टि से मेरा सदन से आग्रह है कि इस विधेयक को शीघ्र पारित किया जाये । प्रबन्ध आदि के बारे में निर्णय कर लिये गये हैं । परन्तु उनका इस समय प्रकट करना सावजनिक हित में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि, चल स्टाक, लोहा और इस्पात उद्योग के अन्य उत्पादों और ऐसे उद्योग के लिये आवश्यक अन्य माल के उत्पादन और युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकहित में कुछ कम्पनियों के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का राष्ट्रीयकरण होने तक, ग्रहंण करने का उपबन्ध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री टी० ए० पाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(दो) एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

ALCOCK ASHDOWN COMPANY LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS) BILL

भारी उद्योग और इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं प्रस्तावकरता हूं : कि सामान्यतया देश की और विशषतया रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक माल के युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास और उत्पादन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The fact is that this company was running in profit till 1965 and thereafter it is running in loss. The Government could have exercised the vital powers under company law. The matter was raised four times in fourth Lok-Sabha.

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामले प्रथम वाचन के समय ला सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : There is provision for compensation worth a crore of rupees. Should not we know as to what is the capital of the company.

श्री ज्योतिर्मय वसु डायमंड (हार्बर) : हम कम्पनी को अधिकार में लेने के बारे में सरकार पर वित्तीय भार एवं कर्मचारियों को लगाये रखने के बारे में जानना चाहते है ।

Shri Madhu Limaye : There have been certain discussions with the Director that the Government would stress upon the officials to give one crore rupees as compensation.

अध्यक्ष महोदय : यह बातें आप प्रथम वाचन के समय रखें ।

Shri Madhu Limaye : I want to know why financial position of this company has not been indicated, as has been done in the previous bill.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि वित्तीय स्थिति के बारे में दिया गया वक्तव्य पर्याप्त नहीं है ।

श्री टी० ए० पाई० : पहले विधेयक में हम कम्पनी के प्रबन्ध को अधिकार में ले रहे हैं जबकि दूसरे में हमने आस्तियों और दायित्वों को ही अधिकार में लिया है ।

क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता के बारे में मैं सभा को संतुष्ट कर दूंगा ।

परन्तु यह आरोप लगाना कि मैंने अथवा मेरे अधिकारियों को निदेशक द्वारा प्रभावित किया गया है उचित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या मंत्री महोदय आस्तियों का पूरा विवरण देंगे ?

श्री टी० ए० पाई : मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आस्तियों को अधिकार में लेना नहीं चाहते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : (ढुंढुका) क्या मंत्री महोदय ने पर्याप्त वित्तीय आंकड़े दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक विधेयक में वित्तीय विवरण पर्याप्त होना चाहिये । मंत्री महोदय ने इसे बाद में देने को कह दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि सामान्यतया देश की और विशेषतया रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक माल के युक्तिसंगत तथा समन्वित विकास और उत्पादन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एलकोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री टी० ए० पाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
Matter under rule 377

मोदी फ्लोर मिल्स के गोदामों में गेहुं का भण्डार नष्ट किए जाने के बारे में समाचार

प्रो० मधु दण्डवते: (राजापुर) : महोदय ! सिविल सप्लाईज विभाग की गलती के कारण मोदी फ्लोर मिल्स के गोदामों में 1500 क्विंटल गेहूं खराब हो गया है । इस अभाव पूर्ण स्थिति में इतने गेहूं का खराब होना अत्यन्त खेदजनक है । मुझे आशंका है लगभग इतना ही गहूं और भी खराब हो जायेगा । तथा जनता को इस समस्या का सामना करना होगा ।

सरकार की नीतियां भी दोषपूर्ण हैं। तथा उसकी क्रियान्वयन व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। इनके कारण सुपरबाजार जैसी संस्थाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आशा है मंत्री महोदय इस दशा में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे): हम दिल्ली प्रशासन से स्थिति का पता लगायेंगे तथा सभा को उसकी जानकारी दे देंगे।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर चौंतीस मिनट पर म० प० पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-four minutes past fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I welcome this Bill. It is a matter of satisfaction that the amount of compensation would be increased from Rs. 20 thousands to Rs. 50 thousands through this Bill. But I am opposed to the provision of imposing surcharge no the tickets. Actually Government should aim at avoiding the accidents. May I know whether Government have taken any steps in this direction ?

I would like to remind the hon. Minister of the incident when he was travelling in a Delux train to Tundla with the twelve Members of the Parliament, there was no light in the train for hours together. I don't know why Railways have become so inefficient. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the application sent by the Members of Parliament from Assam, West Bengal and Bihar with the request that a direct train from Delhi to Bonaigaon should be started.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इन बातों को यहां कैसे संगत मानते है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह इसलिये संगत है कि सदस्यों को भी अपनी कठिनाइयां बताने का अवसर मिलता है। हम नहीं चाहते कि दुर्घटनायें हों तथा मुआवजा देना पड़े। मंत्रीगण वायदा करते हैं किन्तु उन्हें पूरा नहीं करते मैंने जो मांग की है उससे मिजोरम, अरुणाचल प्रदश और नागालैंड का भी हित होगा। आश्चर्य की बात है मुआवजा देने के लिये सरकार अधिभार लगाना चाहती है। इससे रेलवे के कार्यकरण में सुधार कैसे होगा ?

Sir, Patriot is a popular newspaper and it has been reported in it that an express train would run in this area twice a week. If hon. Minister intends to give this statement we would not accept it. Railway Board is nothing but a monolythic monopolistic monstrous body and it would never be able to check the accidents. We are representatives of the people and the hon. Minister should accept our genuine demands. I strongly demand that there should be no unmanned gates otherwise accidents are bound to occur. I am not opposed to the proposal of increasing the amount of compensation. But I vehemently demand that Government should take positive steps to minimise the accidents.

I also demand that a daily mail train service should be extended to Bonaigaon to facilitate the people of north India. The hon. Minister should be guided by the Railway Board but he should be a guiding Minister.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I welcome the proposal of increasing the amount of compensation from Rs. 20,000 to Rs. 50,000 but I can not support the provision of imposing surcharge on the tickets.

In certain areas late running of trains has become perpetual as a result of which passengers have to face great difficulties. May I know whether Government propose to give some compensation to those passengers who would have to wait for trains for a period of four hours ?

Government should also ensure proper punishment to those persons who are responsible for these accidents. Government have not implemented their decision to convert metre-gauge lines into broad gauge lines as yet in my constituency as a result of which people have been facing great hardships.

I would also like to suggest that the expenditure on compensation should be met from the amount which is misused by the Railways. Government should check the cases of pilferage and corruption.

In view of the demand made by all the members here to disband the Railway Board Government should take strict against this white elephant to save heavy amount spent on it. If it is done Government can easily bear the expenditure proposed to be incurred on compensation. Then, there would be no need to impose surcharge on tickets. I also suggest that the amount of compensation should be increased to Rs. 1,00,000.

श्री वयालार रवि (चिरमिकील) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मंत्री महोदय ने संकेत किया है कि मुआवज की राशि में वृद्धि करने से लगभग 2.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे । इस अतिरिक्त व्यय को दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है, एक घाटे को कम करके तथा दूसरे रेलवे प्रणाली में कायकुशलता बढाकर ।

इस संधर्भ में रेलवे विभाग को जो 1972–73 में 24 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है 103 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जायेगा । रेलवे बोर्ड तथा रेलवे प्रशासन रेल यात्रा में वृद्धि करने तथा उसे बनाये रखने म नितांत असफल रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह अतिरिक्त खर्च कब से आरम्भ किया जायेगा ।

आप जानते हैं कि दक्षिण भारत को कोयले की आवश्यकता है । सरकार उत्तरी भारत से दक्षिण भारत को कोयले की सप्लाई करती है तथा वहां से तेल और डीजल उत्तरी भारत को लाती है । इस प्रकार कितना व्यय होता है । सरकार इस गंभीर मामले पर पुनर्विचार क्यों नहीं करती ? वह ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती जिससे इस प्रकार का अप व्यय न हो सके ?

जहां तक भाड़े का संबंध है उसकी दरें अंग्रेजी शासनकाल में निर्धारित की गई थीं । उनमें भारी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । खाद्यान्न की ढुलाई को प्राथमिकता दी जाती है तथा अन्य वस्तुओं को श्रेणीबद्ध किया गया है । कुछ वस्तुयें बहुत कम भार वाली होती हैं, जैसे कि औषधियां, किन्तु उनका मूल्य अधिक होता है । यदि माल डिब्बे वातानुकूलित हों तथा उन पर झटकों का प्रभाव न हो तो ऐसी वस्तुऐं भी रेल से भेजी जा सकती हैं । सरकार को भाड़े की दरें इस प्रकार निर्धारित करनी चाहियें जिससे उत्पादक उनको रेल द्वारा भेजना पसंद करें ।

जहां तक कोयले का प्रश्न है रेल मंत्रालय कहता है कि हमें कोयला उपलब्ध नहीं है तथा दूसरा मंत्रालय कहता है कि हमें मालडिब्बे नहीं मिलते । अजीब स्थिति है । दोनों ही मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं । उन्हें इस समस्या पर परस्पर विचार विमर्श करना चाहिये तथा अधिकारियों की उपेक्षा करके स्वयं कोई ऐसा निर्णय करना चाहिये जिससे कोयले का समस्या का समाधान हो सके ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या योजना मंत्रालय के इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये कि ढुलाई क्षमता को 30करोड़ टन तक बढ़ाया जाये उनके मंत्रालय का कोई माल डिब्बे बनाने वाली नई फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव

है । केरल सरकार ने कीजोकोरम में ऐसा कारखाना स्थापित करनें के लिये भूमि देने का प्रस्ताव किया था । हम इस प्रयोजन के लिये लकड़ी और सस्ता श्रम भी देने के लिये तैयार हैं । अत: माननीय मंत्री से निवेदन है कि वहां यह कारखाना स्थापित किया जाये । त्रिवेन्द्रम एक पिछड़ा हुआ जिला है (**व्यवधान**)

मेरा सुझाव है कि अधिभार लगाने की बजाये मंत्री महोदय को कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करनी चाहिये ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : कुछ माननीय सदस्यों के तर्कों को सुनकर मुझे यह कहने को विवश होना पड़ा कि अतिरिक्त खर्च को अतिरिक्त आय के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है । अत: मैं मुआवजे की राशि में वृद्धि तथा अधिभार लगाये जाने के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

मैं श्री भागवत झा आजाद की इस मांग का समर्थना करता हूं कि भागलपुर होकर दिल्ली से बोंगाई गांव तक एक दैनिक डाकगाड़ी चलाई जाये । इससे कई राज्यों को सुविधा होगी । मंत्री महोदय को इस मांग को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि उक्त डाक गाड़ी की दैनिक सेवा उपलब्ध न कराई जा सके तो इसे सप्ताह में कम से कम तीन दिन अवश्य चलाया जाये ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I rise to support the provisions of this Bill. At the same time I think loss of life cannot be compensated by any money. Therefore, Government should minimise the accidents. It has been observed that the cases of Railway accidents are on increase. In 1971-72 there were as more as 4950 cases of accidents.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : REORGANISATION OF I.C.A.R.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किये जाने के बारे में सरकार के निर्णय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जायेगी ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय ! आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति के प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार के निर्णय के बारे में चर्चा कर रहे हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारे देश की महत्वपूर्ण समस्याओं और कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा का अध्ययन करती है । हम सभी को विदित है कि कृषि कार्य हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ।

देश में यह धारणा उत्पन्न की गई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है तथा उसने अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां की हैं । इस बात का प्रचार देश तथा विदेशों की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में भी किया गया । हरित क्रांति को इसी परिषद् की देन कहा गया है तथा यह भी कहा जाता है कि कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने की संभावनायें हैं तथा आठ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इसी आधार पर डा० स्वामीनाथन को मैगासामसाय पुरस्कार भी दिया गया तथा कई वैज्ञानिकों को विदेश भेजा गया ।

वर्ष 1973-74 में इस संस्थान पर लगभग 35 करोड़ रुपया खर्च किया गया । इसके नियंत्रण में लगभग 110 प्रयोगशालायें और अनुसंधान केन्द्र आदि हैं तथा यह लगभग 100 अनुसंधान योजनाएं चला रही है । इस संस्थान ने अमरीका की सहायता से 1954 में एक दल की नियुक्ति की जिसमें सात विशेषज्ञों में से तीन अमरीकी विशेषज्ञ थे । इस प्रकार के दलों की बाद में भी स्थापना हुई और उनमें अमरीकी विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में आत्मनिर्भर होना चाहती है अथवा विदेशों पर ही आश्रित रहती रहेगी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में देश विदेश में बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया। किन्तु इस परिषद् में एक ऐसा तानाशाही वातावरण उत्पन्न किया गया कि वैज्ञानिक प्रोत्साहनों और उपलब्धियों की सभी संभावनायें निर्मूल हो गईं।

इस संस्थान में 1966 से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर नियुक्तिया का जाता था। किन्तु बाद में यह कार्य वहां के प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया जिससे इस संस्थान में पक्षपात, भाई भतीजाबाद तथा अन्य अनेक अनियमितताओं का बोलबाला हो गया। इस संबंध में श्री जगजीवन राम और श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने भी कठोर आलोचना की है। किन्तु हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वास्तविक गतिविधियों का कोई ज्ञान ही नहीं था। यह तभी ज्ञात हो सका जब डा० विनोद शाह का अन्तिम पत्र प्रकाश में आया जिसमें लिखा था कि मैं अपने जीवन का इसलिये बलिदान कर रहा हूं जिससे अन्य वैज्ञानिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके।

इस दुखद घटना के पश्चात् सरकार ने मुख्यतः डा० विनोद शाह द्वारा लगाये गये आरोप की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जिसके सदस्य डा० कोठारी तथा डा० सेठना जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। सही-सही जांच सुनिश्चित करने के लिये एक सलाहकार पैनल भी बनाया गया तथा इसमें भी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को रखा गया।

डा० विनोद शाह ने तीन प्रकार के आरोप लगाये। उनका पहला आरोप यह था कि डा० रजत डे और डा० राजेन्द्रप्रसाद की नियुक्ति गलत रूप से की गई। दूसरा आरोप यह था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने जिन उपलब्धियों का दावा किया है वे कृत्रिम हैं तथा गैर-व्यावहारिक हैं। तीसरे परिषद में वैज्ञानिकों को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है तथा चौथे इस संस्थान में अनेक अनियमितायें हैं।

जांच समिति ने स्पष्टरूप से कहा है कि डा० रजत डे की नियुक्ति न्यायसंगत नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सेक्रेटरी श्री मेनन ने समिति के समक्ष उपस्थित होने से इन्कार कर दिया। उसने समिति के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया। वह समिति के चैयरमेन से अलग से मिला।

जहां तक डा० प्रसाद की नियुक्ति का प्रश्न है यद्यपि जांच समिति ने इस नियुक्ति को अनुचित नहीं माना है तथापि उसका कहना है कि चयन समिति में डा० डे की उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण (अनफोरचुनेट) थी। इस टिप्पणी से प्रतीत होता है कि चयन समिति में डा० डे के होने से डा० प्रसाद को प्राथमिकता दिये जाने तथा डा० विनोद शर्मा की उपेक्षा किये जाने की संभावनायें हैं।

जहां तक वैज्ञानिक उपलब्धियों के दावे का प्रश्न है डा० स्वामीनाथन के अनुसार शर्बती सोनोरा गेहूं में प्रोटीन और लाइसीन की मात्रा बहुत अधिक है। (व्यवधान) किन्तु जांच समिति द्वारा नियुक्त किये गये सलाहकार पैनल का कहना है कि लाइसीन की मात्रा 4.61 प्रतिशत भी नहीं है। इस पैनल ने हैदराबाद, मैसूर और बंगलौर स्थित प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कराया तथा उनके आधार पर डा० स्वामीनाथन के दावे को गलत पाया गया।

जांच समिति ने बैशाखी मूंग के बारे में भी डा० शाह के आरोप को सही पाया तथा इस किस्म को सफल नहीं पाया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह दावा किया है कि नाइट्रीकरण अवरोधक से नाइट्रोजन लेने की गति बढ़ाई जा सकती है। समिति ने इसके बारे में यह कहा है कि यह कार्य अभी समन्वेजी अवस्था में है, यदि ऐसी बात है तो इसका प्रचार नहीं किया जाना चाहिये था। बड़े आकार के आलू द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन दिये जाने के बारे में समिति ने यह टिप्पणी दी है कि इस संबंध में उत्पादन आदि के रिकार्ड ठीक से नहीं रखे गये हैं यही बात उन्होंने मक्की तथा बाजरा के बारे में कही है, समिति ने कड़े शब्दों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों का प्रचार समय से पूर्व करने के बारे में अपनी टिप्पणी दी है।

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि डा० शाह द्वारा लगाये गये आरोप मोटे तौर पर सही हैं। नियुक्तियां करने के मामले में बहुत धांधली हुई है। समिति की यह रिपोर्ट इस संस्थान के कृत्य और प्रशासन नियंत्रण के बारे में जबरदस्त आक्षेप करती है। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने इन सब कार्यों के लिये संस्थान के नौकरशाही वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है, सरकार ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय

लेने से पूर्व समिति के प्रतिवेदन पर बहस की जायेगी तथा 1200 रिक्त पदों की पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी। परन्तु अब हम क्या देख रहे हैं, यहां नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जा रही हैं। सरकार ने सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं किया है तथा जांच समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज किया है। सरकार कहती है कि नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाएंगी अपितु यह कार्य उसके द्वारा नियुक्त एक वैज्ञानिक समिति द्वारा होगा, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने जांच समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस संस्थान को सरकार का विभाग बनाया जाये तथा इसका नाम कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग रखा जाये। परन्तु सरकार इसका पुनर्गठन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सरकार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कर रही है। वह ऐसा किसके परामर्श पर कर रही है। जांच समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से परामर्श किया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रशासन द्वैधशासन के आधार पर चल रहा है। यह एक सरकारी विभाग भी है तो एक स्वशासी निकाय भी है। सरकार ने इसके निदेशक को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया हुआ है जो कृषि विभाग से संबद्ध है और साथ ही साथ वह परिषद् का निदेशक भी है, इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी सरकार से सीधे आये हैं जबकि अन्य अधिकारी नहीं, इसका मतलब यह है कि अधिकारियों के एक वर्ग को वे विशेषाधिकार तथा अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो इस परिषद के अन्य सरकारी अधिकारियों को हो रहे हैं। यहां एक प्रकार का द्वैध-शासन चल रहा है। सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद को सरकार का विभाग क्यों नहीं बना रही है? अमरीका, जापान, फारमूसा, रूस आदि देशों में कृषि अनुसंधान संस्थान सरकारी विभाग हैं। भारत में कृषि में सबसे अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हैं। इसलिये परिषद को सरकारी विभाग बनाया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ने समिति की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को 1966–67 के बाद वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये अपने नियम आदि बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। इन्हीं कारणों से इस परिषद् में भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयां फैल रही हैं।

समिति ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परिषद् में सभी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी चाहिये तथा उनके वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ने उनके किसी भी सुझाव को नहीं माना है। जांच समिति ने बताया है कि उसे भर्ती के मामले में अनियमितता बरतने के बारे में लगभग 900 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सरकार समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की नियुक्ति के मामले में हुए अनियमितताओं के प्रत्येक मामलों की जांच करने के लिये एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। सरकार भी इस मामले में नियुक्ति के संबंध में हुए अनियमितताओं की जांच करने के लिये किसी निष्पक्ष व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो समिति द्वारा दोषी ठहराये गये हैं?

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि वहां के वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। सरकार समिति की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है ताकि प्रत्येक मामलों की जांच की जा सके?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक दलीय शासन चल रहा है। वहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजाबाद, षडयंत्र आदि का बोलबाला है। इससे वहां के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को आघात पहुंच रहा है। अब समय आ गया है कि सरकार को साहस के साथ इस परिषद् में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहिये।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : डा० शाह की मौत यह बताती है कि इस देश में प्रतिभावान व्यक्ति में निराशा कितनी घर कर गई है। आज स्वतंत्रता के 25 वर्ष के उपरांत भी हम प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान नहीं कर सके हैं। मैं कृषि मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं कि उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में व्याप्त बुराइयों की जांच करने के लिये एक जांच समिति की नियुक्ति की है परन्तु इतना करना अपर्याप्त है।

जांच अधिनियम आयोग, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकांश जांच आयोगों के प्रतिवेदनों को मैंने पढ़ा है, सरकार ने आयोगों की बहुत कम सिफारिशों को स्वीकार किया है। श्री गजेन्द्रगडकर न्याय के क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति

हैं। जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करना श्री गजेन्द्रगडकर और इस समिति में नियुक्त वैज्ञानिकों के साथ अन्याय होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में पांच वरिष्ठ वैज्ञानिकों की वरीयता क्रम इस प्रकार है—डा० एस०एस० बेन्स, डा० आ० एस० महापाल, डा० एन० टी० दास्ताने, डा० शाह (स्वर्गीय) और डा० राजत डे, डा० एस० एस० बेन्स के निधन के पश्चात डा० आई० सी० महापाल को उनके पद पर आना था परन्तु वे 32 दिन की छुट्टी पर थे, श्री महापाल अपनी छुट्टी पूरी करके अपने नये कार्यभार को संभाल सकते थे। डा० स्वामीनाथन इस बात के समर्थक हैं कि जब इस विभाग का अध्यक्ष देश से बाहर या देश में ही कहीं गया हुआ है तो प्रोजेक्ट-कोआरडीनेटर को उसका कार्य-भार संभालना पड़ेगा। डा० महापाल का वरीयता म दूसरा स्थान था। परन्तु अब डा० स्वामीनाथन का कहना है कि वर्तमान स्थिति में प्रोजेक्ट-कोआरडीनेटर के लिये अनेक महीनों तक दोनों कार्यभार संभालना कठिन होगा। यह एक बड़ी अजीब बात है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिकार्ड में यह बात उल्लिखित है कि जब भी विभागाध्यक्ष छुट्टी पर जाता है तो उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति आता है और जिन व्यक्तियों ने विभागाध्यक्ष का पद संभालना है उन्होंने इसके साथ साथ अन्य पद भार भी संभाला हुआ होता है। डा० शाह ने आत्महत्या से पूर्व जो पत्र लिखा था उसमें कहा गया था कि यह पद या तो डा० महापाल को मिलना चाहिये या डा० दास्ताने को। डा० दास्ताने उस समय विदेश गये हुए थे। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रोजेक्ट कोआरडीनेटर ने अपने पद के साथ-साथ विभागाध्यक्ष का पद भी संभाला है। जब ऐसी बात है तो वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपेक्षा करके डा० राजत डे जैसे कनिष्ठ वैज्ञानिक को विभाग-ाध्यक्ष बनाये जाने की क्या आवश्यकता थी। विभागाध्यक्ष बनाने के लिये योग्यता भी देखी जानी थी-। डा० राजत डे को डा० दास्ताने के बेरूत से वापस आ जाने तक विभागाध्यक्ष का पद दिया गया था। परिषद् के रिकार्ड देखने से पता चलता है कि विभागाध्यक्ष के पद पर तदर्थ नियुक्ति कभी नहीं की गई थी। यदि ऐसी बात है तो डा० राजत डे की तदर्थ आधार पर नियुक्ति क्यों की गई थी। यहां यह बता देना आवश्यक है कि परिषद् में पांच विभागाध्यक्षों के पद रिक्त थे परन्तु केवल कृषि विभाग के अध्यक्ष का पद भरा गया था। क्या डा० राजत डे उस पद के लिये बहुत योग्य व्यक्ति थे? समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 46 में यह टिप्पणी दी है कि डा० डे अपेक्षित योग्यताओं को पूरा नहीं करते थे तथा उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से फसल क्रिया-विज्ञान में पी०एच०डी० की उपाधि ली थी न कि कृषि विज्ञान में ली थी। इसके अतिरिक्त 8 सितम्बर 1971 को इस पद के लिये साक्षात्कार हुआ था और दूसरे दिन डा० राजत डे ने 10 बजे अपना पद भार संभाल लिया था। ऐसा लगता है कि यह सब पूर्व नियोजित था।

इसके पश्चात 1 मई 1971 को जो विभागाध्यक्ष पद के लिये साक्षात्कार हुआ था उसमें डा० शाह ने देखा कि डा० डे, जो योग्यता, दर्जा आदि में उनसे कनिष्ठ है, बोर्ड के सदस्य हैं और उनका इंटरव्यू लेंगे, डा० शाह ने 4 मई को आत्महत्या कर ली थी और समिति ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को चुन लिया था। मेरा ऐसा बताने का उद्देश्य इस परिषद् में व्यापत बुराई की ओर संकेत करना है।

इस तरह के और भी मामले हैं। डा० स्वामीनाथन ने शुष्क कृषि के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया है, परन्तु एक इंजीनियर श्री बलवन्त सिंह ने डा० सी० दक्षिणमूर्ति जो इस परिषद् में फार्म संचालन तथा प्रबंध विभाग के अध्यक्ष हैं, को 19 नवम्बर 1970 को लिखे पत्र में इसको धोखा देने वाला परीक्षण बताया है। उन्होंने लिखा है कि शुष्क कृषि के अपनाने से हरित क्रांति असफल हो जायेगी।

एक अन्य वैज्ञानिक श्री गुप्ता के साथ भी अन्याय किया गया है। इनका मामला इस समय उच्च न्यायालय में है। वे अनुसंधान कार्य कर रहे थे और यह सुविधा उनसे छीन ली गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कर्मचारियों की स्थिति बड़ी असंतोषजनक है। उन्हें केन्द्रीय स्वास्थय सेवा योजना, सेवानिवृत्ति सुविधायें सेवा सुरक्षा आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि इसे सरकार का एक विभाग बनाया जाये। यहां सभी इंटरव्यू संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होने चाहिये।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : आपको यह ज्ञात होगा कि मई 1972 को एक प्रतिभावान कृषि वज्ञानिक डा० विनोद शाह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में व्यापत भ्रष्टाचार और अन्याय के विरोध में आत्महत्या कर ली थी। यह अपने में एक अलग घटना नहीं है। डा० एम० सी० जोशी ने वर्ष 1960 में और डा० बी० एस० बतरा ने

*मूल बंगाली में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speach delivered in Bengali.

वर्ष 1970 में इन्हीं परिस्थितियों में आत्महत्या की थी । समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में यह सुझाव दिया है कि परिषद को कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग का रूप दिया जाये तथा इसे सीधे कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन में लाया जाये । समिति ने इसके पूरे ढांचे में परिवर्तन लाने के लिये अन्य सुझाव भी दिये हैं । इस पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि इस संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बुराइयों को दूर किया जाये जो वैज्ञानिकों में नैराश्य की भावना को जन्म देती है । हमें वहां ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जहां कनिष्ठ वैज्ञानिकों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें तथा उनके कार्य को मान्यता मिल सके । कुछ समय से इस परिषद के अनुसंधान वैज्ञानिकों में प्रचार करने की भावना बल पकड़ती जा रही है । कनिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों की उपेक्षा की जा रही है । उनके शोध-प्रबंधों को उनके नामों के अन्तर्गत प्रकाशित नहीं किया जाता है । कृषि क्षेत्र में युवा वैज्ञानिक जो प्रगति दिखाते हैं, उसका श्रेय विभागाध्यक्ष को जाता है, इसलिये सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि इस संगठन में व्याप्त बुराइयों को समाप्त किया जाना चाहिये । कुछ वर्ष पूर्व हम हरित क्रांति की बात कर रहे थे परन्तु आज हम खाद्य संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं । ऐसा क्यों हुआ ? इसका मुख्य कारण यह है कि हमने कृषि क्षेत्र में होने वाली उपलब्धियों को किसानों तक नहीं पहुंचाया है । हम कृषि के विदेशी तरीकों को अपना रहे हैं चाहे वे हमारी कृषि व्यवस्था के अनुरूप हों या न हों । खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये हमें कुछ करना पड़ेगा । महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में गंभीर खाद्य संकट विद्यमान है । इसको दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि हम कृषि अनुसंधान का कार्य गंभीरता से लें, कृषि क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का लाभ केवल अमीर किसान ही उठाते हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि अमीर किसान और भी अमीर होता जा रहा है तथा निर्धन किसान और भी निर्धन होता जा रहा है । इस असंतुलन को दूर किया जाना चाहिये ।

सरकार को एक अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा स्थापित करने व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए, इससे कनिष्ठ वैज्ञानिकों की समस्यायें बहुत सीमा तक हल हो जायेंगी । हमारे कृषि वैज्ञानिकों का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान के बराबर किया जाना चाहिये । वेतनमान की असमानता को दूर किया जाना चाहिये । यह आवश्यक है कि कृषि वैज्ञानिकों को किसानों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिये । इससे उन्हें अपने कार्य में बहुत सहायता मिलेगी । अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद के कर्मचारियों के प्रति श्रम विरोधी नीति अपना रही है । बिना इनकी कठिनाइयों की दूर किये हम इनसे सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं । इस परिषद का प्रशासन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिये ताकि युवा वैज्ञानिकों को अपने उन्नति का अवसर मिल सके । हमें यहां ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जहां किसी वैज्ञानिक को अपना जीवन बलिदान न करना पड़े ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में डा० शाह की आत्महत्या तथा यहां नियुक्ति संबंधी आदि बातों की जांच करने के लिये भूतपूर्व न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी । इसने सब बातों की जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने यह सिफारिश की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करके इसे कृषि मंत्रालय का विभाग बनाया जाये । प्रतिवेदन के अध्याय आठ में इसके विस्तारपूर्वक कारण बताये गये हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय समितियां (पंजीकरण) अधिनियम के अधीन 1929 में पहली बार पंजीकरण हुआ था । 1930 में भारत सरकार को एक संकल्प के द्वारा इसे कृषि विभाग का एक संबद्ध कार्यालय बना दिया गया । स्वाधीनता के पश्चात 1954, 1955 और 1959 में तीन समितियां नियुक्त की गईं जिन्हें अधिकतर भारतीय अमरीकी विशेषज्ञ समितियां कहा जाता था । 1963 में एक अमरीकी वैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की गई । इन समितियों की सिफारिशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया गया ।

1966 में इसका मुख्य पुनर्गठन हुआ जिसमें परिषद् में भर्ती का काम संघ लोक सेवा आयोग से लेकर स्वयं भारतीय कृषि अनुसंधानपरिषद को सौंपा गया । इसे अधिक शक्तियां व स्वायतता प्रदान की गई ।

1966 के इस पुनर्गठन के पश्चात यह पाया गया कि परिषद को स्वायतता दिये जाने के पश्चात राजनीतिक प्रभाव पड़ा है प्रतिवेदन में इस प्रकार के संकेत हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चयन के मामलों में कितना घोटाला चलता था । इसको देखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि यह कार्य संघ शोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाये । निष्पक्ष चुनाव के लिये अलगाव तथा स्वतन्त्रता की भावना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो संघ

लोक सेवा आयोग की तरह वैज्ञानिकों का एक नया स्वतन्त्र निश्चय बनाया जाये जो कि किसी भी प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध अथवा इसके अधीन न हो जिससे कि यह परिषद के प्रभाव के अधीन न आ जाये। जहां तक डा० डे की नियुक्ति का संबंध है समिति का यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि कृषि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के पद पर डा० डे की नियुक्ति उचित रूप से नहीं की गई। डा० डे के पास पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें भी नहीं थी ।

हमने अमरीकी विशेषज्ञों की सिफारिश मान ली। परंतु अब जब भारतीय विशेषज्ञों ने एक सिफारिश की है तो उसे रद्दी की टोकरी में फैंका जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को एक सरकारी विभाग बना दिया जाये। परंतु सरकार इस सिफारिश को मान नहीं रही। अमरीका जैसे देशों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा सरकार के अधीन एक विभाग के रूप में है। यही स्थिति रूस और जापान की भी है। फिर समिति ने वह नहीं कहा है कि इसे सरकारी विभाग बना कर इसकी स्वायतता इससे ले ली जाये। बल्कि नये संगठन में इसे बनाये रखा है।

यह सब कह कर मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा। मैं डा० स्वामीनाथन को देश का एक महान वैज्ञानिक मानता हूं। परन्तु फ़िर भी मुझे यह कहना है कि वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक ही रहना चाहिये। यदि वे प्रशासक बनेंगे तो वे वैज्ञानिक नहीं रहेंगे। स्वयं डा० स्वामीनाथन ने आयोग के समक्ष यह बात कही है। अतः मैं आशा करूंगा कि डा० स्वामीनाथन अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिक के रूप में मार्गदर्शन करेंगे तथा प्रशासक आदि का कार्य छोड़ देंगें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : डा० विनोद शाह के आत्महत्या के मामले पर सदन में मई 1972 में चर्चा हुई। उसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कार्यकरण की जांच की समिति नियुक्त, जिसके प्रतिवेदन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रतिवेदन से मुझे संतोष प्राप्त हुआ है। यहां तक कि श्री समर गुह जैसे सदस्य भी आज सरकार समिति के इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने व कार्यान्वित करने का अनरोध कर रहे हैं जबकि उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद विषयक सरकार समिति के प्रतिवेदन को सरकार द्वारा रद्द करने की मांग की थी ।

मेरा विचार है कि हमारे देश में अनुसंधान संस्थाओं को स्वायतता और वैज्ञानिक वातावरण को बनाये रखना चाहिये। इस दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं को सरकारी विभाग में परिवर्तित करने से देश में अनुसंधान को समाप्त करना होगा। इस संबंध में सदस्यों ने अमरीका रूस व अन्य देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम भारत में हैं। हमें देखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में क्या कमी थी। क्या इसमें अफसरशाही बहुत अधिक थी। वास्तव में इसके लिये सरकार उत्तरदायी थी। अनेक वर्ष तक यह निर्णय नहीं किया जा सका कि परिषद को स्वायतता दी जाये अथवा नहीं। अन्त में भी कई मामलों में इसे स्वायतता दी गई और कई अन्य मामलों में नहीं दी गई।

12 नवम्बर को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार समिति का मूल तर्क यह था कि अनुसंधान के संबर्द्धन से संबद्ध निकायों के लिये सरकारी परम्परायें अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। परंतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबंध में यह इसके विपरीत सिद्ध हुआ। क्योंकि प्रशासकीय और वित्तीय प्रक्रियाओं के संबंध में परिषद को कृषि मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय माना जाता था। दूसरे जहां तक आन्तरिक प्रबंध उपकरणों का क्रय इमारतों का निर्माण आदि की बात है केन्द्र सरकार के नियम उस पर लागू होते थे। इससे स्पष्टतया इस बात को बल मिलता है कि परिषद को प्रारंभ से ही स्वायतता नहीं दी गई और न ही इसे पूरे रूप से सरकारी संगठन के लाभ प्राप्त हो सके।

अब गजेन्द्र गडकर समिति ने इसे जोरदार शब्दों में इसे सरकारी विभाग के रूप में परिवर्तित करने की सिफारिश की है। परन्तु मैं इस सिफारिश के साथ सहमत नहीं हूं और इस सिफारिश को स्वीकार न करके सरकार ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है।

परन्तु इसके साथ ही सरकार ने दो तरफा नीति अपनाई है। एक ओर तो कहा गया है कि परिषद की स्वायतता को बनाये रखा जायेगा और दूसरी ओर मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के रूप में एक नया विभाग बनाने का भी विचार है। यह विभाग परिषद और सरकार के बीच प्रशासनिक संबंध बनाए रखने में सहायता

देगा । मैं नहीं जानता कि ऐसा व्यवहारिक रूप से कहां तक चलेगा । मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । मुझे एसी भी आशंका हो रही है कि कृषि अनुसंधान कार्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग इस विभाग का उत्तरदायित्व बनाया जायेगा । यदि मेरी आशंका ठीक है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या मार्गदर्शीय सिद्धांत नियत किये जायेंगे । क्योंकि विदेशी विशेषज्ञता लाने के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर विदेशियों की भरती की जाती रही । इस स्थिति के प्रति हमारे भारतीय वैज्ञानिक रोष प्रकट करते रहे क्योंकि उन लोगों को अधिक शक्तियां एवं सुविधायें प्रदान की जाती थीं । मैं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विरोधी नहीं परंतु नये विभाग के लिये इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत तय किये जाने चाहियें ।

आज के संदर्भ में इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि आज कृषि हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है इसलिए यह देखना बहुत आवश्यक है कि विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने के नाम पर ऐसे कार्य न किये जायें जिनसे आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसय होने का हमारा पथ अवरुद्ध न हो जाये ।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के ढांचे में लचकीलापन होना उनकी प्रमुख विशेषता है । यदि परिषद के ढांचे में वह लचकीलापन होगा तो इसमें आज की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां न होतीं जिनके कारण डा० विनोद शा को अपनी जान खोनी पड़ी । यह लचीलापन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब प्रबन्ध प्रक्रिया में स्वायतता हो और परिचालन में लचीलापन लाया जाये । कार्यकरण में एक ऐसी कार्मिक पद्धति अपनाई जाये जिससे वैज्ञानिकों में प्रतियोगिता की भावना न आ सके । जिस प्रकार की भावना डा० विनोद शाह और डा० राजेन्द्र प्रसाद में उत्पन्न हुई ।

वैज्ञानिक और औद्यागिक गवेषणा परिषद में भी इसी प्रकार की स्थिति थी । युवा वैज्ञानिकों में निराशा थी । वे महसूस करते थे कि निर्णय लिये जाने से पूर्व उनसे परामर्श नहीं किया जाता । महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उन्हें संबद्ध नहीं किया जाता और अंत में सारा यश कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को प्राप्त होता है । इस संबंध में कुछ सिफायिशें की गईं जिनके द्वारा स्थिति को सुधारने के और संस्थान को लोक तन्त्रीय आधार प्रदान करने के प्रयास किये गये । सरकार ने इन में से कुछ बातों को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है । उन्हें ठोस रूप देकर क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

इसके कार्यकरण में कुछ गंभीर कमियां हैं । जांच समिति के निर्देश पदों में उन पर विचार करने की कोई बात नहीं थी । समिति के सामने 500 अथवा 900 कमियां बताई गई परन्तु समिति ने उन पर विचार नहीं किया क्योंकि ये सब उसके क्षेत्राधिकार से बाहर था वास्तव में समिति को यह स्पष्ट कर देना चाहियें था कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण उन पर विचार नहीं किा जा रहा । परंतु समिति ने ऐसा नहीं किया । शिकायतें आदि सुनने के पश्चात यह कह कर संतोष कर लेना कि बात क्षेत्राधिकार से बाहर है उचित नहीं । मेरे विचार से सरकार को इसस बात का अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार समिति के सामने लाई गई बातों की किसी स्वतन्त्र एजेन्सी से जांच कराये ।

समिति ने गोपनीय रिपोर्टों की पद्धति में सुधार करने का सुझाव दिया है । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने मामले का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया । सरकारी विभाग और अनुसंधान संस्थान में बहुत अन्तर है । अतः इससे गोपनीय रिपोर्टों को इस प्रकार गोपनीय बनाये रखना उचित नहीं प्रतीत होता ।

यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि शिकायतों के संबंध में कोई तन्त्र नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वज्ञानिकों के अतिरिक्त अन्य कमचारी भी हैं और पदोन्नति, सेवा शर्तों, छुट्टी सुविधाओं, वेतनमानों आदि के बारे में अनेक शिकायतें हैं । इन पर विचार किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसी व्यवस्था करने का विचार है कि कर्मचारियों की उचित मांगों पर विचार हो सके और व दूर की जा सकें ।

श्री इन्जीत मल्होत्रा (जम्मू) : इस प्रतिवदन के दो पहलू हैं । एक तो देश में कृषि अनुसंधान के ढांचे का है और दूसरा पदोन्नति आदि के संबंध में की गई अनियमिततायें ।

हमारे देश में कृषि वज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश कृषि उत्पादन में काफी हद तक स्थिति सुधार सका है ।

वर्ष 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डा० जोसफ ने आत्महत्या की तो उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि कृषि अनुसंधान के सारे ढांचे और अनुसंधान संस्थाओं में व्याप्त वातावरण की जांच की जायेगी ।

आज भी सब से महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसंधान संस्थाओं में व्याप्त वातावरण से संबंधित है। अनुसंधान संस्थाओं में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ खाद्य मंत्रालय का भी यह कर्तव्य है कि समय समय पर इस बात की जांच की जाये कि अनुसंधान संस्थाओं में व्याप्त यह वातावरण किस कारण से है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

यह देखना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का काम था कि यदि कोई इस प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रियायें थी जो कि वैज्ञानिकों के कार्य में रूकावटें उत्पन्न कर रही थीं, तो विशेष रूप से नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तो उन को दूर किया जाता। परन्तु परिषद इस संबंध में असफल रही है। यह ठीक है कि डा० स्वामीनाथन एक योग्य व्यक्ति हैं। जहां तक देश में कृषि उत्पादन का संबंध इस बारे में उनका काफी योगदान रहा है।

यदि कृषि अनुसंधान को सरकारी विभाग बनाया गया तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। भूत काल में अनेक कठिनाइयां सामने आती रहीं तो उसका कारण यह था कि खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा और कुछ गैर-तकनीकी अधिकारियों द्वारा इसके कार्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया जाता था। हमें कृषिवैज्ञानिकों को अधिक स्वतन्त्रता देने के प्रयास करने चाहियें। उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहियें। कुछ सदस्यों ने कहा है कि कृषि अनसंधान का कार्य अमरीका में सरकारी विभाग के अधीन हैं। वस्तुतः अमरीका में यह काम कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में केवल बुराइयां ही नहीं हैं। यह ठीक है कि कुछ गलतियां हुई हैं परन्तु अब आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिकों और प्रशासकों के बीच संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाये। यह निर्णय किया जाये कि सरकार वज्ञानिकों को कितनी वित्तीय, प्रशासनिक व अन्य शक्तियां प्रदान कर सकती है जिससे कि वे पूर्ण विश्वास और स्वतन्त्रता के साथ अपना कार्य कर सकें।

हमारी अनुसंधान संस्थाओं में व्याप्त वातावरण को सुधारने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि सरकार इस समस्या की ओर पूरा ध्यान देगी तो इस स्थिति में सुधार हो सकेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It appears that Government did not give due consideration to this matter. Gajendragadkar Committee was appointed after a lot of hue and cry in the country as well as this House. After the appointment of the committee its terms of reference were changed. Old matters were taken out of the purview of the committee. The Government has not accepted the recommendations of the committee. If the recommendations of such a high powered committee are going to be neglected in such a manner there was no justification for its appointment. In future no dignitary would accept the chairmanship or membership of a Government Committee due to this neglect on the part of the Government.

The Hon. Minister had agreed that 1200 vacant posts would be filled through U.P.S.C. but now it is being said that special Recruitment Board would be set up for the purpose. Who would constitute the said Board ? It is feared that it would be constituted with the assistance of those who were indicated persons and Headquarter posts may not be kept under the purview of the said Board. This position should be clarified. Recruitment should be entrusted to U.P.S.C. Administrative Reforms Commission had also made a similar recommendations. If Government is bent upon to constituting the Board it should be done through an Act of Parliament.

Committee has suggested that Indian Agriculture Research Council should be converted into a Government Department. There are different views about this. Research Institution being converted into a Government Department appears to be quite a strange thing. I am also a supporter of autonomy, but it should be to young scientists so that they may not be required to end their lives. Our Research Institutions are den of bureaucracy. Our young Scientists are leaving the country due to this state of affairs in these Institutes. The work is done by Junior Scientists and Research Scholars but credit for this is claimed by Seniors. This attitude is discouraging our younger scientists. So while considering the autonomy this aspect should also be kept in view

There is no harm in making this council a Government Department. The only thing of concern is that there should not be irregularities in appointments, etc. There should be harmony amongst Junior and Senior Scientists. Scientists should not work in competition against each other.

Something is definitely rotten in our Research Institutions. Suicide of Dr. Shah has made it clear. We should take lesson from this incidence. Our Scientists should be praised for the good work done by them but we should not try to shield their wrong claims. It is very disheartening that though there is mention in the report about wrong claims about the achievements of certain scientists, the Government has not accepted the recommendation of the committee in this regard.

They should be praised if due and where they should be criticised, that should also be done frankly. The House should not take sides so that scientists may not be able to indulge in lobbying and the prestige of the House is undermined.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Sir, the Gajendragadkar Committee which went into the points raised by Shri Shah in his suicide note and matters incidental thereto in regard to I.C.A.R.

There are different stages of research work being done by Scientists and the differences in regard to conclusions arrived at by them are resolved in various forms such as discussions, seminars and symposia and only after all the differences of opinion are resolved that conclusions of such research are made known.

The various points raised by the late Shri Shah did not pertain to the final stages of such research projects. Even if he was not satisfied with certain promotions, other avenues were open to him but he took the extreme step to commit suicide and thereby he proved to be a weak-minded person.

Gajendragadkar Committee is not the only authority which has looked into agriculture and its various aspects, Nalagarh Committee had also made many recommendations in this regard. Then, National Commission on Agriculture is also there, and out of 18 interim reports, two reports are worth studying viz., "Some Aspects of Research, Education, Extension and Training" and Coordinated schemes undertaken by I.C.A.R. and their Merits. The research schemes of I.C.A.R. are so good that other nations, both agriculturally advanced and backward want to make use of them.

I am happy that Government have taken numerous decisions in the light of these Reports and recommendations and through them we have been able to inseminate modern knowledge to 75 per cent formers in the country. The work done by I.B.R.I., I.C.A.R.I. All-India Rice Institute, Indian Dairy Research Institute and International Research Institute for Dry Farming are top-ranking research centres of the country and the scientists engaged therein are some of the top-ranking scientists of the world.

Of the various decisions announced by Shri Shinde, one is very vital one and pertains to coordination between research centres, the Union Government and various State Governments.

In conclusion, I would request that instead of tinkering with the problem. These things may be taken seriously and Government should implement their decisions without further delay.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस चर्चा का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि सदस्यों ने दलवादिता से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक हमारा संबंध हैं इस जांच समिति ने कुछ मूल बातें उठाई हैं और कुछ मूल निदेश दिए हैं। इसकी पहली सिफारिश इसे पूरी तरह सरकारी विभाग बनाने और इसमें नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराये जाने के बारे में है और मेरे विचार में इसे नहीं माना जाना चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को भी स्वायतता मिलनी चाहिये जसा कि भारतीय चिकित्सा अनुसधान संस्थान के बारे में सिफारिश की गई है। क्या सी०एस०आई०आर० को इस कारण स्वायतता दी गई है कि औद्योगिक विकास देश के लिये कम महत्व रखता है। ऐसे सभी राष्ट्रीय संस्थानों को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिये क्योंकि कृषि का विकास भी देश के लिय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में विकास महत्व रखता है।

शोध-कार्यों के संबंध में हैदराबाद, मैसूर और बंगलौर में भिन्न परिणाम प्राप्त हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दोषपूर्ण हैं या काल्पनिक है। जैसाकि श्री वाजपेयी जी ने कहा है, हम विपक्ष में होते हुए भी यही कहेंगे कि कृषि अनुसंधान संस्थान और ऐसे अन्य संस्थानों ने काफी अच्छा कार्य किया है और मैं चाहता हूं कि उन्हें स्वायतता सौंपकर हम उनसे और अच्छे कार्य की अपेक्षा कर सकते हैं।

इस संस्थान में वैज्ञानिकों के वेतन की अधिकतम सीमा 2000 रुपये रखने की सिफारिश की गई है। यदि अन्य संस्थानों में यह सीमा नहीं है तो इसने क्या पाप किया है ? इस आधुनिक युग में कुछ भी अन्तिम नहीं है; अतः यह सिफारिश भी अंतिम नहीं मानी जानी चाहिये। उसमें जिन अनियमितताओं और विफलताओं का संकेत किया गया है उन्हें सरकार को दूर करना चाहिये।

सरकार द्वारा किये गये मुख्य निर्णयों का समर्थन करते हुए मैं इसे पूर्ण स्वायतता दिये जाने का अनुरोध करूंगा।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : 1966 के बाद से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कृषि में उल्लेखनीय शोध कार्य किया है। गजेन्द्रगडकर समिति ने इस बारे में बहुमुल्य सुझाव दिया हैं और आशा है कि उनके आधार पर इसके कार्यकरण में सुधार होगा। क्योंकि कुछ प्रशासकीय निर्णयों के परिणामस्वरूप कुछ वैज्ञानिकों को क्षोभ हुआ है अतः इन त्रुटियों को दूर किया जाये। कुछ भी हो, डा० स्वामीनाथन ने गेहूं की नई नस्लों के बारे में उल्लेखनीय शोध कार्य किया है और उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस संस्थान के कार्य करण को सुचारू बनाया जाये और हमारे अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न विश्वविद्यालयों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। उन्हें ऐसी स्वायतता दी जाये जिससे वैज्ञानिकों में आत्मविश्वास जगे और उनके कार्य से देश में विश्वास की भावना आये जो क्रियाशील हो। कृषि मंत्रालय को इसे मान कर उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और परिवर्तनों को लागू करना चाहिये।

क्योंकि हमारे देश को, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में अभी और विकास करना है, अतः किसी प्रकार के भेद-भाव के बिना प्रशासनिक नियंत्रण भी वैज्ञानिकों के हाथ में दे दिया जाना चाहिये। उनकी निन्दा या आलोचना से और दोहरे नियंत्रण से कृषि के विकास पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में जांच समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करके मंत्री महोदय ने देश की अच्छी सेवा की है।

आशा है इससे उक्त संस्थान बेहतर कार्य करके दिखाएगा और नई सफलतायें प्राप्त करेगा।

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढुका) : आज चर्चा में अधिकांशतः..

सभापति महोदय : आप इस विषय पर पुनः चर्चा किये जाने पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब श्री ज्योतिर्मयबसु द्वारा उठाई जाने वाली आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे।

उर्वरकों की उपलब्धता
AVAILABILITY OF FERTILIZERS

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : यह महत्वपूर्ण विषय है और आज देश में गंभीर संकट की स्थिति है जिससे किसान पिस रहा है और मुझे कहना पड़ता है कि यह स्थिति सत्तारूढ़ दल की बदौलत है। इस संदर्भ में मैं दिसम्बर, 1970 से अब तक नियक्त किये गये थोक व्यापारियों की सूची चाहता हूं।

कृषि मन्त्री (श्री फख़रूद्दीन अली अहमद) : इस सूचना का इस विषय से कोई संबंध नहीं है।

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
Shri Sezhiyan *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता था कि श्री बरुआ इस समय यहां होते किन्तु वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आप श्री शाहनवाज खां से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

[आधे घंटे की चर्चा Half an hour Discussion]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उक्त सूची दें ।

सरकार ने नीति के रूप में कहा था कि चौथी योजना में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा परन्तु वास्तव में स्थिति उल्ट ही है--जहां गैर-सरकारी क्षेत्र का लाभ 1970-71 की अपेक्षा 1971-72 में डेढ़ गुना बढ़ा है वहां सरकारी क्षेत्र में घाटा 64 लाख से बढ़कर 76 लाख हो गया है । इससे स्पष्ट है कि सरकार ने विदेशी और भारतीय एकाधिकारवादियों को मनमानी करने की छूट दे रखी है । लगता है कि उनकी ओर से सरकार पर दबाव पड़ता रहता है यहां तक कि भारतीय उर्वरक संस्था की ओर से भारतीय उर्वरक निगम की जांच फोर्ड संस्थान से करने को कहा गया है । मंत्री महोदय को बताना होगा कि एक ओर जहां गैर-सरकारी क्षेत्र के लाभ बढ़ रहे हैं वहां दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में घाटे कैसे बढ़ रहे हैं ?

तीन मास पूर्व मैं ने एक फोटो कापी सभापटल पर रखी थी जिस से स्पष्ट था कि ब्रिटिश एकाधिकारवादी कंपनी आई० सी० आई० के कानपुर के कारखाने में कदाचार और उर्वरक की चोरबाजारी हो रही है । परन्तु अभी तक सरकार की ओर से कोई उत्तर या खण्डन नहीं किया गया है । यही नहीं, अब तो सुनते हैं कि आई०सी०आई० को ही एक और कारखाना लगाने की अनुमति मिलने वाली है । इसका क्या अर्थ है ? क्या कुछ लोगों और सत्ताधारी दल ने अपने लाभ के लिये देश को तबाह कर दिया जाएगा ? (**व्यवधान**) देश में जितना उत्पादन होता है उसके हर कण के लिये उनका शोषण किया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति को आपके जातीय स्वरूप का पता चल गया है । इस समाचार-पत्र में कहा गया है कि विदेशी हितों, विशेषकर अमरीका ने एफ०सी०आई० के पी०एण्ड डी० डिवीजन पर अपनी निगाहें लगा रखी थीं ।

1964-65 में फोर्ड फाउंडेशन से एफ०सी०आई० के कार्यकरण की जांच करने के लिय ऐसे विशेषज्ञ भेजने का प्रस्ताव किया जिन्हें उर्वरक उद्योग का कोई अनुभव नहीं था ।

आप देश में उर्वरकों के उत्पादन के मामले में पर्णतया विदेशी और भारतीय एकाधिकारियों के हाथ में है ।

27 वर्ष के कांग्रेस के शासन में हमारी विश्व में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और यहां सबसे अधिक मूल्य बढ़े हैं और हमें विश्व में उर्वरकों के लिये सबसे अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया हैं कि किसानों द्वारा प्रति 100 किलोग्राम 'प्लांट न्यूट्रिएन्ट' के लिये अमरीकी डालर में अदा किया गया मूल्य इस प्रकार है : 1969-70 में भारत ने फ्रांस की 26 की तुलना में अमोनियम सल्फेट के लिये 34.3 अदा किया गया । भारत ने अन्य देशों की तुलना में भी अधिक मूल्य अदा किया । अन्य देशों की तुलना में उवरकों की खपत हमारे देश में सबसे कम है ।

जहां तक उर्वरकों में मिलावट का संबंध है, मेरे पास समाचार पत्र से जो भाग काट कर रखा हुआ है उसके अनुसार रेल द्वारा कोलार आय 2790 उर्वरकों के बोरों में से 119 बोरों में 90 प्रतिशत रेत और 10 प्रतिशत उर्वरक था ।

वे आत्म निर्भरता की बात करते हैं परन्तु हम विदेशों पर अधिक निर्भर हो रहें हैं । राष्ट्रीय कृषि आयोग का कहना है कि 1966-67 और 1967-68 में थोड़ी वृद्धि दिखाने के पश्चात देश में उर्वरकों की खपत में गिरावट आई है और योजना की आशाओं में बहुत कम स्तर बनाये रखा जा रहा है । उसमें आगे कहा गया है कि योजना आयोग के अध्ययन ने आगे बताया है कि अधिक उपज के विभिन्न किस्म के कार्यक्रम वाले क्षत्रों में उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है । निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा :-

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
	(लाख टनों में)	
1967-68	21.50	15.40
1968-69	28.00	17.60
1969-70	26.00	20.09
1970-71	25.40	21.76

वर्ष 1970-71 के बाद भी उर्वरकों की खपत में कमी हुई है ।

उर्वरकों की कमी के बारे में "इकोनोमिक टाइम्स" में कहा गया है कि उर्वरकों के उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी हुई है। भारत उर्वरक प्राप्त करने में असफल है। इतनी असफलता के बाद सरकार को सत्तारूढ़ रहने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

इसके पश्चात, क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के साथ भेद-भाव किया गया है। उर्वरकों की वर्ष 1971–72 में मांग और पूर्ति के वक्तव्य के अनुसार आसाम की मांग 18.20 टन थी परन्तु उसे 14.63 टन दिया गया। 5 मार्च, 1973 को प्रश्नसंख्या 1960 के उत्तर में सभा में दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट पता चलता है कि सरकार अपने लाभ के लिये भेदभाव और असंतुलन बरत रही है। हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश को तेजी से उर्वरकों को सप्लाई की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को भेजे गये उर्वरक संबंधी विशिष्ट आंकड़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम पिछले वर्ष के दो-तीन महीने और इस वर्ष के दो-तीन महीनों के तुलनात्मक आंकड़ जानना चाहते हैं। हमें विश्वास दिलाने के लिये इस संबंध में ठोस सूचना दी जाये कि सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिये तो उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रही है।

उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने के लिये उनमें नमक मिलाया जाता है। एमोनियम सल्फेट का नियंत्रण मूल्य 549 रुपये प्रति एक हजार किलोग्राम है परन्तु उसका दुगुने से भी अधिक मूल्य देना पड़ता है। वह सरकार की शय से होता है।

विदेशी एकाधिकारियों ने आपको मेनीला इंस्टीटयूट का लाभ दिया। उनका उद्देश्य भारत का 'ब्लैक मेल' करने का है। सरकार इससे मुक्ति पाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

इसके अतिरिक्त यह असंतुलित उत्पादन भी बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण लेने में बहुत कठिनाई होती है अतः ऋण देने के वर्तमान सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाये। यह प्रतिवेदन 1971 में प्रकाशित हुआ था। मैं दोनों मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसके पश्चात आपने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

जो प्रतिवेदन 1967 में प्रकाशित हो गये और जिनमें कृषि-उत्पादन में उर्वरकों तथा खाद के प्रयोग के संबंध में एक अध्ययन के बारे में उल्लेख किया गया और खाद के प्रयोग के बारे में सिफारिशें की गई उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खली, रक्त चूर्ण, अस्थि चूर्ण आदि का निर्यात बंद कर रही है।

सभापति महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) **:** क्या मंत्री महोदय इन सभी बातों का एक साथ उत्तर देंगे (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : उनके पास जो सूचना है वह अभी दे देंगे और विस्तृत जानकारी एकत्र करनी होगी तो वे एकत्र करके उसे सभा पटल पर रख देंगे।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know whether it is a fact that the requirement of fertilisers in the country is 22 lakh tonnes whereas only 17 lakh tonnes of fertilisers are there with the Government? If so, what is the reason of this artificial scarcity only due to shortage of 5 lakh tonnes and what action is being taken to remove this scarcity ?

Is it a fact that the distribution of fertilisers was done sometime before through the co-operative societies but this system was changed and the black-marketing has increased due to adoption of policy to sell 40 per cent of fertilisers through private dealers. If so, whether the Government propose to curb black-marketing and ensure the supply to farmers at fair-price like the U.P. Government ? If not, why ?

Is it also a fact that due to lack of co-operation between F.C.I. and State Governments, the artificial scarcity is there ? If so, what steps have been taken to ameliorate the situation on?

Is it a fact that the prices of fertilisers have gone up due to huge expenditure incurred on the Sale Division of F.C.I. Does the Government propose to abolish this division and ensure direct supply to the State Governments. If not, why ?

Is it true that the Bihar Government has issued show-cause notice to five officers of F.C.I. under the Essential Commodities Act for not supplying prescribed quota of fertilisers to Bihar, if so, the action taken by Government in this regard ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह स्पष्ट है कि हमारे देश में उर्वरकों की जितनी मांग है उसका 50 प्रतिशत ही उत्पादन होता है और पोषक स्टाक की कमी के कारण स्थिति और बिगड़ेगी । अतः आप पर यह काफी निर्भर करता है कि आप उर्वरकों के आयात के लिये क्या व्यवस्था करते हैं । आयात संतोषजनक न होने का एक कारण यह है कि राज्य व्यापार निगम में इस संबंध में अपेक्षित विशेषज्ञ नहीं है । इस संबंध में जो कमी है उसे किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ? मैं जो बात कहने जा रहा हूं—और जिसमें शुद्धि भी की जा सकती है—वह यह है कि विश्व बाजार में हाल ही में कोई टेंडर नहीं मांगे गये हैं और यदि टेंडर मांगे गये हैं तो कब और उन टेंडरों पर क्या प्रतिक्रिया रही पश्चिमी तथा पूर्वी देशों के बाजार से क्रमशः कितना ठेका किया गया और इन दोनों बाजारों से किस सीमा तक सप्लाई की गई ।

यह कहा गया है कि उर्वरक विश्व बाजार में उपलब्ध नहीं है । इसके विपरीत प्रो० कोलिन क्लार्क ने कहा था कि आस्ट्रेलिया और जापान की उर्वरक क्षमता का कुछ देशों द्वारा उपयोग किया जा रहा है । इस बारे में क्या स्थिति है ?

रासायनिक उर्वरकों की लागत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस स्थिति के लिये आग्रह करेगी कि प्रत्येक राज्य को हरी खाद अथवा कम्पोस्ट को कुछ विशेष अनुपात में काम में लाना चाहिये ? यदि हां, तो वह रासायनिक उर्वरकों का संबंध कम्पोस्ट तथा अन्य कार्बानिक उर्वरकों के साथ किस प्रकार स्थापित करेगी ?

देश में उर्वरकों के असमान वितरण से ऐसा लगता है कि इसका संबंध इस बात से है कि देश में उर्वरक कारखानों का वितरण असमान है । अतः उर्वरक कारखानों के समान वितरण के लिये क्या किया जायेगा ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तेल्लीचेरी) : यह सर्व विदित तथ्य है कि देश में उर्वरकों की कमी है । यह भी कहा गया है कि हमारे देश के उर्वरक संयंत्रों ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है । इसका क्या कारण है कि ये संयंत्र अपनी पूरी-पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये हैं ?

उपभोक्ताओं के पास उर्वरक काले-बाजार के माध्यम से न पहुंचकर सीधा पहुंचे, इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाचार पत्र में एक समाचार था कि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर के कोचीन यूनिट से कुछ मात्रा में उर्वरक केरल को आवंटित किया गया था और यह कहा गया है कि उस यूनिट से उर्वरक का एक कण भी नहीं दिया गया है ?

उस राज्य में उर्वरकों के अभाव में फसल भी खराब हो गई है । केरल राज्य को उर्वरकों के वितरण के लिये सरकार क्या नीति अपना रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की टीका-टिप्पणियों का स्वागत करता हूं ।

मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि हम विदेशी दबाव और एकाधिकार गृहों के प्रभाव में आ रहे हैं । उर्वरकों के मामले में हम आत्म निर्भर बनना चाहते हैं । हम अपने संयंत्रों को स्वदेशी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तथा जहां तक संभव होगा देसी पुर्जे इस्तेमाल किये जायेंगे । यह प्रश्न पूछा गया है कि हम उर्वरकों के मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे । हमारा प्रयास है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे । हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 70 लाख मी० टन निर्धारित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के योजना बनाई है : इससे हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 48 लाख मी० टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन कर सकेंगे जिससे हमारी मांगें पूरी हो पायेंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने तैयार-शुदा उत्तर दिया है । मैंने जो बातें पूछी हैं, वह उनका उत्तर दें ।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शाहनवाज खां : मैं मानता हूं कि उत्पादन में कमी हुई है । इसके मुख्य कारणों से सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि देश को बिजली के गंम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । इससे उर्वरकों के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त कच्चा माल न मिलने के कारण भी काफी कठिनाई हुई है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने उर्वरक संयंत्रों के असमान वितरण के बारे में प्रकाश डाला । मैं सभा को सूचना देता हूं कि सिन्दरी, नामरूप, गोरखपुर, ट्राम्बे, राउरकेला, उद्योग मंडल, नेवेली, मद्रास फर्टिलाइजर्स स्थित विद्यमान उर्वरक संयंत्रों के अतिरिक्त कई उर्वरक कारखाने क्रियान्वित किये जाने हैं और ये हैं : दुर्गापुर, कोचीन I तथा II बरौनी, नामरूप—इनका विस्तार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बहुत से उर्वरक संयंत्र स्थापित हो रहे हैं । ये हैं : गोआ, मंगलौर तूतिकोरिन ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने नीति संबंधी वक्तव्य दिया था कि चौथी योजना में उर्वरकों का तीन चौथाई उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होगा । अब यह गैर-सरकारी क्षेत्र में कैसे हो रहा है ?

श्री शाह नवाज खां : एक तरफ तो माननीय सदस्य इस बात के लिये आग्रह कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र आत्म-निर्भरता प्राप्त हो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गैर—सरकारी क्षेत्र में कोई संयंत्र नहीं लगाया जाना चाहिये ।

हमारे सामने दो बातें हैं : एक, सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाये और जितनी आवश्यकता शेष रह जाये उसके लिये या तो आयात किया जाये या फिर गैर सरकारी क्षेत्र को उत्पादन करने के लिये कहा जाये ।

मथुरा, पानीपत, भटिण्डा, ट्राम्बे और पाराद्वीप में नये संयंत्र लगाये जा रहे हैं ।

कोयले पर आधारित तीन संयंत्र निर्माणाधीन हैं ।

हमने समूचे देश में एक व्यापक सर्वेक्षण आरंभ किया है कि हम कोयले पर आधारित संयंत्र कहां-कहां लगा सकते हैं । यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

आई० इ० एल० ने कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में रूचि प्रकट की है । इस पर विचार किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । यह मामला राज्य सरकार के अधीन है। कालाबाजारियों के विरुद्ध वे कार्यवाही कर रही हैं ।

सभापति महोदय : वह केवल उत्पादन के बारे में बतायेंगे और श्री शिन्दे उर्वरकों की वितरण व्यवस्था के बारे में बतायेंगे ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस आरोप का पूर्णत: खंडन करता हूं कि उत्तर प्रदेश को राजनीतिक कारणों से अधिक मात्रा में कोटा दिया जा रहा है । उर्वरकों का वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम यह जानना चाहते हैं कि गत वर्ष और उससे पिछले वर्ष इसी अवधि में उत्तर प्रदेश को कितना उर्वरक दिया गया ।

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय के पास आंकड़े नहीं हैं तो वह सभा पटल रखें ।

श्री शाहनवाज खां : आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । वे सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

यह सच है कि हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। किन्तु देशी उर्वरकों को लागत से कम कीमत पर बेचा जा रहा है । यह भी सच है कि देश में उर्वरकों का उत्पादन कम है और विदेश से उर्वरक की उपलब्धता कम है ।

श्री रामावतार शास्त्री : देश में कुल उत्पादन कितना है और माँग कितनी है ।

श्री शाहनवाज खां : उत्पादन का लक्ष्य 1972–73 के लिये 1,385,000 टन नाइट्रोजन और 3,95,000 टन फास्फेट का था किन्तु 10.6 लाख टन का लक्ष्य पूरा किया गया ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : श्रीमान्, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । आप लोक सभा सचिवालय और अध्यक्ष महोदय को यह बता दें कि ये समस्यायें एक साथ मिला दी गई हैं । यह विषय पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों का है । इसीलिये इन प्रश्नों पर विचार करना कठिन है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय जो प्रश्न चर्चा के दौरान उठें, उनका उत्तर देने के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों के मंत्री सभा में उपस्थित हों, यह सुनिश्चित करने का दायित्व अध्यक्ष महोदय पर है अथवा संबद्ध मंत्रालय पर । इस संबंध में कुछ नियम होने चाहिएं ।

सभापति महोदय : इस बारे में हम अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श करेंगे ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने बहुत से प्रश्न किये हैं । उनमें से कुछ का उत्तर पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की ओर से दिया जा चुका है । श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि हमारे देश में उर्वरक की खपत कम है और वह घटती जा रही है । यह गलत है । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में केवल कुछ हजार टन उर्वरक की खपत थी जो 1961–62 में बढ़कर 3,38,000 टन हुई और अब बढ़कर 28 और 30 लाख टन हो गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राष्ट्रीय कृषि आयोग के पृष्ठ 25 में यह स्पष्ट लिखा है कि उर्वरक की खपत 1966–67 और 1967–68 में बहुत बढ़ गई थी जो उससे बाद में घटती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1970–71 के लिये उर्वरक की खपत का लक्ष्य क्या था ? मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं ।

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : उर्वरक की खपत 3–4 लाख टन से बढ़ कर 30 लाख टन हो गया है । पिछले 5 या 6 वर्षों में उर्वरक की खपत में 19 प्रतिशत से वार्षिक वृद्धि हो रही है । हां गत वर्ष और चालू वर्ष में वृद्धि उतनी नहीं होगी । मोटे रूप से अनुमान लगाने पर इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में खपत में अधिक से अधिक एक लाख टन की वृद्धि होगी ।

श्री अण्णा साहेब पी शिन्दे : श्री रामावतार शास्त्री ने यह पूछा है कि हमारे देश में उर्वरक की मांग और उसके उत्पादन में कितना अन्तर है ? एन० पी०के० की कुल मांग 40 लाख टन है उसके 27 लाख टन से 30 लाख टन तक उपलब्ध होने का अनुमान है : राज्य सरकारों के आंकड़े लिये जायें तो यह अन्तर और भी अधिक होगा । इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि देश में उर्वरकों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है । यह सरकार के लिये भी एक चुनौती है । सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक सप्लाई करना चाहिये । जहां तक उन देशों के नाम का संबंध है जहां से हम उर्वरकों का आयात करते हैं, हम अमरीका, पश्चिम यूरोपीय देशों, पूर्व यूरोपीय देशों और जापान से उर्वरक मुख्य रूप से मंगाते हैं । हम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों का आयात नहीं करते हैं । पश्चिमी क्षेत्र से पूर्ति विभाग आयात करता है और जापान तथा पूर्वी क्षेत्र से एम०एम०टी०सी० आयात करता है । अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उर्वरकों के पूर्ण आयात का काम एम०एम०टी०सी० को सौंपा जाये । पहले हम विश्व के सभी देशों से टेंडर मंगाते थे, किन्तु अब हमारा दृष्टिकोण बदल गया है और अब हम उर्वरक आयात के लिये दीर्घावधि समझौते कर रहे हैं ताकि उर्वरक की अनुपलब्धता की स्थिति पैदा न हो । परन्तु यह भविष्य ही बतायेगा किये समझौते कहां तक पूरे होंगे, क्योंकि पैट्रोलियम उत्पादों का अभाव बढ़ता ही जा रहा है । जहां तक आयात संबंधी आंकड़ों का संबंध है, भारत सरकार ने विदेशों से 10 लाख टन उर्वरक आयात करने की अनुमति दी थी और 8 लाख टन के लिये करार किये जा चुके हैं जिसमें से 7 लाख टन उर्वरक प्राप्त होने की पूरी संभावना है ।

यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश को अधिक उर्वरक राजनीतिक कारणों से दिये जा रहे हैं । यह आरोप दोषपूर्ण हैं । रबी की फसल में गेहूं की उपज को प्रमुख माना जाता है और गेहूं उत्पादक राज्यों—हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को उर्वरक देने में प्राथमिकता बरती जा रही है । दक्षिण भारत में तमिलनाडू को भी इस मामले में प्राथमिकता दी जा रही है । उत्तर प्रदेश को जितना उर्वरक दिया गया है उसका प्रतिशत पंजाब सहित कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है । उत्तर प्रदेश को 45 प्रतिशत नाइट्रोजन और 56 प्रतिशत फास्फेट दिया गया । ऐसा पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उत्तर प्रदेश को राजनीतिक कारणों से उर्वरक अधिक दिया जा रहा है ।

जहां तक वितरण व्यवस्था का संबंध है, आयातित उर्वरक राज्य सरकारों को दिये जाते हैं और उन्हें ये अनुदेश दिये गये हैं कि उर्वरक सरकारी एजेंसियों या सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाये । देशी उर्वरकों के बारे में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को यह आदेश दिये हैं कि 50 प्रतिशत खाद्य सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किये जायें । हमारी यह योजना है कि उर्वरक के वितरण का पूरा काम धीरे-धीरे सरकारी एजेनसियों को सौंप दिया जाये ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरूवार 29 नवम्बर 1973/8 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 29, 1973/Agrahayana 8, 1895 (Saka).

MGIPNLK—1/Lok Sabha/74—4-4-74—490 Copies.